हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, 05 मार्च, 2020 को माननीय अध्यक्ष, श्री विपिन सिंह परमार की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

05.03.2020/1100/केएस/डीसी/1

स्थगित प्रश्न संख्याः 1502

श्री राजेन्द्र राणाः अध्यक्ष महोदय, सूचना मिल गई है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि यह हिमाचल प्रदेश के नौजवानों के रोज़गार से जुड़ा हुआ मसला है। जैसे कि सरकार ने सूचना दी है कि 1 अगस्त, 2016 से 31 जुलाई,2016 तक 11,619 लोगों को सरकारी क्षेत्र में रोज़गार दिया गया, 1 अगस्त, 2017 से 31 जुलाई, 2018 तक 9,030 लोगों को रोज़गार दिया गया तथा 1 अगस्त, 2018 से 31 जुलाई, 2019 तक 9,925 लोगों को रोज़गार दिया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से दो-तीन चीजें जानना चाहता हूं क्योंकि हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की नज़रें सरकार पर गड़ीं हैं और वे इन्तज़ार कर रहे हैं कि हमें कब रोज़गार मिलेगा। स्वभाविक है कि इस दौर में सरकार को सभी को रोज़गार देना कठिन है लेकिन क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि सरकार आंकड़ों के अनुसार आज पूरे प्रदेश में कितने बेरोज़गार हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं और जो आउटसोर्स से लोग रखे गए हैं, वे कितने हैं?

अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आउटसोर्स से जो लोग रखे गए और जो पहले आउटसोर्स के माध्यम से काम कर रहे थे, उनकी छुट्टी कर दी गई क्योंकि हर आदमी जब नौकरी लगता है, वह चाहे सरकारी नौकरी पर लगे, प्राइवेट लगे या आउटसोर्स से लगे, उससे उसका परिवार चलता है। उन लोगों को बाहर कर दिया गया तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है? जैसे कि आंकड़े बताए गए हैं कि एक साल 7 महीने में 9,925 रोज़गार वर्तमान सरकार ने दिए हैं तो क्या कोई ऐसे आंकड़े भी हैं कि अभी तक वर्तमान सरकार अपने सवा दो साल के कार्यकाल में सरकार सरकारी क्षेत्र में कितना रोज़गार दे पाई है और आउटसोर्स से कितने लोग रखे गए हैं ताकि हिमाचल प्रदेश के लोगों को यह जानकारी मिल सके?

05.03.2020/1100/केएस/डीसी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, ये दोनों सरकारों के कार्यकाल से सम्बन्ध रखता है। हमारी सरकार की साफ मन्शा है कि जितने भी बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार देने में हम आगे बढ़ कर काम करें।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

05.03.2020/1105/av-dc/1

प्रश्न संख्या : 1502------ क्रमागत

मुख्य मंत्री : ------ **जारी**

और हमने किया भी है। मगर उसके बावजूद हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि यह किसी भी देश या प्रदेश में किसी भी सरकार के लिए सम्भव नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में सभी बेरोज़गारों को रोज़गार दे पायें। लेकिन हमने एक ईमानदार कोशिश की है और जितना हम कर सकते थे; वह हम देने की कोशिश कर रहे हैं। उस हिसाब से जो आंकड़े हमारे सामने हैं जिसका माननीय सदस्य ने ज़िक्र किया कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में दिनांक 1.8.2016 से दिनांक 31.7.2019 तक 11619 रोज़गार दिए गए। दिनांक 1.8.2017 से दिनांक 31.7.2018 की समयावधि में हमारी और आपकी पार्टी की सरकार के इसमें मिक्स आंकड़े हैं। उसके बाद दिनांक 1.8.2018 से दिनांक 31.7.2019 तक हमने 9925 रोज़गार दिए। अगर गत तीन वर्षों के दिनांक 31.7.2019 तक के आंकड़े देखे जाएं तो सरकारी क्षेत्र में कुल 30574 लोगों को रोज़गार मिला है जो कि मैं समझता हूं कि यह हमारे हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य के लिए कम संख्या नहीं है। उसके बाद मैं यह भी बताना चाहता हूं कि गत 2 वर्षों में यानी दिनांक 1.8.2016 से दिनांक 31.7.2019 तक सरकारी क्षेत्र

में 30574 लोगों को रोज़गार दिया गया। पूर्व सरकार द्वारा दिए गए श्रेणी-i से श्रेणी- iv के कुल रोज़गार के आंकड़े भी हमारे पास उपलब्ध हैं। उसके अंतर्गत दिनांक 1.8.2016 से दिनांक 25.12.2017 तक इस डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में आपने सभी केटेगरीज के लिए 14629 रोज़गार दिए। हमारी वर्तमान सरकार ने दिनांक 26.12.2017 से दिनांक 31.7.2019 तक श्रेणी -i से श्रेणी- iv के कुल 15945 रोज़गार दिए यानी हमारे समय में ज्यादा रोज़गार दिया गया। मैं यहां पर यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार द्वारा अपने कार्यकाल में दिनांक 1.1.2013 से दिनांक 25.11.2017 तक सरकारी क्षेत्र में 18685 लोगों को रोज़गार दिया गया। वर्तमान में हमारी सरकार के 2 साल के कार्यकाल में यानी दिनांक 26.12.2017 से 31.7.2019 तक 17707 लोगों को रोज़गार दिया है जोकि तुलनात्मक दृष्टि से काफी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में 15945 तथा निगमों व बोर्डों में 1762 लोगों को रोज़गार दिया गया। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार द्वारा विभिन्न

05.03.2020/1105/av-dc/2

विभागों में 15315 पदों तथा बोर्डों व निगमों में 4000 पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुझे लगता है कि इस प्रक्रिया को हम जल्दी पूरा करने की कोशिश करेंगे। यह हकीकत है कि अगर देश के दूसरे राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में हम हिमाचल प्रदेश के आंकड़े देखें तो सरकारी क्षेत्र में रोज़गार देने में हमारा राज्य नम्बर एक पर है।

टी सी द्वारा जारी

05.03.2020/1110/TCV/HK-1

प्रश्न संख्याः 1502 क्रमागत

मुख्य मंत्री....जारी

यानी सरकारी क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाने में छोटा प्रदेश होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा नौकरियां दी जा रही हैं। मैं उत्तराखंड के मुख्य मंत्री के साथ एक दिन बात कर रहा था कि आपके पास इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में कितना स्टॉफ है? उन्होंने बताया कि उनके पास

इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगभग 6500 के करीब स्टॉफ है जबकि हिमाचल प्रदेश में इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्टॉफ 19000 से ऊपर हैं। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी देने की सभी सरकारों की प्राथमिकता रही है, हमारी सरकार की थोड़ी ज्यादा है। सरकारी क्षेत्र में लोग नौकरी की उम्मीद भी करते हैं चाहे वह नौकरी छोटी या बड़ी मिले जैसी भी मिले लेकिन सभी लोगों का रुझान सरकारी क्षेत्र में नौकरी करने के लिए रहता है। हम सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दे भी रहे हैं। जहां तक आपने पूछा कि सरकारी क्षेत्र में आउटसोर्स पर कितने कर्मचारी लगे हैं, अभी तक यह डाटा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। This was not the part of this Question. यदि आपको इसकी सूचना चाहिए होगी तो इसको बाद में उपलब्ध करवा देंगे लेकिन हमारी कोशिश है कि सरकारी क्षेत्र में जितनी नौकरी दे सकते है, वह हम दे ही रहे हैं। पूरे देश में और सभी राज्यों ने भी इस नीति को अडॉप्ट किया है तथा आउटसोर्स में नौकरी देने को सभी सरकारें प्राथमिकताएं दे रही हैं। जिन राज्यों में आपकी सरकारें है, वे भी दे रही है, बड़े स्तर पर दे रही हैं। जहां हमारी सरकारें हैं क्योंकि हम से पहले आप लोग थे, आपके उस समय में भी आउटसोर्स में कर्मचारी लगें हैं, उनको रोज़गार देने की बात आप लोगों ने भी की है। जहां तक उनको नियमित करने की बात है या उनको हटाया जा रहा है, इसके लिए नियम में प्रावधान हैं, जिनको आपकी सरकार में भी फॉलो किया गया और हमारी सरकार भी उनको फॉलो कर रही हैं। हमारी ज्यादातर यही कोशिश होती है कि जिसको रोज़गार मिलता है, हम मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए ज्यादा-से-ज्यादा रोज़गार उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं। जहां आवश्यक से ज्यादा कर्मचारी हैं, वहां स्वाभाविक रूप से उनको नियमित करने में कठिनाई हैं लेकिन किसी को बिना वज़ह से हटाने की हमारी सरकार की मंशा नहीं है।

05.03.2020/1110/TCV/HK-2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि सरकारी क्षेत्र में जिन आउटसोर्स कर्मचारियों को रोज़गार मिला है, उनका डाटा उपलब्ध नहीं है लेकिन कुछेक विभाग का तो उपलब्ध होगा। मैं मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में आउटसोर्स कर्मचारियों को ठेकेदार के द्वारा जो कार्य दिया जाता है, क्या

सरकार उन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, जैसा आपके घोषणा-पत्र में था कि हम उनके लिए नीति बनाएंगे, क्या सरकार इनके लिए नीति बनाने का विचार रखती है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारा घोषण-पत्र नहीं है, हमारा दृष्टिपत्र है यानी विज़न डॉक्युमैंट है। घोषणा-पत्र और दृष्टि-पत्र में अंतर होता है। घोषण-पत्र होता है कि यह हमारी घोषणाएं हैं और ये हम पूरी करेंगे, दृष्टि-पत्र होता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये अंतर है और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपने घोषण-पत्र जारी किया था और जब चुनाव आता है तो घोषणा करने में तो आप पीछे नहीं रहते हैं। यह बात दुनिया जानती है लेकिन हमने अपने विज़न डॉक्युमैंट में जो बातें कही है, **उनको हम पूरा कर रहे हैं और उस दृष्टि से ये सारे मामले विचाराधीन हैं लेकिन अभी तक इस तरह से नीति बनाने की बात नहीं हुई है, फिर भी ये सारे मामले विचाराधीन हैं और इनको आने वाले समय में देखेंगे।**

अध्यक्ष : वैसे तो काफी विस्तार से जवाब आ गया है, माननीय सदस्य, श्री राजेन्द्र राणा जी आप बोलिए।

श्री राजेन्द्र राणा एन.एस. से शुरू

05-03-2020/1115/NS/HK/1

प्रश्न संख्या : 1502 .....क्रमागत

श्री राजेन्द्र राणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने वर्ष 2017-18 में लगभग 17-18000 के बीच सरकारी क्षेत्र में लोगों को रोज़गार दिया गया। क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कितने लोग अनुबंध आधार पर और कितने रेग्युलर रखे गए? दूसरा, आपने दृष्टि पत्र का ज़िक्र किया है तो दृष्टि पत्र में आपने कन्ट्रैक्चुअल पीरियड़ जोकि पहले आठ साल फिर छः साल और अब तीन साल का है। उसको आपने दो साल करने का अपने दृष्टि पत्र

में ज़िक्र किया है तो क्या इस दृष्टि पत्र में जो ज़िक्र हुआ है उसको आप दो साल कब तक करेंगे और कब तक आपकी दृष्टि पत्र पर नज़र पड़ेगी?

मुख्य मंत्री : हमारे दृष्टि पत्र पर आपकी बहुत दृष्टि है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, हमारी तरफ से बड़ा सफा है। जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि अनुबंध आधार पर कितने लोगों की पोस्टिंग हुई है, रेग्युलर अप्वायटंमैंट्स कितने लोगों की हुई है? यह दोनों फिगर्ज़ इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। इसको आपको बाद में दिया जा सकता है। जहां तक आपने पूछा कि अनुबंध आधार की नीति में कुछ वर्षों की कमी की गई है, यह अभी तक तीन वर्ष है और आपने पूछा कि दो वर्ष कब तक करेंगे? अध्यक्ष महोदय, अभी हमारी सरकार का दो साल का कार्यकाल पूरा हुआ है। इसके लिए हमारे पास समय है। ये सारे मामले विचाराधीन हैं और आने वाले समय में हम इस पर विचार करेंगे तथा जब भी विचार करेंगे तो आपको जानकारी दे देंगे।

05-03-2020/1115/NS/HK/2

प्रश्न संख्या : 1587

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप जब विपक्ष में थे तो आप एक्सटैंशन और री-इंप्लायमैंट के सख्त विरोधी थे। आपने अपने दृष्टि पत्र में भी कहा है कि यह नहीं होना चाहिए था। अब आप दृष्टि पत्र को भी नहीं मान रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कारण हैं कि आप इसके विरोध में रहते हुए भी एक्सटैंशन दे रहे हो? मैं मानता हू कि अगर डॉक्टर है तो वे अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो सकते हैं उनके लिए हम मानते हैं। क्या जरूरत है कि आप एक चपरासी , इंसपैक्टर को भी एक्सैंटशन दे रहे हैं? क्या ये आपके चेहते नहीं हैं? क्या लोक निर्माण विभाग का एस0ई0 या एक्सिअन बड़ा एक्सपर्ट होता है जिसको आप एक्सटैंशन दे रहे हो? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सलैक्टिव एक्सटैंशन क्यों दी जा रही है? मेरा आपके ऊपर आरोप है और आप इसका जवाब दें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य के इस प्रश्न से हैरान हूं जो यह पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर एक बार पहले भी मैं इस माननीय सदन में दे चुका हूं। हमारी सरकार

के दौरान सरकारी विभागों में 15, बोर्ड/कार्पोरेशन में 4 कुल मिला करके 19 लोगों को एक्सटैंशन दी गई है। आपकी सरकार ने जो एक्सटैंशन दी हैं उसकी लिस्ट इतनी लंबी है कि पढ़ी भी नहीं जा सकती है। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बीच में न बोलें। माननीय मुख्य मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं। माननीय सदस्य आपको सप्लीमैंटरी करने का अधिकार है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमने 19 लोगों को एक्सटैंशन दी है और इन्होंने 2,398 लोगों को एक्सटैंशन दी है। उसमें क्या-क्या केटेगरीज़ हैं? आप तो यहां पर एक-दो लोगों का ज़िक्र कर रहे हैं। एक्सिअन अपने फील्ड में एक्सपर्ट होता है और उसकी रिक्वायरमैंट किसी प्रोजेक्ट में रही होगी तो इस कारण से दिया होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर हम री-इंप्लायमैंट की बात करें तो मैंने प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि 231 लोगों को

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

05.03.2020/1120/RKS/YK-1

प्रश्न संख्याः1587... जारी

मुख्य मंत्री... जारी

री-इम्प्लॉयमैंट दी है। इन री-इम्प्लॉयमैंट्स में अधिकतर वे लोग हैं, जो पटवारी हैं और उन्हें एक्सटैंशन देना मजबूरी है। क्योंकि सुबह-शाम हर आदमी का वास्ता पटवारियों से पड़ता है। अगर कोई इन्कम सर्टिफिकेट भी लेना हो तो हमें पटवारी के पास जाना पड़ता है। ऐसे में हमने मजबूरी में ये एक्सटैंशन्ज दी हैं। हमने किसी चेहते को एक्सटैंशन नहीं दी है। लोगों की समस्याओं का समाधान होता रहे उस दृष्टि से हमने 231 लोगों को री-इम्प्लॉयमैंट दी है और यह हमारी प्राथमिकता है। हमने 231 लोगों को एक्सटैंशन दी हैं और आपने 1200 लोगों को एक्सटैंशन दी थी। हमारे पास हर रोज आवेदन आते हैं कि हमें एक्सटैंशन दो, रि-इम्पलॉयमैंट दो लेकिन हमने एक्सटैंशन देना बंद कर दी है। हमने सभी को एक शब्द में कहा है कि हम एक्सटैंशन नहीं देंगे। दो साल के कार्यकाल में 19 नम्बर का यह आंकड़ा ज्यादा नहीं है। इस आंकड़े पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने

2,398 लोगों को री-इम्प्लॉयमैंट /एक्सटैंशन दी थी उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। अगर कहीं एक-दो केस में री-इम्प्लॉयमैंट /एक्सटैंशन देने की आवश्यकता होगी तो उस बात पर विचार किया जा सकता है। लेकिन हमारी सरकार की बड़ी स्पष्ट मान्यता है कि हम आने वाले समय में री-इम्प्लॉयमैंट /एक्सटैंशन को बहुत स्ट्रिक्ट कर रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति सरकार के कामकाज को अच्छी तरह से करने की स्थिति में है तो हम उसे री-इम्प्लॉयमैंट /एक्सटैंशन दे सकते हैं। लेकिन अभी हम किसी को री-इम्प्लॉयमैंट /एक्सटैंशन नहीं दे रहे हैं।

श्री राम लाल ठाकुर(श्री नैना देवीजी): माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने सही कहा है कि ज्यादातर एक्सटैंशन पटवारियों को दी गई हैं। आज फील्ड में पटवारी नहीं है। जो पटवारियों की सलैक्शन हुई थी उसमें उनका केस जांच हेतु चला गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन पटवारियों को ट्रेनिंग देना शुरू कर

05.03.2020/1120/RKS/YK-2

दी गई है? यदि नहीं, तो यह मसला कब तक हल हो जाएगा और जिन पटवारियों को एक्सटैंशन दी गई हैं, उन्हें कब तक एक्सटैंशन मिलती रहेगी?

मुख्य मंत्री: अध्यक्ष महोदय, यह मामला सब-ज्यूडिस है। इस मामले में हाई कोर्ट ने आदेश दिये हैं और सी.बी.आई. इसकी जांच कर रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जांच बहुत जल्द पूरी हो जाए। जिन अभ्यर्थियों ने यह परीक्षा पास की है उनकी ट्रेनिंग में फिलहाल रोक लगा दी गई है। जब तक यह मामला सब-ज्यूडिस है तब तक उनको ट्रेनिंग करवाना उचित नहीं होगा। जैसे ही यह जांच समाप्त हो जाएगी और इसका परिणाम जिस भी दिशा में आएगा उसके बाद ही हम अगला निर्णय लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है उससे यह स्पष्ट है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आप जिस चीज़ का विरोध करते थे, आज आप उसी चीज़ को अपना रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो पिछली सरकार में हुआ है, आप उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। यह बात स्पष्ट है कि जो हमने किया है आप उसे सही मानते हैं और इसलिए आप एक्सटैंशन दे रहे हैं। आप करे तो रामलीला और हम करे तो रास लीला। माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपने 3-4 XEns को एक्सटैंशन्श दी हैं, क्या वे आपके खास लोग थे?

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

05.03.2020/1125/बी.एस./वाई.के./-1

प्रश्न संख्याः 1587 क्रमांगत...

मुख्य मंत्री जारी...

माननीय अध्यक्ष महोदय, 2,398 एक्सटैन्शन और 1,219 रीइंप्लाइमैंट, यह बहुत बड़ा नम्बर है पूर्व सरकार का है। प्रश्न यही तो खड़ा होता है कि यह कौन लोग थे? जहां तक आपने चौकीदार की बात कही है, उन्हें एक वर्ष की एक्टैन्शन शायद दी है वह बहुत अच्छी सेवा दे रहा था यही कारण रहा है कि उसे एक्टैन्शन दी गई। एक्शटैन्शन थोड़े वक्त के लिए दे दी गई थी परंतु अब वे रिटायर हो चुके हैं, अब इस तरह की बात नहीं हैं। मैं आपके समय की बात बताऊं तो तब एक रिवायत बन गई थी कि साहब हम तो आपके हैं, अब हमारी नौकरी समाप्त हो रही है, हमारी रिटायरमैंट हो रही है आपकी बड़ी मेहरबारी होगी यदि आप हमें एक-दो वर्ष नौकरी करने का और मौका दे दें। जवाब आता था, हां भई आप हमारे आदमी हो क्यों नहीं देंगे। उसके बाद आदेश कर देते थे। हमने उन लोगों को मौका दिया जिनकी सर्विस की अति आवश्यकता थी। रीइंप्लाइमैंट का मैंने जिक्र कर दिया है। हमने पटवारियों को इसे दिया है क्योंकि वहां पर आम आदमी का सुबह से शाम तक काम पड़ता है। उनके कार्य में कोई बाधा न आए उन्हें बार-बार कार्यालयों के चक्कर न काटने

पड़े। जब तक ये खाली पद हैं तब तक यह सारी व्यवस्था की गई है। जैसे ही हमारे पटवारियों की भर्ती पूरी हो जाएगी उसके बाद यह आंकड़ा और नीचे आ जाएगा। हमने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी इसका परिणाम आना चाहिए।

प्रश्न समाप्त/

05.03.2020/1125/बी.एस./वाई.के./-2

प्रश्न संख्याः 2540

श्री नरेन्द्र ठाकुर (हमीरपुर) : सर, मुझे लगता है कि मेरे से पहले भी कुछ मानीय सदस्यों के प्रश्न हैं।

अध्यक्ष : नहीं, यह कंप्यूटर मिसटेक हो सकती है जो प्रश्न संख्या मैंने कही है वही सही है।

श्री नरेन्द्र ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके मुताबिक पार्क के लिए 53,55,00/- रुपए प्रदान किए हैं। इसके लिए मैं माननीय वन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके बाद पार्क की दशा बहुत अच्छी हो गई है, साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस पार्क में एक कमरा है उस कमरे में कंटीन चलती थी और प्रश्न के उत्तर में दर्शाया गया है कि वर्ष 2015 से वह बंद पड़ा है। जैसे पार्क की दशा सुधरी है तो विभाग ने आश्वासन दिया है कि उसे चला दिया जाएगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि पार्क अच्छा बना है तो कंटीन भी वहां पर अच्छी बने। वास्तव में यह कंटीन नहीं थी यह वहां पर सूचना केन्द्र था या कह लें कि यह जांच केन्द्र था। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि वहां पर एक अच्छी कंटीन की व्यवस्था होगी, दूसरा मैं वहां पर एक फब्वारे के निर्माण का भी आश्वासन चाहूंगा।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

05.03.2020/1130/DT/YK-1

प्रश्न संख्याः 2540

वन मन्त्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा झनियारा डी-ग्रेडेड फारेस्ट, हीरा नगर में है। हमने वहां एक इको-पार्क विकसित कर रहें हैं जिसमें चिल्ड्रन पार्क भी एक काम्पोनेन्ट है। इसमें कुल धनराशि 65 लाख की है जिसमें से कुछ राशि खर्च हो चुकि है और कुछ राशि शेष है। यह धनराशि विभिन्न कार्यों में जो वहां चलें हैं जैसे construction of retaining wall, walking trails, signages, construction of fountain, landscaping, installation of bore well, rain shelter, facilities for children such as slide, swings, merry-go-round, rope and net climber etc. इसके अतिरिक्त जो और कार्य हम वहां पर कर रहें हैं वह है improvement of yoga center, development of grass-turf, open sitting spaces, laying of pavements and beautification of children park. पर किये जा रहें हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भवन वहां पर बना हुआ था और काफी समय से बन्द था, उसे हम कंटीन या कैफे के रूप में तैयार करेंगे और जितनी भी राशि खर्च हो रही है उसमें एक सुन्दर पार्क वहां बनाया जायेगा ताकि लोगों को वहां पर अच्छी सुविधायें मिलें।

05.03.2020/1130/DT/YK-1

प्रश्न संख्या 2541

श्री अर्जुन सिंह

मुख्य मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई है।

05.03.2020/1130/DT/YK-2

प्रश्न संख्या 2542

श्री रमेश चन्द ध्वालाः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मन्त्री जी द्वारा जो सूचना दी गई है उसमें कहा गया है कि कोई भी योग शिक्षक भर्ती नहीं किये गये हैं और इसका पाठ्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसकी स्वीकृति मिलने के बाद योग शिक्षक भर्ती करने बारे निर्णय लिया जायेगा। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं की योग बच्चो के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। बाबा रामदेव जी की कृपा से तो चलो लोग घर-घर योग कर रहे है। अगर योग की शिक्षा बच्चों को दी जाती है तो मैं समझता हूं कि बच्चे नशे से भी दूर रहेंगे और व शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहेंगे। मैं माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंग कि आज प्रईवेट स्कूलों में योग शिक्षकों की तैनाती की गई है। जैसा की आप सभी जानते हैं कि प्राईवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है और सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम हो रही है, वह खाली हो रहें है। मैं माननीय शिक्षा मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि सरकारी स्कूलों में कब तक योग शिक्षकों की भर्ती कर ली जायेगी? और योग से सम्बन्धित पाठ्यक्रम कब तक तैयार कर लिया जायेगा? मैं यह भी जानना चाहूंगा की जो पी0टी0आई0 (DP) हैं क्या यह स्कूलों में योग शिक्षा दे रहें हैं?

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

05-03-2020/1135/ए.जी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या 2542 जारी.....

श्री रमेश चंद ध्वाला जारी...

या ऐसा कोई विचार है कि उन्हें ट्रेंड करके बच्चों को योग शिक्षा सिखाई जाए। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 2-3 स्कूलों को तो मैं ही सम्भाल लूंगा क्योंकि मैं भी प्रतिदिन योग करता हूं। कुछ स्थानों पर माननीय सदस्य जो योग करते हैं...(व्यवधान)

अध्यक्षः माननीय सदस्य आपका प्रश्न आ गया है।

श्री रमेश चंद ध्वालाः मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहूंगा कि क्या वह योग के टीचर भर्ती करेंगे?

शिक्षा मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रमेश ध्वाला जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और मैं इनका धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने अपनी सेवाएं देने के लिए कहा है। मैं माननीय सदस्य जी से आग्रह करना चाहूंगा कि यह पहली क्लास माननीय विधायकों से शुरू करें और हम सब को योग की शिक्षा दें। विधायक स्वस्थ रहेंगे तो वे पूरे प्रदेश को स्वस्थ रख सकेंगे। इन्होंने जो प्रश्न किया उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि **'योग' हमारे दृष्टि पत्र का भी हिस्सा है और योग शिक्षा को हम विद्यालयों में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं।** हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय योग विषय में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री दे रहा है। विद्यालयों में योग को विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए या केवल मात्र फिज़ीकल एक्टिविटी के रूप में लिया जाए, इस पर गहन चर्चा हुई है। हमारे विद्यालयों में डी.पी.ई. और पी.ई.टी. शिक्षक बच्चों को मोर्निंग असैम्बली और बैग-फ्री डे के दौरान योग की शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन रेगुलर सब्जैक्ट के रूप में योग को विद्यालयों में पढ़ाया व सिखाया जाए इसके लिए SCERT सोलन को सिलेबस बनाने का कार्य सौंपा गया था। उन्होंने सिलेबस बनाया है और हमारे स्कूल एजूकेशन बोर्ड ने उस पर चर्चा भी की है और अब योग को पूर्ण रूप से सिलेबस में किस तरह इंट्रोड्यूस किया जाएगा उस पर निर्णय लेना है। **ऐसा विचार किया जा रहा है कि इस विषय को 9th से 12th तक पढ़ाया जाए और यदि ऐसा निर्णय होता है तो निश्चित**

05-03-2020/1135/ए.जी.-एन.जी./2

रूप से उसमें योग के शिक्षक भी लगेंगे। इसके लिए विभाग को आर एण्ड पी रूल्ज़ बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं और जब ये रूल्ज़ बन जाऐंगे तब हम निश्चित रूप से विद्यालयों में इसे विषय के रूप में इंट्रोड्यूज करेंगे।

05-03-2020/1135/ए.जी.-एन.जी./3

प्रश्न संख्या-2543

श्री किशोरी लाल (आनी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आनी में लूहरी जल विद्युत परियोजना के प्रथम

चरण का कार्य आरम्भ होने जा रहा है तो उसमें मेरे चुनाव क्षेत्र के युवाओं को भी रोज़गार दिया जाए। इसके अलावा जब यह लूहरी परियोजना शुरू होने जा रही थी तब एक जन-सुनवाई हुई थी उसमें अधिकतर लोगों की मांग थी कि और जिन लोगों की जमीनें अधिग्रहण की गई थी उसमें 8-10 लोगों की जमीनें अधिग्रहण होने से छूट गई थी। लेकिन अब उन जमीनों का कोई लाभ नहीं हो रहा है और उनके मालिक उन्हें उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन जमीनों का भी प्रोजैक्ट के माध्यम से अधिग्रहण किया जाए ताकि लोगों को लाभ मिल सके। इसके अलावा मेरा एक और प्रश्न लगा है कि जो रामपुर का प्रोजैक्ट है और उससे सम्बन्धित जो एम.ओ.यू साइन हुआ था उसमें कहा गया था कि वहां पर बहुत बड़ा पुल लगना है क्योंकि रामपुर बाईपास के क्षेत्र में बहुत जरूरी पुल एम.ओ.यू में साइन हुए थे और जब मैं पिछली बार विधायक था उस समय बड़ोग के साथ एक बड़ा पुल बनाने के लिए 65 लाख की जमीन अधिग्रहण की गई थी लेकिन अब वहां पर छोटा पुल बनाया गया है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वहां पर बड़े पुल का निर्माण किया जाए और बाईपास का भी निर्माण किया जाए जिससे रामपुर और आनी विधान सभा क्षेत्र के लोगों का लाभ मिल सके।

मुख्य मंत्री, श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

05/03/2020/1140/MS/AS/1
प्रश्न संख्याः 2543क्रमागत---

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, यह प्रोजैक्ट 210 मेगावाट का है और इस प्रोजैक्ट की कौस्ट लगभग 1732 करोड़ रुपये की अनुमानित है। माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी दी कि जो प्रभावित परिवार हैं उसमें कुछ लोगों की ज़मीन एक्वायर कर दी गई है और कुछ लोगों की नहीं की है और ऐसी परिस्थिति में वह ज़मीन काश्त के लायक भी नहीं रह गई है। इस पक्ष को हम थोड़ा एग्जामिन करेंगे और जो भी प्रभावित परिवार वहां पर होंगे, उनका आर0एण्ड आर0 प्लान में निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। जो ज़मीन छूटी हुई है अगर उसकी आवश्यकता अनुभव हुई तो एस0जे0वी0एन0एल0 को एक्वायर करने

के लिए हम कहेंगे। लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि उसकी आवश्यकता है या नहीं। लेकिन इसकी आपको स्पेसिफिक जानकारी देनी होगी कि कौन-कौन से ऐसे परिवार हैं। जो दूसरी बात माननीय सदस्य ने पूछी है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि लूहरी परियोजना में पुल प्रस्तावित है और इसके निवेश की मंजूरी मिलते ही हम इसको बनाएंगे। बाकी सारी बातों का जवाब मुझे लगता है कि प्रश्न के उत्तर में विस्तार से दिया हुआ है। इसमें 105 परिवार प्रभावित हैं और आर0 एण्ड आर0 कमेटी का गठन हम जल्दी कर देंगे। फिर आप इन सारे मामलों को उनके सामने उठा सकते हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। हम कोशिश कर रहे हैं कि यह प्रोजैक्ट जल्दी शुरू हो और शुरू होने के बाद हमने इसमें लक्ष्य निर्धारित किया है कि पांच साल के कार्यकाल में इसको बनाकर तैयार भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश में हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हाइडल सैक्टर में हम अच्छा काम कर रहे हैं। यह प्रोजैक्ट काफी उलझनों के बीच से गुज़रते हुए अभी यहां पर पहुंचा है। इसका एम0ओ0यू0 पहले भी हुआ था और फिर बाद में दुबारा हुआ है। अब फाइनली एम0ओ0यू0 होने के बाद हम इसमें आगे बढ़े हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रोजैक्ट हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगा और इसके बनने से प्रदेश को लाभ होगा।

अध्यक्षः अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए काफी हाथ उठ रहे हैं लेकिन मेरा मानना है कि मुख्य मंत्री मंत्री जी ने प्रश्न का काफी विस्तार से उत्तर दे दिया है।

05/03/2020/1140/MS/AS/2

श्री नंद लाल(रामपुर)ः माननीय अध्यक्ष जी, अभी माननीय सदस्य श्री किशोरी लाल जी ने लूहरी प्रोजैक्ट की बात की है। इन्होंने ज़िक्र किया है कि कुछ लोगों की ज़मीन एक्वायर होनी थी यानी कुछेक लोगों को प्रभावित के तौर पर नहीं लिया। हमारे वहां इस प्रोजैक्ट की जो डैम साइट है, वह नीरथ के पास हमारी पंचायत में आती है। मेरा यह कहना है कि जो उसकी इनीशियल स्टेज है यानी नीरथ के पास जो डैम साइट है उसके पास भी पांच-सात ऐसे प्रभावित परिवार हैं। उन प्रभावित परिवारों को इसमें शामिल नहीं किया गया है जबकि वे लोग एकदम फ्रंट में पड़ते हैं। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा, वैसे हमने प्रोजैक्ट वालों से बात की है और हमने कहा है कि किसी तरह से इनको इसमें शामिल किया जाए ताकि उनको वे लाभ मिल सकें जो प्रभावित लोगों को मिलने चाहिए। उनका यही कहना

था कि यह जो डैब्रिस एरिया माना गया है It is not their problem. आप इसको ले रहे हैं और पूरा डैम साइट में आ रहा है तथा इनिशियल स्टेज में वह एरिया लग रहा है तो मेरा मुख्य मंत्री जी से पुनः आग्रह रहेगा कि उन लोगों को भी प्रभावित लोगों में शामिल किया जाए।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, जब प्रोजैक्ट कहीं भी किसी जगह में लगता है तो उनको कितनी ज़मीन की आवश्यकता है, वह सारा प्रोजैक्ट का जो टोटल कम्पोनैंट बनता है यानी सारी चीजों को लेकर जब डी0पी0आर0 बनती है तो वह आमतौर पर उसी पर आधारित होता है। यह बात भी ठीक है कि यह किसी के आग्रह से नहीं होता है कि आप हमारी भी ज़मीन ले लो। जारी जे0के0 द्वारा---------

05.03.2020/1145/JK/AS/1

प्रश्न संख्याः 2543 जारी--

मुख्य मंत्रीः------जारी----------

ले लो, ऐसा सम्भव नहीं हो पाता है, उनकी रिक्वायरमैंट होती है, क्योंकि उस प्रोजैक्ट को वायबल करने के लिए लैंड एक्विजिशन के लिए जब आप जमीन लेंगे तो लैंड एक्विजिशन का पैसा लगता है और उसमें काफी ज्यादा पैसा लगता है, वैसी परिस्थिति में यह भी जरूरी है। इस बात से मैं भी सहमत हूं कि अगर उन लोगों की जमीन प्रोजैक्ट के कारण प्रभावित हो रही है, वहां पर वे कल्टिवेट करने की परिस्थिति में नहीं है, वहां पर रहने की परिस्थिति में नहीं हैं, ऐसे हालात में उस जमीन को एक्वायर करना, एक्विजिशन करना लाज़मी है, क्योंकि वहां पर लोग उस हालात में नहीं रह सकते हैं। विभिन्न कारणों की वज़ह से वहां पर परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि वहां पर रहना मुश्किल हो जाता है। **इस बात पर मैं यही कहूंगा कि जो हमारा एस.जे.वी.एन.एल. है, उनको हम कहेंगे,जैसा माननीय**

सदस्य ने कहा कि वहां पर कुछ परिवार रहते हैं,काश्त करते हैं, उन पर विचार करें। अगर सममुच में वे परिवार प्रभावित की श्रेणी में आते हैं तो उनकी ज़मीन प्रोजैक्ट के कार्य हेतु ली जाए, मैं उन्हें यह अवश्य कहूंगा।

05.03.2020/1145/JK/AS/2

प्रश्न संख्या 2544

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सूचना सभा पटल पर रखी है, मुझे लगता है कि यह इतना गम्भीर मामला है और आज पूरी दुनिया पर्यावरण के बारे में चिंतित है, केंद्र सरकार पर्यावरण के प्रति चिंतित है, प्रदेश सरकार ने भी कई बार कई कार्यक्रमों के माध्यम से इसमें चिन्ता जाहिर की है लेकिन जो उत्तर यहां पर आया है, उससे ऐसा लगता है कि विभाग इस प्रश्न को ऐसे ही निपटाना चाहता है। मूल प्रश्न के अंत में इन्होंने कहा कि भूमि कटान का कोई भी केस सरकार के ध्यान में नहीं आया है। माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा कि विभाग के ध्यान में यह मामला कब आएगा? अगर खैर का कटान होगा तो फोरैस्ट डिपार्टमैंट के बिना मार्किंग के नहीं होगा। अगर मान लो हमारी निजी भूमि में भी और कुछ हमारी फोरैस्ट लैंड है, जिसमें पहाड़ी में कशमल बोलते हैं, उसके पौधे लगे हैं और जिसको आयुर्वेदा में दारू हल्दी बोलते हैं, बड़े पैमाने में वह कशमल उखाड़ी जाती है, उसका परमिट वन विभाग देता है। वह जड़ों से निकाली जाती है नहीं तो वह दवाई के काम नहीं आती । एक तो डिपार्टमैंट अपने आप जड़ से उखाड़ने की इजाजत देता है, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि हमने खैर निकाल देने हैं और वहां पर फलदार बूटे लगाने हैं, उसमें भी फोरैस्ट डिपार्टमैंट परमिशन देता है। जड़ पटान करके हमेशा-हमेशा के लिए खैर का जो पेड़ कटता है, वह खत्म हो जाता है। आपके डिपार्टमैंट की प्रक्रिया ऐसी है और आप कह रहे हैं कि हमारे ध्यान में कुछ चीज नहीं आई? दूसरे, जो हमारे और पेड़ हैं, जैसे देवदार हैं और चील के पेड़ हैं जो कट रहे हैं, आपने

कहा कि 15 सैं0मी0 से 23 सैं0मी0 के ऊपर उनको काटा जाता है। लेकिन उसके बाद इसको निकाल करके इसका जो तना है, उसको निकाल करके लोग उसको भी बेच रहे हैं। कुल्लू जिला में अखबारों में भी आया कि बड़े-बड़े ढेर लगे हुए थे, देवदार के तने उखाड़े गए। लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं कि विभाग के ध्यान में नहीं है। माननीय अध्यक्ष

05.03.2020/1145/JK/AS/3

महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस इशू पर बड़ी गम्भीरता से सोचा जाए और यह जो दाएं-बाएं से आप परमिशन्ज़ दे रहे हैं, आप जड़ पटान की भी परमिशन दे रहे हैं, आप दारू हल्दी की भी परमिशन दे रहे हैं और आप देवदारों के तनों को निकालने की भी परमिशन दे रहे हैं, उससे जमीन कट रही है और जमीन कटने के बाद उसका बहुत बड़ा खतरा हमारे पर्यावरण को हो रहा है। कृपया मंत्री जी डिपार्टमैंट को कहें और आदेश करें कि इसके लिए कोई पॉलिसी बनाएं कि कैसे इस जमीन का कटान रोका जाए?

मंत्री जी एस.एस. द्वसरा जारी ---

05.03.2020/1150/SS-DC/1

प्रश्न संख्या : 2544 क्रमागत

वन मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठाकुर राम लाल जी ने जो कहा उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि ठाकुर साहब बहुत सीनियर मैम्बर हैं, डिपार्टमैंट पूरी तरह से गम्भीर है और यदि लगता है कि डिपार्टमैंट ने जिम्मेवारीपूर्वक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है तो हम यह कहने में भी संकोच नहीं करते कि हम उसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं। आपका प्रश्न यह है कि क्या वन क्षेत्रों में वृक्षों को तने समेत जड़ से उखाड़ा जा रहा है जिस कारण भूमि कटाव हो रहा है? यदि हां, तो इसे रोकने हेतु सरकार क्या पग उठा रही है? आपने जो कहा है हम उसके बारे में पूरी तरह से गम्भीर हैं। दूसरा, आपने इसमें भूमि कटाव की बात कही है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वन क्षेत्रों में किसी भी तरह से ग्रीन

फैलिंग की परमिशन नहीं है। वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहले से ही प्रतिबंधित है। दूसरा, मुद्दा यह है कि ये जो स्टंप्स निकालते हैं यह केवलमात्र देवदार के पेड़ के स्टंप्स निकालने की बात होती है। इसमें जो स्टंप्स दिया जाता है वह 2017 में सरकार की जो पॉलिसी थी, वह उसके अंतर्गत आता है। मैं एक जानकारी आपके ध्यान में लाना चाहूंगा कि जिन कम्पनीज़ को दिया जाता है, अभी इस सरकार ने किसी नयी कम्पनी को रजिस्टर नहीं किया है जिसको इसे दे रहे हैं। इसमें कोई 7 कम्पनियां ऐसी हैं जो 2017 से पहले थीं और उसके अलावा जो 6 कम्पनियां हैं वे भी 2017 से पहले की हैं। इस प्रकार 2017 से पहले की 13 कम्पनियां काम कर रहीं हैं।

अगला इश्यू है कि जो प्राइवेट ज़मीन पर खैर की अनुमति देते हैं उसमें पॉलिसी के अंतर्गत यह है कि जड़ समेत उखाड़ने का काम केवल मात्र तब दिया जाता है अगर प्राइवेट ज़मीन का मालिक यह कहता है कि मैंने खेती-बाड़ी करनी है या कोई वृक्ष लगाना है। यह उसकी डिमांड पर दिया जाता है। वरना यदि वह बिना परमिशन के इस काम को करता है तो वह गलत है। उसके बावजूद मैं माननीय सदस्य को कहूंगा कि यदि कोई स्पैसिफिक केसिज़ हैं जहां पर लगता है कि बिना परमिशन और बिना कानूनी प्रक्रिया के जड़ समेत पेड़ उखाड़े हैं तो उन्हें निश्चित रूप से ध्यान में लाएं। डिपार्टमैंट उसमें कार्रवाई करने से कोई गुरेज नहीं

05.03.2020/1150/SS-DC/2

करेगा। **आपने भूमि कटाव के बारे में भी कहा है। अगर इसके कारण से भूमि कटाव हो रहा है और कोई स्पैसिफिक मामला ध्यान में आता है तो उसको विभाग के ध्यान में लायेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे और भूमि कटाव को रोकने के लिए जो भी करना होगा, वह भी हम करेंगे।**

श्री राम लाल ठाकुरः माननीय मंत्री जी, जो सरकारी वन हैं उनके बारे में ज्यादा चिन्तित हैं। परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि वन की परिभाषा में प्राइवेट फॉरैस्ट भी आते हैं। मान लो, जिस ज़मीन के ऊपर वन खड़े हैं वे चाहे फॉरैस्ट लैंड रिकॉर्डिड हों या किसी की घासनी हो तो उसके ऊपर सारे-के-सारे कानून लागू होते हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि ये जो कशमलों को निकाल के और जड़ पटान करके सारी ज़मीन उखाड़ी जा रही है और बड़ी-बड़ी कम्पनियों को आप इसे बाहर भेजने की परमिशन दे रहे हैं तो वह आपका फॉरैस्ट

डिपार्टमैंट ही दे रहा है। आप क्या यह बोलेंगे कि वह प्राइवेट लैंड से है इसलिए हमने परमिशन दे दी? दूसरा कई लोग यह करते हैं कि लिखकर देते हैं, पटवारी की नकल लगायेंगे, आपके डी0एफ0ओ0 के पास भेजेंगे और यह कहेंगे कि हमने फलदार पौधे लगाने हैं इसलिए हमने खैर का पौधा काटना है। क्या आपने कभी सर्वे करवाया कि जिनको परमिशन दी क्या उन्होंने आगे फलदार पौधे लगाए भी हैं? वे आपकी फाइलें तो पूरी कर देते हैं लेकिन ज़मीन के ऊपर कोई फलदार पौधे नहीं लगते क्योंकि उन्होंने जड़ पटान करना है। उसकी आपने परमिशन दे दी। आगे को दोबारा खैर की लकड़ी नहीं होगी क्योंकि उसका जड़ पटान कर दिया। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इसके बारे में और ज्यादा गम्भीरता से सोचें। अगर भूमि का कटान होगा तो आपको पर्यावरण के बारे में भी चिन्तित होना चाहिए क्योंकि आपके पास फॉरैस्ट डिपार्टमैंट है। ग्रीनरी लाना भी आपकी ड्यूटी बनती है। पर्यावरण को बचाने के लिए आपको सख्त-से-सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। मैं यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय कृपा करके इन सारी बातों को ध्यान में रखें, क्या आप इसके ऊपर कदम उठायेंगे?

माननीय मंत्री जारी श्रीमती के0एस0

05.03.2020/1155/केएस/डीसी/1

प्रश्न संख्याः 2544 जारी---

वन मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि देवदार स्टम्प्स से सीडार ऑयल निकालने की 06.02.2017 की अधिसूचित पॉलिसी थी जिसको जब पूर्व सरकार थी, उसके द्वारा 23.02.2017 को संशोधित किया गया है। और जो ये 13 कम्पनीज़ की सूची है, अगर आपको चाहिए तो आपको उपलब्ध करवा देंगे। ये सारी की सारी आपके समय की हैं, इस सरकार के समय कोई भी नहीं है। ...(व्यवधान) यदि उसके बावजूद इसमें कोई संशोधन की जरूरत लगती है, पर्यावरण ठीक रहे, ...(व्यवधान) राम लाल ठाकुर जी, आप बैठे-बैठे क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं प्यार से आपको विस्तृत उत्तर दे रहा हूं, आप बहुत सीनियर हैं। इसमें यह है कि जो तीन पौधे उनको लगाने होते हैं, प्राइवेट जमीन में जैसे आपने कहा कि यदि कोई व्यक्ति यह ऐफ़िडेविट देता है कि मैंने

यहां पर फलदार पौधे लगाने हैं या खेतीबाड़ी करनी है, यदि वह नहीं लगाते तो निश्चित रूप से विभाग को इस पर ध्यान देना चाहिए। पर्यावरण की रक्षा करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम यह भी विचार करेंगे कि अगर इस पॉलिसी में कोई अमैंडमैंट की गुंजाइश है, जो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है, निश्चित रूप से उस पर भी हम विचार करेंगे।

05.03.2020/1155/केएस/डीसी/2

प्रश्न संख्या 2350

श्री हर्षवर्धन चौहानः अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? इसमें हमारे प्रश्न नहीं लगे और आप प्रश्न संख्या 2350 पर पहुंच गए?

अध्यक्षः मुझे लगता है कि इसमें कुछ क्लैरिकल मिस्टेक है और हमारे लैपटॉप में भी ऐसा ही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं भी देख रहा था कि यह कोरिलेट नहीं हो पा रहा है। कुछ प्रश्न जो हमारे पास लैपटॉप है, इसमें मिसिंग है लेकिन अध्यक्ष महोदय, फिर भी आपने इस प्रश्न को लगाया है तो मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री जीत राम कटावालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसे कि तीव्र गति से शहरीकरण हो रहा है, हर व्यक्ति गांव से सड़क के किनारे या शहरों के आसपास अपना घर और अपनी रिहायश बनाने का शौक रखता है और हम गांव में भी शीघ्रातिशीघ्र शहरीकरण की तरफ़ बढ़ रहे हैं। आम तौर पर देखा गया है कि जो बिजली की तारें हैं, लोगों के मकान बनाने या जो उनके मकान बने हुए हैं, उनकी दूसरी मंजिल बढ़ाने के लिए ज्यादातर विभाग के पास, विधायकों के पास आवेदन आते हैं कि इस लाइन को चेंज करवाइए या इसको आगे या पीछे करिए। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन रहेगा कि क्या सरकार इसके बारे में कोई विचार रखती है, या कोई पॉलिसी

बनाएगी कि कम से कम सब डिविज़नल हैड क्वार्टर्ज़, तहसील हैड क्वार्टज़ पर अंडर ग्राउंड केबल सिस्टम को लागू करने के लिए कोई प्रयास किए जाएंगे ताकि लोगों को इस समस्या से निज़ात मिले और बार-बार खम्भे बदलने या बिजली के स्ट्रक्चर को आगे-पीछे करने की प्रक्रिया से निज़ात मिले?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि आमतौर पर अभी तक हिमाचल प्रदेश में बिजली के खम्भे और तारें उन पर तारें हैं और इस प्रकार से हमारी

05.03.2020/1155/केएस/डीसी/3

ट्रांसमीशन की व्यवस्था चलती है। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि बहुत से लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, ज़मीन उपलब्ध नहीं है, उनकी जमीन ऐसी जगह है जहां से बिजली की तारें जाती हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर वहां पर अंडर ग्राउंड केबल का प्रोविज़न किया जाए तो उन लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, तो मैं यही कहना चाहता हूं कि,

श्रीमती अ0व0द्वारा जारी--

05.03.2020/1200/av-hk/1

मुख्य मंत्री------ जारी

हमारा जो वर्ल्ड बैंक का प्रस्तावित प्रोजैक्ट है हम उस पर विचार करेंगे। अभी तक स्मार्ट ग्रिड में आने की जो सम्भावना बनी है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। Smart grid has been proposed in various towns of Himachal Pradesh under External Aided Projects from World Bank. The preliminary project proposal in principle has been approved by the Central Level Screening Committee of Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India, wherein provision for underground distribution system has been proposed for various towns, namely, Mandi, Bilaspur, Sundernagar, Kullu, Manali, Una, Hamirpur,

Nalagarh, Baddi, Parwanoo, Solan, Paonta Sahib and Nahan. The preparation of DPR is under process and will be finalized once funding agreement is tied-up.

इसमें आपके द्वारा पूछी गई जानकारी का ज़िक्र नहीं है मगर फिर भी हम इसको टेकअप करेंगे।

प्रश्न काल समाप्त

05.03.2020/1200/av-hk/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण, वर्ष 2019-20 की प्रति सभा पटल पर रखेंगे ।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2019-20 का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता हूं जो कि इस प्रकार से हैः-

हिमाचल प्रदेश की विकास दर वर्ष 2019-20 में 5.6 प्रतिशत अनुमानित है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2018-19 में 1,83,108 रुपये तक पहुंच गई है। जिसका वर्ष 2019-20 में मु0 12,147 रुपये से बढ़कर लगभग 1,95,255 रुपये तक पहुंचने का अनुमान है जो कि 6.6 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्शाता है। प्रचलित भावों पर राज्य का सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 2018-19 में 1,53,845 करोड़ रुपये हो गया है तथा अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में मु0 11,627 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 1,65,472 करोड़ रुपये होने की सम्भावना है जो कि 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष 2019-20 में माह अप्रैल से दिसम्बर 2019 तक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है। राज्य में 768 मध्य व बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयां तथा 54310 लघु पैमाने की औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं। बागवानी उत्पादन में 42.82 प्रतिशत की वृद्धि के कारण

समग्र प्राथमिक क्षेत्र में 9.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज़ की गई है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 7 प्रतिशत है जो काफी महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या वर्ष 2004 में 6.55 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2019 में 17.21 मिलियन हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सेवाओं पर व्यय वर्ष 2014-15 में मु0 7,973 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2019-20 में मु0 15,156 करोड़ रुपये होना अनुमानित है। सकल घरेलू उत्पाद के रूप में राज्य द्वारा सामाजिक सेवाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य व अन्य पर व्यय वर्ष 2014-15 से वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान 7.68 प्रतिशत से बढ़कर 9.16 प्रतिशत हो गया।

टी सी द्वारा जारी

05.03.2020/1205/TCV/HK-1

मुख्य मंत्री....जारी

अध्यक्ष महोदय, मैंने आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य सार प्रस्तुत किया है, पूर्ण ब्योरे का संकलन माननीय सदन में प्रस्तुत कर दिया गया है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय शिक्षा मंत्री कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

शिक्षा मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 की धारा 37(2) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

05.03.2020/1205/TCV/HK-2

<u>गैर-सरकारी सदस्य कार्य</u>

अध्यक्ष : आज गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस है। अब श्री राकेश जम्वाल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री राकेश जम्वाल (सुन्दरनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूंः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार खेल नीति बनाने पर विचार करे ।"

अध्यक्ष : संकल्प प्रस्तुत हुआ कि यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार खेल नीति बनाने पर विचार करे।

अब माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी चर्चा में हिस्सा लेंगे। आप को 15 मिनट का समय दिया जाता है और प्रस्तावक को अपनी बात 5-8 मिनट में पूर्ण करनी होगी क्योंकि बोलने वाले माननीय सदस्यों की लम्बी सूची यहां पर आई है। इसका समय निर्धारित है।

श्री राकेश जम्वाल : अध्यक्ष जी, खेलों का हमारे जीवन में बहुत महत्व हैं। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि फिटनैस हमारे कल्चर का अभिन्न अंग रहा है लेकिन वर्तमान में, टैक्नोलॉजी के ज़माने में हमारा लाइफ-स्टाइल बदल गया है। जिससे व्यक्ति आज चलने में भी परहेज़ करता है और उसको छोटी उम्र में ही अनेकों प्रकार की बीमारियां

लग जाती हैं। इस बात से यह सिद्ध होता है कि खेलों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। ऋषियों द्वारा बहुत वर्षों से योग हमारे देश में किया जाता रहा है और ऋषियों ने इसको प्रोत्साहन भी दिया है। आज योग के मामले में हमारा देश विश्व गुरू है।

(माननीय उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में अनेकों प्रकार की प्रतिभाएं खेल जगत में हैं लेकिन उनको आगे कैसे बढ़ाया जायें और हिमाचल प्रदेश में, इस दिशा में क्या-क्या हो सकता है? हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स के प्रति विद्यार्थी स्कूलों से ही आगे बढ़ें और स्कूलों में खेलने की अच्छी सुविधा हों। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में अनेकों फिजिकल एजुकेशन टीचर्ज़,पी0टी0आइज0 व डी0पीज0 के सैंकड़ों पद खाली हैं। ये वर्षों से खाली चल आ रहे हैं, यह साल-दो साल की बात नहीं है, बहुत समय से इन पदों को भरा नहीं जा रहा है।

एन.एस. द्वारा ... जारी

05-03-2020/1210/NS/YK/1

श्री राकेश जम्वाल ..... जारी

हम देखते हैं कि फिज़िकल एजुकेशन टीचर का काम मोर्निंग असैंबली में सिर्फ कदमताल करवाने तक ही सीमिति रह गया है। हम उनकी भी जिम्मेवारी फिक्स करें। स्कूलों में बच्चों को स्कूली स्तर पर ही खेलों में आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर हिमाचल देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेगा। अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में जो टूर्नामैंट होते हैं और उनमें जब विद्यार्थी आते हैं तो मुझे जानकारी है कि डाइट मनी के रूप में जिला स्तर का जो टूर्नामैंट होता है उसमें मात्र 60 रुपये दिए जाते हैं। इन 60 रुपयों में उसके ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की व्यवस्था होती है। जिस स्थान पर टूर्नामैंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो वहां की स्थानीय जनता मदद करती है। वहां जो भी स्कूल हों या Head of the institution और वहां के लोग टूर्नामैंट ऑर्गेनाइज़ करने में मदद करते हैं। अगर इस प्रकार की व्यवस्था आज हमारे स्कूलों में होगी तो हम किस प्रकार से खेलों को बढ़ावा दे सकते हैं? आप खुद अंदाजा लगाएं कि वर्तमान युग में भी 60 रुपये डाइट मनी एक खिलाड़ी को दी जाती है। यह बहुत चिंता का विषय है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री आदरणीय जय राम ठाकुर जी का

धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में हम इस डाइट मनी को बढ़ाएंगे ताकि हमारे खिलाड़ियों को अच्छा आहार दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, गेम जिम में हिमाचल की स्ट्रैंथ है। ऐसी खेलें जो हमारे गांव में चाहे वह कुश्ती,कबड्डी, हॉकी, वालीबॉल या बोक्सिंग हो हमें इन खेलों की तरफ विशेष ध्यान देना होगा। सुविधाएं न होने के बावजूद भी मेरे क्षेत्र सुन्दरनगर का एक युवा आशीष चौधरी ओलम्पिक कवालिफाइर में प्री-क्वाटर फाइनल में पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में बोक्सिंग में यह पहला हिमाचली खिलाड़ी है जो इस लैवल पर पहुंचा है। मैं उनके परिवार को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सुन्दरनगर जैसे स्थान से निकला हुआ यह युवा आज हिमाचल प्रदेश का नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा कर रहा है। वहां पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी लेकिन हमने बार-बार यह मामला माननीय मुख्य मंत्री व माननीय मंत्री जी से उठाया है। आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि सुन्दरनगर में लगभग 12 करोड़ रुपये की लागत से एक इंडोर स्टेडियम बनने जा रहा है। इसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय मंत्री जी

05-03-2020/1210/NS/YK/2

का धन्यवाद करता हूं। जब ऐसा इंडोर स्टेडियम मेरे क्षेत्र में बन जाएगा तो हर मौसम में युवा खिलाड़ी वहां पर प्रेक्टिस कर सकता है, चाहे मौसम बरसात, सर्दी या गर्मी का हो। वहां पर हर मौसम में युवा खिलाड़ियों को प्रेक्टिस करने और खेलने की सुविधा मिल सकती है। वहां पर कोई सुविधा नहीं थी उसके बावजूद भी नौज़वान खिलाड़ी आशीष चौधरी आज इस लैवल पर सुन्दरनगर व हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर रहा है। मैं इस माननीय सदन में बताना चाहूंगा कि सुन्दरनगर में नरेश ठाकुर नाम के बोक्सिंग के कोच जिन्होंने पूरे देश को अनेकों बोक्सर दिए हैं, आशीष चौधरी भी उन्हीं का शिष्य है। ऐसे कोचिज़ जिनको हम कुछ मान सम्मान दें, आज हिमाचल सरकार ने इनको मान सम्मान के रूप में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के नाते अपनी सेवाएं देने का मौका दिया है। इसके लिए मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी व माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में सुविधाओं की कमी है। यहां पर खेल गांव विकसित किये जाने चाहिए। एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं हमारे युवाओं व खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए। साथ लगते प्रांत हरियाणा में खेल गांव विकसित किया गया है। क्या हिमाचल इस प्रकार का खेल गांव विकसित नहीं कर सकता है?

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

05.03.2020/1215/RKS/YK-1

श्री राकेश जम्वाल... जारी

जहां एक ही स्थान में खिलाड़ियों को खेलने की सारी सुविधा मिल सके। अगर हम अपने पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना करें तो हिमाचल प्रदेश में खेल बज़ट मात्र 34 करोड़ रुपये है जिसमें सैलरी भी शामिल है। हरियाणा में खेलों के लिए 400 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान है। हम मात्र 34 करोड़ रुपये से खेलों को कैसे बढ़ावा देंगे यह चिंता का विषय है। हम चाहते हैं कि खेल बजट में इज़ाफा होना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने इस तरफ विशेष ध्यान दिया है। माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने खिलाड़ियों को मान-सम्मान देने के लिए अनेकों प्रयास किए हैं। जो माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने 'फिट इंडिया मुवमैंट' के साथ खेलों को जोड़ा है वह हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। क्योंकि जब इंडिया फिट होगा तथी इंडिया हिट होगा । 'फिट इंडिया' का नारा इसलिए दिया है ताकि हर व्यक्ति स्वस्थ हो। अस्वस्थ होने के कारण देश ने बड़े-बड़े महान नेताओं को खोया है। इस सदन में चुने हुए सदस्य बैठे हैं। अनेकों प्रकार का प्रैशर इनके ऊपर रहता है और ये सुबह से शाम तक तनाव में रहते हैं। तनाव दूर करने या अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए यदि हमें कोई खेल खेलनी होगी तो विधान सभा परिसर में इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि इस परिसर में इस प्रकार की सुविधा हो। जब माननीय सदस्यों को थोड़ा समय मिले तो वे अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें तभी हमारा प्रदेश व देश आगे बढ़ेगा। 'फिट इंडिया मुवमैंट' के अंतर्गत सभी पंचायतों में ओपन एयर जिम लगाए जाएं और वहां युवा खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने का मौका मिले। जो प्रोफैशनल खिलाड़ी नहीं हैं वे भी उस ओपन एयर जिम में जाकर व्यायाम कर सकते हैं। जो खिलाड़ी हमारे प्रदेश व देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, उनका भविष्य क्या है? जब तक हमारे नौजवानों का भविष्य सुनिश्चित

नहीं होगा तब तक युवाओं का ध्यान खेलों की ओर नहीं बढ़ेगा। हम चाहते हैं कि युवाओं को खेलने की सुविधा मिले। खिलाड़ियों को इंडोर स्टेडियम और अनेक प्रकार की आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। आज हिमाचल प्रदेश में युवा नशे की ओर बढ़ रहा है जो कि एक चिंता

05.03.2020/1215/RKS/YK-2

का विषय है। जब नौजवानों का ध्यान खेलों की तरफ केंद्रित होगा तो वे नशे से दूर रहेंगे। खेल खलने से हमारे युवाओं में अनेकों प्रकार की कुशलता आती हैं और उन्हें नशे से दूर रहने की प्रेरणा भी मिलती है। लेकिन यह चिंता का विषय है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाएं दिखाने के बाद भी हम उन नौजवानों के भविष्य को सुरक्षित नहीं रख सकते। उनको भी अपने परिवार का पालन-पोषण करना है और इसके लिए जरूरी है कि उनका विशेष ध्यान रखा जाए। आज हिमाचल प्रदेश में प्रशिक्षक, डी.पी. और पी.टी.आई. के अनेकों पद खाली पड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि इन पदों को भरने के लिए सरकार कोई ठोस नीति बनाए। इन पदों के भरने से जहां खिलाड़ियों को रोज़गार के अवसर मिलेंगे वहीं हिमाचल प्रदेश में खेलों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

05.03.2020/1220/बी.एस./ए.जी./-1

श्री राकेश जम्वाल जारी..

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम जिस प्रकार से यहां पर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग पर्यटन विभाग देखता है। हमारा मानना है कि यह भी Mountaineering Institute के अंडर इनको कर दिया जाए तो निश्चित तौर पर हमारी इन एडवैंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा। आज पर्यटन विभाग के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसके मुताबिक इन एडवैंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा सकें। यदि हम इन सारी चीजों को Mountaineering Institute के

अंडर करेंगे तो हमें इसमें अवश्य लाभ मिलेगा। मेरा यह मानना है कि हिमाचल प्रदेश में हम चाहते हैं कि इन खेलों को बढ़ावा मिले। हमारी अच्छी खेल नीति बने। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में ईश्वर की कृपा से सब कुछ है। हमारा युवा पूरी तरह से स्वस्थ है लेकिन हम उसे सुविधा प्रदान करने में नाकामयाब हैं। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह की खेल नीति बनें जिससे हमारा युवा खेले और खेलने के बाद अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करे। अपने प्रदेश के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मैडल ले करके आए। इन सब के लिए उन्हें सारी सुविधाएं मुहैया बरवानी पड़ेगी। इसके साथ-साथ उनके भविष्य को भी सुनिश्चित करना होगा कि यदि वे खेल खेलेंगे तो उनका भविष्य भी सुरक्षित हो और अपने परिवार का भी पालन पोषण कर सकें। इस प्रकार से अच्छी खेल नीति हिमाचल प्रदेश में बने ऐसा मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष : इस विषय पर अभी तक 10 माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लेना है और मंत्री महोदय का जवाब भी आना है। इसलिए सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन रहेगा कि वे 5 मिनट में अपनी बात रखें। अब माननीय सदस्य सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगे।

05.03.2020/1220/बी.एस./ए.जी./-2

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु (नदौन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राकेश जम्वाल जी ने जो युवाओं को खेल में अपनी भागीदारी बढ़ाने से संबंधित संकल्प लाया है मैं उस संकल्प पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं। दो वर्ष पहले आदरणीय गोविन्द ठाकुर जी ने कहा था कि हम इस विधान सभा में खेल नीति ले करके आएंगे और जब तक खेल नीति नहीं आती है तब तक उसका ज्यादा नुकसान होता रहता है। इस खेल नीति के न आने का क्या कारण है? क्योंकि राजनीतिक दबाव के कारण यह खेल नीति नहीं आ रही है। जो खेल नीति में राजनीतिक हस्तक्षेप है उसके कारण खेल नीति को यह सरकार नहीं लाना चाहती है। आपने बहुत अच्छा संकल्प लाया है। मैं कुछ बातें माननीय सदन के ध्यान में

लाना चाहता हूं जो यहां खेल नीति है उसमें आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का बहुत अहम रोल है। जितने भी खेल संस्थान बने हैं उन सभी पर आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का हस्तक्षेप है। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी की प्रदेश में खेल नीति के कारण इस प्रदेश के खिलाड़ियों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। अब कैसे हस्तक्षेप होता है? जितने भी खिलाड़ी चाहे स्कूल से निकलते हैं या किसी अन्य खेल संस्थान से निकलते हैं उनका चयन कौन करेगा? सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। जब तक सरकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं होगा और इन खेल संस्थानों पर सरकार का कोई शिकंजा नहीं कसा जाएगा तब तक इस खेल नीति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमने सही मायने में हिमाचल के युवाओं को आगे लाना है तो इस खेल नीति को लाना होगा। इसके अलावा जो माननीय जम्वाल साहब ने कहा है कि हमें सीमेंट की बोरी और शराब की बोतल पर एक रुपए का स्पोर्ट्स सैस लगाना चाहिए। जो 34 करोड़ रुपए का बजट इस समय रखा गया है इस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम प्रदेश में किस जिला में कौन सी खेल खेलना चाहते हैं, किसकी क्या रुचि है? उस संदर्भ में भी पूरा विचार-विमर्श होना चाहिए। जो हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

05.03.2020/1225/DT/AG-1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जारी...

उसमें कई जगह पहाड़ी क्षेत्र है, कई जगह मैदानी क्षेत्र है। इसमें कोई दोराय नहीं कि अगर हम जिला अनुसार खेलों का भी अध्ययन करें तो खेलों से जुड़े हमारे नौजवान हैं उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। किस प्रकार खेल किस ज़िला में खेला जाये और जो हमारे प्रदेश की लड़कियां है वह किस प्रकार खेल में ज्यादा भागीदारी बन सकती हैं, यह हमें देखना होगा। जब तक हम राज्य स्तर एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में नहीं जायेंगे, इण्टर नैशनल स्तर की प्रतियोगिता में नहीं जायेंगे तब तक इस खेल नीति को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। मैं, श्री राकेश जम्वाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं

कि विधानसभा क्षेत्र अनुसार, काम्यूनिटी वाइज़ एक खेल परिसर होना चाहिए। जिसमें बैडमेन्टन, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस इन सब खेलों की सुविधा होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि विधायक को अपनी विधायक निधि से और सरकार के द्वारा बजट का प्रावधान कर एक कम्पलीट खेल परिसर बनना चाहिए विधानसभा क्षेत्र अनुसार बनना चाहिए तभी खेलों को बढ़ावा दिया जा सकता है। मैं एक और बात कहना चाहूंगा अभी तक हिमाचल प्रदेश ने एशिया लैवल पर, नैशनल लैवल पर कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसमें हमने प्रथम स्थान प्राप्त किया हो। अगर हम प्राईज मनि को बढ़ा देते हैं, राज्य स्तर पर यदि कोई भी खिलाड़ी खेलता है उसकी प्राईज मनि को बढ़ातें हैं तो इससे युवाओं का रूझान खेलों की ओर बढ़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्राईज मनि को बढ़ाते हैं उससे युवाओं को खेलों के प्रति रूझान और बढ़ेगा। इण्टरनैशन स्तर पर अगर एशियाड या ऑलम्पिक स्तर खेलों के लिए जैसे अगर हम एशियन खेलों के लिए तीन करोड़ की प्राईज मनि रखते हैं और ऑलम्पिक के पांच करोड़ की प्राईज मनि रखते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वालों के लिए अगर 50 लाख की प्राईज मनि हम रखतें हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे देश का युवा निश्चिततौर पर खेलों की और अग्रसर होगा। यहां सिर्फ एक खेल है वह है क्रिकेट का। क्रिकेट का खेल इसलिए पॉपुलर है क्योंकि उसमें ज्यादा धन मिलता है और जो दूसरे खेल है जैसे एथलैटिकस है, चाहे हॉकी है, चाहे फुटबाल है, जितने भी खेल जो ऑलम्पिक खेल से सम्बद्ध है उसमें हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा धन नहीं मिलता। इसलिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए जहां डाईट मनी बढ़ाने की बात आपने कही है कि आज खिलाड़ियों को 60 रूपये डाईट मनी दी जा रही है, मैं समझता हूं कि इस डाईट मनी को भी बढ़ाकर 200 रूपये करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मन्त्री जी बजट प्रस्तुत करने जा रहें है, हम

05.03.2020/1225/DT/AG-2

चाहेंगे कि वह बजट में इन चीज़ों को शामिल करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्षः माननीय वन मन्त्री जी क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं?

वन मन्त्रीः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने अपनी बात कही। बहुत अच्छा कहा लेकिन एक बात जो आपने कही कि राजनीतिक हस्तक्षेप है।

दूसरा, आपने कहा कि माननीय अनुराग ठाकुर जी का नाम लिया है कि उनका कब्जा है। मुझे लगता है कि हमारे नियम में ऐसा है कि जो इस सदन में नही है उनका नाम लेकर कहना उचित नहीं है। ...(व्यवधान) माननीय सुक्खु जी, कृपया मेरी बात सुनिए।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आपकी तरफ से अभी उत्तर आना है इसलिए उस वक्त आप कह सकते हैं।

वन मन्त्री : देखिए, जो इस माननीय सदन में नहीं है उसका नाम लेना उचित नही है।

उपाध्यक्षः आप चर्चा में दोनों तरफ से भाग ले रहे हैं इसलिए मेरा निवेदन है मैं वयवस्था दे रहा हूं ।प्लीज आप बैठे। मेरा सभी से निवेदन है दोनों तरफ से चर्चा होनी है। माननीय मुख्यमन्त्री जी उतर देंगे। आप उसमें विषय को रख सकते हैं। अब माननीय विधायक बिक्रम सिंह जरयाल जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बिक्रम सिंह जरयाल (भटियात) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो गैर सरकारी सदस्य दिवस है उसमें हमारे आदरणीय सदस्य राकेश जम्वाल जी ने इस माननीय सदन में युवाओं को खेल में प्रोत्साहित करने के लिए जो प्रस्ताव लाया है उसमें मैं अपने आपको भी शामिल करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे स्कूलों में हर साल चाहे प्राथमिक स्कूल, मिडल स्कूल, हाई स्कूल तथा कॉलेज स्तर पर खेल गतिविधियां होती हैं। हम लोग भी वहां पर जाते हैं और हम भी खेल संबंधी वहां पर बाते करते हैं कि यहां यह होना चाहिए वह होना चाहिए। मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं।

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

05-03-2020/1230/ए.एस.-एन.जी./1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी...

अपनी सरकार का जिन्होंने डाइट मनी जो पहले 60-70-80 रुपये हुआ करती थी उसको बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि खेलो इंडिया कार्यक्रम जोकि आदरणीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय खेल राज्य मंत्री द्वारा चलाया गया है उसके

माध्यम से हमारा एक नौजवान जूनियर वेट लिफ्टिंग में कई गोल्ड मैडल और सिल्वर मैडल लेकर आया जिसका नाम श्री कल्याण सिंह है। उन्हें माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी प्रोत्साहित किया है और उन्हें प्रोत्साहन राशि दी गई है व हमने भी कुछ राशि उन्हें अपनी तरफ से दी है। अब वे ओलम्पिक की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही मेरी विधान सभा क्षेत्र से सम्बन्ध रखने वाले और आर्मी से रिटायर कैप्टन बी.एस. थापा जी को 45जी.आर. से बॉक्सिंग में अर्जुन अवार्ड है। बहुत अच्छा लगता है जब स्पोर्ट्स में कोई ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। क्रिकेट स्टेडियम की बात चली है तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं उनका जो आज केन्द्र में राज्य मंत्री जी हैं, उन्होंने धर्मशाला में बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया है, वहां पर दूर-दूर से लोग आते हैं और वहां पर क्रिकेट के मैच देखते हैं। बिलासपुर में भी एक लुगुणु नामक स्थान पर क्रिकेट का मैदान बनाया और शिमला में भी एक मैदान बनाया है। इसलिए मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न किए हैं। हमारे हिमाचल प्रदेश से बी.सी.सी.आई. के अध्यक्ष रह चुके हैं और धर्मशाला में एच.पी.सी.ए. क्रिकेट स्टेडियम उन्हीं की देन है। आज भी बी.सी.सी.आई के कैशियर हमारे हिमाचल प्रदेश से ही हैं। साथ ही मैं एक-दो चीजें और बताना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी भी यहां पर बैठे हुए हैं, खेलो इंडिया के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में 3 स्टेडियम (चुवाड़ी और तिरमथ) के लिए पैसा 75 लाख रुपये मिले हैं। मोहतला में स्टेडियम बनाने के लिए 50 लाख रुपये मिले और परछोड़ (आदर्श पंचायत जोकि आदरणीय शांता कुमार जी ने गोद ली थी) में स्टेडियम बनाने के लिए 12 लाख रुपये मिले हैं। इन सभी में लैंड ट्रांसफर का प्रोसैस बहुत स्लो है और आज साढ़े तीन साल हो गए हैं

05-03-2020/1230/ए.एस.-एन.जी./2

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस लैंड को ट्रांसफर किया जाए। इसके लिए पैसा स्वीकृत है और लोक निर्माण विभाग के पास पड़ा है परन्तु लैंड ट्रांस्फर नहीं हो रही है। मेरा आग्रह है कि इसके लिए जल्दी कार्रवाई करें ताकि ये मैदान तैयार करके अपने युवा खिलाड़ियों को समर्पित कर सकें और उनकी रुचि स्पोर्ट्स में और अधिक बढ़े। इसके

अलावा हमारी सरकार बहुत बड़े-बड़े बहुउद्देश्यीय मैदान बनाने के लिए कहती है कि हर विधान सभा क्षेत्र में दो-दो बड़े बहुउद्देश्यीय मैदान बनेंगे। इस सोच के लिए मैं सरकार का, माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। एडवेंचर एक्टिविटी में भी हमारे प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर काफी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। जिला चम्बा में जैस ख़जियार का इलाका है, पहले वहां पर होता था लेकिन अब बंद हो गया है, वहां बहुत पर्यटक आते थे। ऐसी एक्टिविटी करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और स्थानीय लोगों को रोज़गार भी मिलता है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि एडवेंचर एक्टिविटी को जहां-जहां पर चल सकती हैं वहां पर बढ़ावा दिया जाए और कई स्थानों पर दिया भी गया है जैसे बैजनाथ में भी होता है इसके अलावा कई जगह और भी हैं जहां पर पैराग्लाइडिंग होती है। मैं भी एक छाताधारी सैनिक हूं और मैंने बहुत जम्प किए हैं, अन्य देशों में भी किए हैं, ग्लेशियरों में भी जम्प किए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कॉलेज के समय मैं बॉक्सिंग में नेशनल खेलने गया था, कराटे में ब्लैक बैल्ट मैंने जापान से किया है। मैं यह सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरी रूचि स्पोर्ट्स में अधिक है।...(व्यवधान)

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

05/03/2020/1235/MS/AS/1

श्री बिक्रम सिंह जरयाल जारी-------

...(व्यवधान) यह बताने की जरूरत है। बिंग ए स्पोर्ट्समैन मैं बताऊंगा। मैं अण्डर वॉटर डाइवर और स्काई डाइवर हूं और इसमें बताने में कोई शर्म नहीं है। हम बच्चों को भी बताते हैं कि ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लेना चाहिए। यहां पर आज माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी एक बहुत अच्छा विषय लेकर आए हैं...(व्यवधान) थोड़ा सुन लें क्योंकि जब आदरणीय सुक्खु जी बोल रहे थे तो हमने भी आपकी बात बड़े ध्यान से सुनी थी। आदरणीय मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरा इनसे निवेदन रहेगा कि अच्छे स्टेडियम होने चाहिए लेकिन मुझे यह भी पता है कि हिमाचल जैसे पहाड़ी एरिया में भूमि उपलब्ध नहीं होती है।

हमारी भौगोलिक स्थिति कुछ अलग है इसलिए लैण्ड आइडेंटिफाई नहीं होती। लेकिन जहां-जहां पर लैण्ड है और पैसा स्वीकृत है वहां पर अतिशीघ्र इन कार्यों को शुरू किया जाए। डलहौजी में खेल मैदान के लिए भी पैसा गया है मैंने इस बारे में एक दिन कहीं पढ़ा था। मुझे भी पैसा दिया है। इसलिए ये खेल के मैदान जल्दी बन जाएं ताकि हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े।

इसके अलावा इन्डोर शूटिंग गेम्ज भी होनी चाहिए, जैसे जिक्र किया गया है। यहां मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। हरेक विधान सभा क्षेत्र में जिला स्तर पर एक इन्डोर शूटिंग गेम का बन्दोबस्त भी हो, जहां सारी इन्डोर गेम्ज हो सकें। आउटडोर के लिए तो काफी मैदान हैं। ..(घण्टी) उपाध्यक्ष जी, खेलों की वजह से जो खिलाड़ी में बुरी आदतें होती हैं, उनसे भी वे बचे रहते हैं क्योंकि उन्हें इसके लिए समय नहीं मिलता है यानी जो खिलाड़ी के पास खाली समय होता है, उसको वह खेल में लगा देता है। इसलिए नशे से बचने के लिए भी खेलें बहुत अच्छा माध्यम है। हालांकि स्कूलों में ऐसी बातें बतानी चाहिए। स्कूलों में अच्छा ग्राउंड होना चाहिए ताकि सुबह-शाम बच्चे वहां खेल सकें और उनको गलत काम करने के लिए समय न मिले। यह युवाओं को नशे से बचाने के लिए बहुत अच्छा साधन है। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए ताकि हमारे अच्छे मैदान बन सकें, अच्छे स्पोर्ट्स मैन तैयार हो सके और वे भारतवर्ष में ओलम्पिक/एशियाड में अपना नाम दर्ज़ कर सकें तथा हिमाचल प्रदेश का भी नाम हो। उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05/03/2020/1235/MS/AS/2

श्री राजेन्द्र राणाः उपाध्यक्ष जी, आज हमारे माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी जो संकल्प लेकर आए हैं, उस पर बोलने के लिए मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं।

यह ठीक है कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इसमें सभी माननीय सदस्यों को सकारात्मक चर्चा करनी चाहिए। जिस प्रदेश और देश का नौज़वान शारीरिक तौर पर फिट होता है वही देश आगे बढ़ता है। माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी ने काफी बिन्दुओं को छुआ है। इन्होंने ठीक कहा कि आज के दौर में 60/-रुपये एक खिलाड़ी को डाइट दी जाती है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि 60/-रुपये में खिलाड़ी पूरे दिन का खर्चा नहीं

निकाल सकता है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं तो मुझे लगता है कि काफी बनकर तैयार हुई हैं मगर न तो उनका रख-रखाव हो रहा है और न ही वहां पर खेल प्रशिक्षण उस स्तर पर चल रहा है जिस स्तर पर चलना चाहिए। क्योंकि उनके पास कोचिज ही नहीं हैं इसलिए सरकार को कोचिज की भर्ती करनी चाहिए। मेरा इसमें यह सुझाव है कि जैसे पंजाब, मध्य प्रदेश और गुजरात में कॉन्ट्रैक्ट पर कोचिज रखे जाते हैं कि आपको पांच साल के लिए रखा जाता है और वे कोच रिजल्ट ऑरियंटिड काम करते हैं तथा मैडल लेकर आते हैं। मेरा सरकार से यही सुझाव है कि ऐसे राज्यों को फोलो किया जाए और जिस तरीके से वे कोचिज को रखते हैं उस तरीके से यहां भर्ती करें। जो रिजल्ट आरियंटिड कोचिज हैं उनकी भर्ती की जाए।

दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो खेल छात्रावास हैं उनमें एक-एक कोच रखे गए हैं। फिर क्या होता है कि जब कोच छुट्टी पर चला जाता है, क्योंकि हर आदमी को अपने निजी काम होते हैं तो उन बच्चों का प्रशिक्षण प्रभावित होता है। हर आदमी की अपने-अपने घर की मजबूरी होती है इसलिए हर खेल में कम-से-कम दो कोच रखे जाएं ताकि प्रशिक्षण लगातार चले। तीसरा सुझाव यह है कि बिलासपुर के मोरसिंघी में एक निजी स्तर पर हैंडबॉल की एकेडमी चल रही है जो कि नेशनल लैवल पर रिजल्ट दे रही है। वहां से मैडल्ज लेकर आ रहे हैं। फिर चाहे बात विश्वविद्यालय या ओपन नेशनल की हो, उसमें मैडल्ज लेकर आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जो ऐसे संस्थान चल रहे हैं जो प्रदेश के लिए मैडल्ज लेकर आ रहे हैं उनको सरकार फाइनैंशियली ऐड दे ताकि वे और ज्यादा मजबूती से काम कर सकें। अगर कोई व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में राष्ट्रीय स्तर पर

जारी जे0के0 द्वारा----

05.03.2020/1240/JK/DC/1

श्री राजेन्द्र राणाः----जारी------

मैडल जीत कर आता है तो सरकार को उसके लिए भी वज़ीफा दिया जाना चाहिए, मेरा यह व्यक्तिगत सुझाव है। जो हमारे खेल परिसर को मेंटेन करने के लिए जरुरी है। आज हमने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्ज़ खड़ी कर दी हैं, बड़े-बड़े ग्राउंड बना दिए हैं, उनमें क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड मैन उनको मेंटैन करने के लिए होने चाहिए, चौकीदार होने चाहिए, वे

लोग ही वहां पर नहीं हैं। आपने वहां पर पैसा तो खर्च दिया लेकिन वहां पर आप न तो ग्राउंड मैन रख रहें हैं, न चौकीदार रख रहे हैं, तो मेरा सरकार से निवेदन यह है कि जहां पर ज़रुरत है, वहां पर उन लोगों की भर्ती की जाए ताकि वहां पर खिलाड़ियों को प्रॉपर सुविधा मिल सके, यह मेरा निवेदन है।

दूसरे, मैं अपने सुजानपुर चुनाव क्षेत्र की बात कर रहा हूं। वहां पर एक खिलाड़ी श्री विकास ठाकुर जी हैं, उन्होंने इन्टरनेशनल लैवल पर वेट लिफ्टिंग में नाम कमाया। कॉमन वैल्थ गेम में वे मैडल ले कर के आए, एशियन गेम्ज़ में वे मैडल ले कर के आए। ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश के जो खिलाड़ी हैं, उनमें कोई क्षमता नहीं है। परन्तु उनको अगर हम सुविधाएं देंगे, प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करेंगे, कोचिज़ रखेंगे तो हमारे हिमाचल प्रदेश के नौजवान मज़बूत हैं और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रदेश से कोई खिलाड़ी अच्छे निकलते हैं तो उस प्रदेश का नाम रोशन होता है। प्रदेश का आकलन इस बात से किया जात है कि प्रदेश में कितनी तरक्की हो रही है। दूसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे सदस्य, श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी ने चर्चा की कि कुछ नेता लोग कई खेल संघों पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। ...(घंटी) उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी समस्या इस वक्त समझ सकता हूं। मगर आप बार-बार घंटी न बजाएं।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए पांच मिनट हो गए हैं और पांच मिनट का ही समय दिया गया है।

05.03.2020/1240/JK/DC/2

श्री राजेन्द्र राणाः माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी 8 मिनट का समय है और 4 मिनट मेरे पास है।

उपाध्यक्षः माननीय सदस्य केवल 5 मिनट का ही समय है। प्लीज़ आप वाइंड अप करें।

श्री राजेन्द्र राणाः उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन यह है कि जो नेता लोग पूरे-के-पूरे संघों पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, यहां पर माननीय मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, आप मुझे बताएं कि एक आदमी 10-10 संघों पर कब्ज़ा करके बैठेगा तो कितना समय उनको दे सकेगा? हमें आपत्ति नहीं है कि कोई किसी संघ का अध्यक्ष बन जाए। आप क्रिकेट पर भी कब्ज़ा करेंगे, आप ओलोम्पिक में भी करेंगे, हॉकी में भी करेंगे तो समय कितना दे पाएंगे? इस तरह से उस खेल को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसमें सरकार नई नीति ले कर आए कि एक व्यक्ति एक संघ का ही अध्यक्ष हो ताकि वह समय दे सके। जब वह उस संघ को समय नहीं दे पाएगा तो स्वाभाविक है कि वह उस संगति से छुटेगा, उन खिलाड़ियों को समय नहीं मिलेगा, वे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे, कई प्रदेश ऐसे हैं, आप हरियाणा का उदाहरण दे रहे थे, हरियाणा में ऐसी खेल नीति है कि वहां पर कोई मैडल ले कर आता है तो उसको बहुत ज्यादा कैश प्राइज दिया जाता है और नौकरियां दी जाती है। आप भी नौकरियां दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को ऐसा फॉलो अप करना चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश का नाम पूरे देश व दुनिया में रोशन हो। आप नई खेल नीति लेकर आए। अच्छी-अच्छी चीजें उनके लिए लाएं। जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं माननीय मंत्री जी को वे सुझाव देंगे। आप उन सुझावों को उसमें शामिल करिए और एक नई खेल नीति बनाएं। हिमाचल प्रदेश के नौज़वानों को मज़बूत करने व आगे बढ़ने के लिए नई नीति तैयार करें ताकि वे अपना केरियर संवार सकें। उपाध्यक्ष जी, आप बार-बार घंटी बजा रहे हैं इसलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैं अपनी बात यही कह कर समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

05.03.2020/1240/JK/DC/3

उपाध्यक्षः अब चर्चा में माननीय सदस्य, श्री सभाष ठाकुर जी भाग लेंगे।

श्री सुभाष ठाकुर (बिलासपुर)ः माननीय उपाध्यक्ष जी, खेल नीति के ऊपर माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी संकल्प ले कर आए हैं, मैं भी इस विषय पर अपनी बात रखने व समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जो यह खेल नीति है, हिमाचल के लिए यह बहुत आवश्यक है। मैं इसका समर्थन करता हूं। जो चिन्ता यहां पर श्री राकेश जम्वाल जी ने ज़ाहिर की है कि स्कूली खेलों में वे चाहे डी.पी. या पी.टी.आई. लैवल की है, चाहे बाकी खेलें हैं। मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी दिक्कतें इसलिए है कि खेल नीति हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जो होनी चाहिए। यह अति आवश्यक है, ताकि स्कूल में से ही बच्चों में इससे लगाव हो, हिस्सा भी लें और अपना भविष्य भी इसमें निर्धारित करें। अगर खेल नीति होगी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

05.03.2020/1245/SS-DC/1

श्री सुभाष ठाकुर क्रमागत :

तो निश्चित तौर से स्कूली स्तर से ही बच्चे अपना भविष्य और ऐमबिशन तय करेंगे। खेल नीति न होने के कारण हिमाचल प्रदेश का नौजवान तब खेल में हिस्सा लेता है जब विदेशों का नौजवान मैडल लेकर आता है। हिमाचल का नौजवान जब 15 से 18 वर्ष का होता है तब वह किसी खेल में हिस्सा लेना शुरू करता है। इसलिए यह सब खेल नीति के न होने के कारण है। यह संकल्प आप (श्री राकेश जम्वाल) लाये हैं और आपने एक बात और कही है कि खेल गांव एक स्थान पर होना चाहिए। इसका भी मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। अब हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो गया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। मैं बिलासपुर की बात कहना चाहता हूं। बिलासपुर लुहणू ग्राउंड में क्रिकेट स्टेडियम, इंटरनेशनल स्तर का 9 करोड़ रुपये का सिंथैटिक रेसिंग ट्रैक बना है। उसी तरह से हॉकी, कबड्डी, बास्केटवॉल और हैंडवॉल के लिए अलग-अलग ग्राउंड हैं, ये सारी व्यवस्था अगर कहीं है तो वह जिला बिलासपुर के लुहणू ग्राउंड में है। उसी के साथ बिलासपुर गोविंद सागर झील से उजड़ा है। वहां पर वाटर स्पोर्ट हो सकता है। वहां पर हमने पिछले साल एंगलिंग कम्पीटिशन करवाया। वहीं बिलासपुर में एडवैंचर स्पोर्ट हो सकता है। पैराग्लाइडिंग बंदला की धार से होती है। एक्रोबैटिंग अगर कहीं हिन्दुस्तान में हो सकता है तो वह बंदला की धार से लुहणू में हो सकता है क्योंकि इसमें झील होनी चाहिए, क्लाइमेट होना चाहिए। वह जगह भी अगर एडवैंचर स्पोर्ट्स के लिए कहीं है तो वह

बिलासपुर का लुहणू ग्राउंड है। इसलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर भविष्य में खेल गांव का भी विचार आए तो उसमें जिला बिलासपुर के लुहणू ग्राउंड को रखा जाए।

इसके साथ मैं कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में अगर दिल्ली शहर को लिया जाए तो वह बहुत प्रदूषित शहर है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सभी पत्र-पत्रिकाओं में आ रहा है और सभी एजेंसीज़ ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जोकि प्रदूषण रहित है। अगर हिमाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा और यहां पर खेल नीति बनेगी तो निश्चित तौर पर यहां न केवल देश की बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलें हो सकती हैं। यह भी मैं कहना चाहूंगा। लेकिन हमारी खेल नीति होनी चाहिए। जब तक खेल नीति नहीं होगी तब तक कोई भी आकर्षित नहीं होगा।

05.03.2020/1245/SS-DC/2

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि खेल को टूरिज्म की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश में अट्रैक्ट करना चाहिए और खेल के माध्यम से टूरिज्म हिमाचल प्रदेश में आ सकता है। खेल के माध्यम से हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म व आर्थिक दृष्टि से भी मजबूती मिल सकती है। इसलिए यहां पर एडवैंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए। भारत और पूरी दुनिया का नौजवान एडवैंचर स्पोर्ट्स की ओर आकर्षित हो रहा है। ये एडवैंचर स्पोर्ट्स भी हिमाचल प्रदेश में हो सकती हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत-सी ऐसी जगह हैं जहां पर ये सुविधाएं अगर हिमाचल प्रदेश सरकार दे और इसकी ओर विशेष ध्यान दे तथा हमारा पूरा सदन भूतकाल की राजनीतिक बातों को छोड़ कर वर्तमान में भविष्य की चिन्ता करते हुए आगे बढ़ें तो निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश खेल जगत में और एडवैंचर स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा सकता है। हिमाचल का नाम भी हो सकता है और पर्यटन व आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ भी हो सकता है।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका धन्यवाद। मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि खेल नीति में हम सब लोग निश्चित तौर पर सहयोग करें। हम जो इसमें त्रुटियां/खामियां देख रहे हैं, ज़रूरतें महसूस कर रहे हैं, उसमें सभी की तरफ से सुझाव आएं और यह हिमाचल प्रदेश की तरफ से हिमाचल के नौजवानों के लिए तोहफा होगा। नशा भी आज हमारे लिए एक चुनौती है उससे निपटने के लिए नौजवानों को खेल की

तरफ आकर्षित करना ज़रूरी है। नौजवानों को खेल की दृष्टि से अपना भविष्य संवारने के लिए यह खेल नीति अति आवश्यक है।

जारी श्रीमती के0एस0

05.03.2020/1250/केएस/एचके/1

श्री सुभाष ठाकुर जारी----

और इसी तरह से हिमाचल प्रदेश में हमारे स्वीमिंग पूल भी बनें क्योंकि हिमाचल प्रदेश में पानी है, अच्छा पानी है, थोड़ी जगह लगती है, ये हर जगह बन सकते हैं, तो इन सभी चीजों को इन्क्लूड किया जाए, मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय हिमाचल।

05.03.2020/1250/केएस/एचके/2

उपाध्यक्षः अब माननीय सदस्य श्री लखविन्द्र सिंह राणा जी चर्चा में भाग लेंगे। कृपया समय का ख्याल रखें और पांच मिनट में अपनी बात रखें।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा (नालागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, "प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए" माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी खेल नीति बनाने पर यहां पर प्रस्ताव लाए हैं, उसमें मैं भी अपने आप को सम्मिलित करता हूं। खेलें युवाओं के लिए अति आवश्यक हैं और खेलने से युवाओं का शरीर अधिक मज़बूत होता है तथा स्वस्थ रहता है। हम देखते हैं कि आजकल नशे की भरमार है, उससे बचने के लिए जो हमारे युवा साथी हैं, उनके लिए खेलना बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे सभी नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को युवाओं को खेलने की प्रेरणा देनी चाहिए। युवाओं को खेल की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। आज हम देखते हैं कि आज हमारे छोटे-छोटे बच्चे व युवा हमेशा मोबाईल फोन पर बिज़ी रहते हैं जिससे हमारी मानसिकता पर बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। खेलों के माध्यम से इस समस्या से भी छुटकारा मिल सकता है। हम जानते हैं कि खेलें हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है

इसलिए खेलों को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। नौजवान बच्चों को कबड्डी, बॉलीबाल, एथलीट तथा अन्य खेलों के लिए सरकार को एक नीति बनानी चाहिए। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में युवा स्पोर्ट्स क्लब बने हुए हैं लेकिन उनको ग्राउंड के लिए ग्रांट सरकार की तरफ से देनी चाहिए। उनको मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि जो युवा स्पोर्ट्स क्लब के बच्चे हैं, वे आगे बढ़ सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से युवाओं को खेल मैदान बनाने के लिए पैसा दिया जाना चाहिए। साधन सीमित होने के कारण हमारे युवा अपनी प्रतिभा, अपने कौशल को नहीं दिखा सकते इसलिए यह बहुत आवश्यक है। युवाओं को उनकी गेम्ज़ के मुताबिक कोचिंग देना अति आवश्यक है। हम देखते हैं कि हमारे युवाओं के फिटनैस की कोई बात नहीं होती। उसका भी मंथली या 6-6 महीने के बाद फिटनैस चैक होना अति आवश्यक है।

05.03.2020/1250/केएस/एचके/3

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें इस पॉलिसी में शामिल करने का आग्रह करता हूं। जो खिलाड़ी पहली बार किसी भी खेल में हिमाचल से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड ले कर आए हैं, उनको परशु राम खेल अवार्ड दिया जाना चाहिए। दूसरा, विभाग को सभी खेलों से पहले अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की सूची बनाकर डिस्पले करनी चाहिए क्योंकि जिन खिलाड़ियों ने किसी भी खेल में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल के खिलाड़ियों को नई राहें दिखाई हों, उनको भी सम्मान देना अति आवश्यक है। जो खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले हों, उनको नौकरी दी जानी चाहिए और प्रमोशन भी मिलनी चाहिए। सभी खेलों के पहले जो अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हों, या दूसरे इवेंट में खेले हों, उनको पैंशन का प्रावधान सरकार की तरफ से होना चाहिए। खेल संघ राष्ट्रीय स्तर पर जहां भी टीमें भेजते हैं, स्पोर्ट डिपार्टमैंट के कोच की तरफ से या विभाग की तरफ से जो वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, उनकी तरफ से उनका सलैक्शन होना जरूरी है ताकि खेल संघों की मनमानी पर रोक लग सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्पोर्ट की बहुत सम्भावनाएं हैं। नालागढ़ से बहुत से लड़के राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम कमा चुके हैं लेकिन हमारे नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय इन्डोर स्टेडियम बनना चाहिए और एक खेल का बड़ा मैदान होना चाहिए ताकि वे अपनी खेलों को आगे बढ़ा सके।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

05.03.2020/1255/av-hk/1

श्री लखविन्द्र सिंह राणा------ जारी

इसी तरह हमने देखा है कि हमारे प्राथमिक पाठशालाओं में पी0ई0टी0 नहीं होता। पांचवीं तक की कक्षाओं में हमारे छोटे बच्चे होते हैं परंतु जब तक वहां पर पी0ई0टी0 नहीं होगा तो हम बच्चों को किस ढंग से कोचिंग दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे मिडिल स्कूल्स में भी पी0टी0आई0 की पोस्टें खत्म की जा रही है। हमारे सोलन जिला में पी0टी0आई0 की लगभग 350 पोस्टें हैं। वहां पर 50 पोस्टें ऐसे स्कूल्स से खत्म की जा रही हैं जहां पर 100 से कम बच्चे हैं और 45 पोस्टें हमारे जिला में वैसे ही खाली हैं। हम चाहते हैं कि मिडिल स्कूल्स में खाली पी0टी0आई0 की पोस्टों को भरा जाए तथा उनको नियमित रूप से चालू रखा जाए, हमारे खिलाड़ी तभी आगे बढ़ पायेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में भी पंजाब की तरह तीन स्तरीय खेल प्रणाली होनी चाहिए। प्राइमरी स्कूल में पी0टी0आई0, मिडिल में भी पी0टी0आई0 और गवर्नमैंट सीनियर सेकेण्डरी स्कूल में डी0पी0ई0 की पोस्ट तथा जिला स्तर पर ए0डी0पी0ई0ओ0 की पोस्ट स्थाई रूप से होनी चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि एक युवा श्री राकेश कुमार जो कि दबोटा (नालागढ़) से हैं। वे वर्ष 1995 में साउथ एशियन फेडरेशन गेम्ज में इंडियन कबड्डी टीम से खेले थे तथा गोल्ड मेडल लेकर आए थे। इसलिए उनको प्रेरणा स्रोत सम्मान अवार्ड मिलना चाहिए। अभी भी मलेशिया के लिए जो टीम गई थी उसके वे कोच रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको सरकार की तरफ से इस सम्मान से नवाज़ा जाना बहुत आवश्यक

है। हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं उनको बहुत कम सम्मान राशि दी जाती है। अगर हम हरियाणा और पंजाब को देखें तो उनको 2-2, 3-3 करोड़ रुपये की राशि दी जाती है। ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी नीति लेकर आना चाहिए कि उन खिलाड़ियों को भी पंजाब और हरियाणा के बराबर सम्मान राशि मिलें। इसके अतिरिक्त हमें छात्राओं को भी खेलों की तरफ प्रोत्साहित करना चाहिए। हमारी छात्राएं; चाहे कबड्डी है, वॉलीबॉल है या एथलेटिक है, उसमें हमारी छात्राओं ने काफी नाम कमाया है परंतु उनको और ज्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। मैं यहां पर

05.03.2020/1255/av-hk/2

खिलाड़ियों को डाइट मनी देने की बात भी करना चाहता हूं। डाइट मनी के रूप में 50 रुपये की राशि दी जाती है जो कि बहुत कम है और इसको आज के समय के अनुसार कम-से-कम 300 रुपये किया जाना चाहिए। स्कूलों में सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान की जाएं जिससे बच्चे खेलों को एक करियर के रूप में लें। हमारे बच्चों को लगे कि स्पोर्ट्स को करियर भी बनाया जा सकता है। ...(घंटी)

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय हो गया है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री लखविन्द्र सिंह राणा : हम देखते हैं कि आजकल बच्चों पर पढ़ाई के अतिरिक्त कई दूसरी तरह-तरह की टेंशन का प्रैशर रहता है। हम अगर एक अच्छी नीति लाकर अपने बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेंगे तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश के बच्चे हमारे राज्य का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.03.2020/1200/av-hk/3

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका भी धन्यवाद।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इस संकल्प पर अभी आगे और सदस्य भी भाग लेने वाले हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि खेल नीति बनाई जाए, हरियाणा और पंजाब की तर्ज़ पर नौकरियों में प्रावधान किया जाए इत्यादि सभी एक जैसे कंटेंट्स दे रहे हैं। इसलिए अपनी बात कहते वक्त यहां पर कोई नई चीज रखें। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आगे माननीय सदस्य श्री परमजीत सिंह जी को आमंत्रित करता हूं और चाहता हूं कि आप भी समय का ध्यान रखें।

श्री परमजीत सिंह (दून) : उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी इस सदन में लेकर आए हैं कि 'प्रदेश में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए और खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार खेल नीति बनाने पर विचार करे", मैं इसके संदर्भ में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है और खेलों से बच्चों तथा युवाओं का मानसिक और शारीरिक विकास होता है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि स्कूलों में जो डी0पी0ई0 और पी0ई0टी0 के पद खाली हैं उनको भरा जाए ताकि हम अपने बच्चों को शुरू से ही खेलों के लिए प्रेरित कर सकें। इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि जो डी0पी0ई0 और पी0ई0टी0 के पद हैं

टी सी द्वारा जार

05.03.2020/1300/TCV/YK-1

श्री परमजीत सिंह....जारी

वे भरे जाएं। मैं तो कहूंगा कि अगर प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को इसकी तरफ लगाएंगे तो हमारे बच्चे खेलों में ज्यादा इंट्रस्ट रखेंगे और हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मैं विशेष तौर पर मुख्य मंत्री जी और माननीय वन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि पिछले 2 सालों में माननीय मंत्री जी ने खेल विभाग से स्कूलों के ग्राउंड के लिए काफी धन दिया है। इससे हमारे स्कूलों के ग्राउंड की समस्या काफी हद तक हल हुई हैं और बच्चों को

प्रोत्साहन भी मिला है। मेरे से पहले भी माननीय सदस्यों ने यहां पर यह बात कही है कि जो खण्ड स्तरीय या जिला स्तरीय टूर्नामैंट्स होते हैं, उसमें डाइट का पैसा ज़रूर बढ़ाया जाये क्योंकि अधिकतर इन खेलों का आयोजन लोगों द्वारा पैसा इकट्ठा करके किया जाता है। इस कारण से इसमें बहुत कम खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और हमारे टीचर्ज़ भी इसमें बहुत कम इंट्रस्ट लेते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो बजट आने वाला है, इसमें डाइट-मनी को ज़रूर बढ़ाया जाये। हिमाचल प्रदेश का खेलों के लिए जो बजट है, वह काफी कम है। यह पंजाब और हरियाणा के मुकाबले काफी कम है। इसलिए आने वाले बजट में हिमाचल प्रदेश के लिए खेलों का बजट और बढ़ाया जाये जिससे हमारे बच्चे खेलों में और ज्यादा भाग ले सकें और इस प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। मैं मंत्री जी से एक और आग्रह करना चाहूंगा कि यदि हम हर पंचायत में एक अच्छे जिम का प्रावधान करेंगे तो हमारे युवा और अन्य लोग भी उसमें हिस्सा ले सकेंगे और अपने आप को फिट कर सकेंगे। इससे जो दूरदराज़ क्षेत्र के लोग हैं, वह इसमें हिस्सा ले सकेंगे और अपने आप को फिट रख सकेंगे। मैं ज्यादा न बोलता हुआ, यही निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी जो यह संकल्प लेकर आये हैं, सरकार इस नीति पर विचार करे और हिमाचल प्रदेश के जो नौज़वान हैं, उनके लिए खेलों का प्राइज़-मनी बढ़ाया जाये। इससे हमारे युवा खेलों के प्रति और आकर्षित होंगे और हिमाचल प्रदेश खेलों के मामले में आगे बढ़ेगा। इस तरह से हमारे प्रदेश के युवा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.03.2020/1300/TCV/YK-2

उपाध्यक्षः धन्यवाद, माननीय सदस्य, श्री परम जीत जी। अब इस माननीय सदन की बैठक भोजनोवकाश हेतु 02.00 बज़े अपराह्न तक स्थगित की जाती है।

माननीय सदन की बैठक भोजनोवकाश हेतु 02.00 बज़े अपराह्न तक स्थगित की गई।

05-03-2020/1405/NS/AG/1

(माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 14.05 बजे अपराह्न पुनःआरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राम लाल ठाकुर जी भाग लेंगे। समय का ध्यान जरूर रखें। आप अपनी बात पांच मिनट में कह सकते हैं क्योंकि यह विषय पहले आ चुका है तथा दो संकल्प अभी और हैं।

श्री राम लाल ठाकुर (श्री नैना देवी जी) : अध्यक्ष महोदय, पांच मिनट में एक भी प्वाईंट नहीं आएगा। मैं अपने विधान सभा क्षेत्र की बात नहीं करूंगा। मैं इस संकल्प के ऊपर ही बात करूंगा।

अध्यक्ष : फिर तो अन्य माननीय सदस्य भी यही कहेंगे कि हमें भी उतना ही समय दिया जाए। इसलिए सभी को पांच मिनट का समय आबंटित किया गया है। कृपया करके अपनी बात पांच मिनट में पूरी करें।

श्री राम लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प इस माननीय सदन में माननीय राकेश जम्वाल जी ले करके आए हैं वह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यह संकल्प हिमाचल प्रदेश में खेल नीति लाने बारे है। अभी तक जिन भी माननीय सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है वे मुद्दे हट के बोले हैं। वे अपने चुनाव क्षेत्र में चले गए या शिक्षा विभाग की ओर चले गए लेकिन जो मुद्दा या संकल्प हमारे सामने है वह है सरकार खेल नीति बनाने पर विचार करे।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

05.03.2020/1410/RKS/AG-1

श्री राम लाल ठाकुर... जारी

अध्यक्ष महोदय, खेल नीति को बनाने के लिए जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, मुझे लगता है कि सरकार इसको लाने में इच्छुक नहीं है। जब दो वर्ष पहले पहला सत्र हुआ था तब भी हम इस विषय को लेकर आए थे। हमने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स एक्ट आना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री द्वारा दिए हुए उस समय के जवाब की याद

दिलाना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हम हरियाणा राज्य के आधार पर खेल नीति बनाएंगे। मैंने उस समय भी कहा था कि हरियाणा में न तो स्पोर्ट्स एक्ट है और न ही काई स्पोर्ट्स पोलिसी। कुछ नाटिफिकेशन्ज के आधार पर वहां स्पोर्ट्स एक्टिविटिज चल रही हैं। अगर यह कहा जाए कि 43 या 44 करोड़ रुपये का बजट कम है तो हमें यह देखना चाहिए कि हमने पूर्व में कहां से चलना शुरू किया था? जब दिल्ली में एशियार्ड गेम्स हुई थी तो उसके बाद ही दिल्ली में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग बना था और उसी आधार पर हिमाचल प्रदेश में भी अलग से युवा सेवाएं एवं खेल विभाग बना। जब यह विभाग बना था तो उस समय यह विभाग मुख्य मंत्री के पास होता था। मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि सन् 1982 के बाद हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स ने एक नई करवट ली है और उसी आधार पर हिमाचल प्रदेश भी आगे बढ़ा है। मुझे 3-4 बार इस विभाग का मंत्री बनने का मौका मिला। हिमाचल प्रदेश में पहले युवा सेवाएं एवं खेल विभाग कोई अलग विभाग नहीं था। यह विभाग शिक्षा विभाग के साथ जोड़ा गया था जिसमें खेल विभाग के डिप्टी डायरैक्टर शिक्षा विभाग के साथ अटैच होते थे। सन् 1973-74 में खेल का बजट 27,000 रुपये था और आज हम यह महसूस कर रहे हैं कि इसमें अधिक बजट का प्रावधान हो। यहां पर कई माननीय सदस्यों ने डी.पीज. और पी.ई.टीज. के रिक्त पड़े पदों की बात की। इसका कारण यह है कि जब शिक्षा विभाग द्वारा नये स्कूल और नये कॉलेजिज खोलने हेतु कैबिनेट में मैमोरैंडम दिया जाता है तो उस समय डी.पीज. और पी.ई.टीज. के पदों के सृजन के बारे में बात नहीं की जाती है। क्योंकि वे इसे सबजैक्ट नहीं मानते हैं। वे कहते हैं कि पी.ई.टीज., पी.टी. करवाने और डी.पी. टूर्नामैंट में टीमों को तैयार करने के लिए होते हैं। यही कारण है कि आज

05.03.2020/1410/RKS/AG-2

अधिकतर संस्थान डी.पीज. और पी.ई.टीज. के बिना चल रहे हैं। जब मैं वर्ष 1987 में खेल मंत्री था तो मैंने हिमाचल प्रदेश में प्राइमरी स्कूलों में टूर्नामैंट करवाने के आदेश दिए थे और यह टूर्नामैंट लगातार कई सालों तक होते रहे। जब तक हम प्राइमरी स्कूलों के बच्चों

को खेलों से नहीं जोड़ेंगे तब तक इस क्षेत्र में अच्छे परिणाम नहीं मिल सकते। शिक्षा विभाग की बात अलग है लेकिन हमारा Olympic Discipline स्पोर्ट्स एसोसिएशन और फेडरेशन के माध्यम से जाता है। यदि इंटरनेशनल अरेना में साउथ एशियन फैडरेशन गेम, एशियन गेम या ओलंपिक गेम हो रही हो और टीमें स्पोर्ट्स फैडरेशन या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के माध्यम से टूर्नामैंट में नहीं गई हो या फैडरेशन के माध्यम से एफिलेशन नहीं हुई हो तो हमारी टीमें इंटरनेशनल लैवल पर नहीं खेल सकती।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

05.03.2020/1415/बी.एस./ए.एस./-1

श्री राम लाल ठाकुर जारी...

लेकिन दुर्भाग्य यह है मैं नहीं कहूंगा कि 2-3-4 संस्थानों के भी लोग अध्यक्ष बन गए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि यह कोई राजनेताओं की बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में यदि देखा जाए तो जितने नौकरशाह हैं, हमारे जो सचिव हैं यहां तक कि मुख्य सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव, इन्होंने संस्थानों के ऊपर कब्जा कर लिया है। इसके अलावा पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने भी खेल संस्थानों पर कब्जा करके रखा है। यही कारण है कि जब 50 पोस्टें शैंक्सन्ड हुई तो ज्यादातर पोस्टें वे लोग ले गए जिनके प्रधान सचिव थे, वे पांच-पांच पोस्टें ले गए। हमारी रास्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जो खेलें थीं और जिन पर हमने अच्छा प्रदर्शन किया है उनके लिए आज भी कोचिज नहीं हैं। आज वालीबाल हमारा राज्य स्तरीय खेल है उसके कोचिज हमारे पास नहीं है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया वाईंडअप करें। मैं समय सारणी देख रहा था उसमें सबसे अधिक समय आपको दिया गया है।

श्री राम लाल ठाकुर : मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर स्पोर्ट्स बिल लाया गया और इस सदन ने स्पोर्ट्स बिल पास किया राज्यपाल महोदय को भेजा। डेढ़ वर्ष वहीं पर रहा और जब यह सरकार दोबारा आई तो वह बिल फिर से यहां पर आया। हमने जो बिल बनाया था

जिसमें खेल संस्थानों को बांध करके रखा था उसे एक लाइन देने का हमने कार्य किया था कि किस तरह से खेल संस्थानों को मदद मिले, कैसे हमारी अच्छी टीमें बाहर जाए। हम यहां बिल ले करके आए थे परंतु इस सरकार ने केवल मात्र यह कहा कि यह तो क्रिकेट के ऊपर अतिक्रम हो रहा है और उस बिल को वापिस कर दिया। माननीय मंत्री जी बोल रहे थे कि हम पोलिसी ले करके आएंगे। दो वर्ष तक कोई पोलिसी नहीं आई है। खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है और तो और इस वर्ष पाइका के टुर्नामैंट भी बंद हो गए। आपकी ग्रामीण खेलें भी यहां पर नहीं हुई। हम पूछना चाहते हैं कि आप कौन सी नई पोलिसी ले करके आएंगे? जब तक नीयत साफ नहीं होगी, तब तक यह जो नीति है यह नहीं बन पाएगी। (घंटी) आप कहेंगे कि नाम लेंगे

05.03.2020/1415/बी.एस./ए.एस./-2

वह भी गलत है लेकिन किसको मालूम नहीं है कि हिमाचल प्रदेश खेल में पीछे हटा है। इसका क्या कारण है? यह सही है कि माननीय सदस्य यहां पर एक अच्छा संकल्प ले करके आए हैं। लेकिन सरकार की नीयत ही ठीक नहीं होगी तो यह पोलिसी नहीं आ सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले अपने आपको बदलने की आवश्यकता है, तब जा करके हम आगे बढ़ सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहने को बहुत कुछ था परंतु अंत मे मैं यह कहना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो हमारा खेल विभाग है इसे पैसा भी अधिक मिलना चाहिए और जो खिलाड़ियों की डाइट मनि है वह भी ज्यादा मिलनी चाहिए। जो छात्र-छात्राएं हैं उनकी डाइट मनि ठीक नहीं है। आपके कोचिज की 50 पोस्टें शैंक्सन्ड हैं। (घंटी)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री राम लाल ठाकुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि आपके पास समय का अभाव है फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि यह जो खेल नीति लाने की बात है यह कागजों तक ही सीमित है। धन्यवाद।

05.03.2020/1415/बी.एस./ए.एस./-3

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राकेश पठानिया (नूरपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद। माननीय सदस्य ठाकुर राम लाल जी बहुत अच्छा बोल रहे थे परंतु इनके पास समय बहुत कम था। थोड़ा बीच में राजनीति भी लाने की कोशिश की गई। आदरणीय राकेश जम्वाल जी संकल्प ले करके आए हैं उसमें केवल और केवल मैं खेल पोलिसी की बात करना चाहता हूं। इसमें कोई दोराय नहीं कि we are directionless in Himachal Pradesh, as far as the Sports Policy is concerned. सरकारें यहां की हो या वहां की रही हों। The talent of youth, the search of the young talent has never been taken up seriously in Himachal Pradesh. मैं माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी को बधाई देना चाहूंगा और चाहूंगा कि इस संकल्प को अडोप्ट करना चाहिए। हमें एक टैलैंट सर्च के ऊपर कार्य करना चाहिए। स्पोर्ट्स में इवैंट्स कितने हैं? हमारे अपने गांव में हम लोग थोड़ा बहुत फुटबाल या वॉलीबाल खेल लेंगे या थोड़ा बहुत स्कूल कॉलेज में बास्केटबाल खेल लेंगे।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

05/03/2020/1420/डी0टी/ए0एस0-1

श्री राकेश पठानिया क्रमागत :

There are endless events to participate in the Olympic Games. इतने इवेन्टस है जिनमें छोटे बच्चे को फ्लैक्शीबल बनाने के लिए जिमनास्टिक से आप शुरू कर दो । हमारे पास पूरे हिमाचल प्रदेश में कोई भी स्पोर्टस स्कूल नहीं है। हमारे पास प्रत्येक ज़िले में एक स्पोर्टस स्कूल होना चाहिए। हमारे प्रदेश में स्पोर्टस विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे पास एक स्पोर्टस विश्वविद्यालय होना चाहिए। श्री राम लाल ठाकुर जी जो बात कह रहे थे, अपनी बात से वह भी थोड़ा सा हट गये, क्योंकि यह भी एक नैशनल स्पोर्टसमैन रहें हैं और मैं भी एक नैशनल स्पोर्टसमैन रहा हूं, मैंने भी चार बार नैशनल गेम्स खेलीं हैं। । have represented the sports at the highest level. मैं इसमें स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हमारा यूथ नैशनल गेम्स में जाता है तो वही हाल हिमाचल प्रदेश का होता है जो भारत का

विदेश में जाकर होता है। हम लोग वहां के मैडल टैली में कहीं नज़र नहीं आते। क्योकि हम लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमारा उसके लिए शेडयूल नहीं है। हमारा उसके लिए कैलेन्डर नहीं है। हमें एक पूरा सिस्टम तैयार करना होगा। मैं मन्त्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि you will have to plan out a schedule for the whole year. You will have to find the young talent and you have to fish out that talent and prepare that talent. आप लोग गांव में चले जाओ सात-सात फुट के नौजवान मिल जायेंगे। बास्केटबाल, वॉलीबाल व एथलैटिक के लिए हमारे प्रदेश में बहुत टेलेन्ट है। युरोप के अन्दर, जहां पर एलटिट्यूड 9000 से ऊपर है, वह लोग वहां पर जाकर अपने एथलीटस को ट्रेंड करते हैं। वहां पर रेत के बड़े-बड़े नाले बना कर उसके अन्दर उनकों भगाते हैं ताकि उन लोगों को कम ऑक्सीजन में अभ्यास करवा के और मजबूत बनाया जाये। लाहौल-स्पिती, पांगी, भरमौर आदि स्थानों में स्पोर्टस सेन्टरज़ बन सकते हैं। जहां पर जाकर अगर हमारे बच्चे एथलीट की ट्रनिंग करें तो उनसे अच्छा ऐथलीट दुनिया भर में

05/03/2020/1420/डी0टी/ए0एस0-2

पैदा नहीं हो सकता क्योंकि जो एथलीट कम ऑक्सीजन में ट्रनिंग करके आता है उसे निचले क्षेत्रों में ज्यादा स्पेस मिलती है। बहुत से काम हैं जो हमारे यहां पर किये जा सकते हैं, जिन्हें हम नहीं कर पा रहे। केवल सांई वाले काफी अच्छा काम कर रहें हैं। उनके सेन्टरज़ हमारे प्रदेश में जगह-जगह पर हैं। पर हमारे प्रदेश के यूथ को यह फैसिलीटी नहीं हैं। आज शूटिंग में हमारे प्रदेश की लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा इवेन्ट आ गया है। हमारे प्रदेश की बेटियों में शूटिंग का बहुत टेलेन्ट है। श्री होशयार सिंह जी की बेटी शूटिंग के खेल में हैं, मेरी बेटी भी शूटिंग के खेल में है। हमारे प्रदेश की बहुत सी लड़कियों में यह टेलेन्ट होगा। परन्तु क्या हमारे पास प्रोपर रेजिंस हैं? क्या हमारे पास प्रोपर कोचिज़ हैं? क्यो हमारे पास पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर है? श्री राम लाल जी ने बिल्कुल

ठीक कहा कि फेडरेशन के ऊपर राजनेताओं और ब्यूरोक्रेटस का कब्ज़ा क्यों है? जिस आदमी ने नैशनल स्तर पर खेला हो केवल उसी को फेडरेशन का हैड बनने का मौका दिया जाना चाहिए। अगर मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया है, जैसे मैने तैराकी में नैशनल लेवल की खेल प्रतियोगिता में भाग लिया तो मेरा हक बनता है कि मुझे उस फेडरेशन का हैड बनाया जाता चाहिए। अगर मैंने बन्दूक उठा कर फायर भी न किया हो और मैं उस फेडरेशन का अध्यक्ष बन जांऊ, that does not suit to my State. इसलिए हमारा फ्रेमवर्क बिल्कुल क्लीयर होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय यह बात बिल्कुल स्पष्ट है that we have not seriously worked till date on sports. ईमानदारी से हमने कोई प्रयास नहीं किया। आपने स्पोर्टस बिल की बात की, वह भी राजनीति से भरा हुआ है। मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं एक एथलीट की, एक यूथ की, एक यंग टेलेन्ट की। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज विश्व में स्पोर्टस एक बहुत बड़ा करियर है। People take sports as a career and start taking training for it at a very young age. I remember our coaches tell us की युरोप या अमेरिका के देशों में दो-तीन साल के बच्चे को वह लोग पूल में फेंक देते है फिर फिर वह देखते हैं कि वह कैसे संघर्ष करता है। बच्चे की

05/03/2020/1420/डी0टी/ए0एस0-3

दिनचर्या 8 से 12 घण्टे स्विमिंग पुल में ही होती है। जो जिमनास्ट है जिमनेजियम के अन्दर ही है, जो एथलीट है वह एथलीटिक के अन्दर ही है, जो वेट-लिफ्टर है वह वेट-लिफ्टिंग में ही है। There are endless events in which Himachal Pradesh dawn the national medals. रेसलिंग के अन्दर हरियाणा ने अपना एक स्थान बना लिया है। आज हरियाणा के खिलाड़ियों के ऊपर पिक्चर बननी शुरू हो गई। दंगल फिल्म उन में से एक है। रेसलिंग में हरियाणा का पूरे देश में नाम है, हमारा किसमे नाम है? No doubt about that we have the best cricket infrastructure. परन्तु आज तक हमारे हिमालच का

एक भी बच्चे ने देश का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। We have not represented India at any level till date. इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी, क्योंकि माननीय मुख्य मन्त्री जी भी अभी सदन में हैं व माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है that we should be very serious on the Sports policy. We should have a Sports University. We should have a sports college in every district of the State and we should have talent search programme. In this regard, a calendar should be planned in advance. So that the talent can be sorted out, the talent can be looked for and the talent can be trained. So that Himachal Pradesh can bring lot of glory by these youngsters. माननीय अध्यक्ष महोदय, आप ने समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

एन0जी0द्वारा जारी

05-03-2020/1425/डी.सी.-एन.जी./1

श्री राकेश पठानिया के बाद...

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री जगत सिंह नेगी भाग लेंगे।

श्री जगत सिंह नेगी (किन्नौर): अध्यक्ष महोदय, गैर सरकारी संकल्प जो माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी द्वारा लाया गया है मैं उस पर अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझ से पूर्व माननीय सदस्यों ने स्पोर्ट्स नीति होनी चाहिए इस पर बहुत सारी बातें रखी हैं और मैं उनको दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यही कहना चाहूंगा कि स्पोर्ट्स नीति बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हमारे हिमाचल प्रदेश में Department of Youth Services & Sports बहुत लम्बे समय से बना हुआ है। कई बार इस विभाग के लिए स्वतंत्र मंत्री भी रह चुके हैं परन्तु इस विभाग को जिस प्रकार काम करना चाहिए था वह नहीं हुआ है। मुझ से पूर्व के वक्ताओं ने सही कहा कि इस विभाग का कोई विज़न नहीं है, कोई डायरैक्शन नहीं है, इसमें थोड़ा सा बजट है, जैसा बताया गया है कि केवल 34 करोड़ रुपये का बजट है जिसमें सैलरी भी सम्मलित है और प्लान के लिए तो 20 करोड़ रुपये भी

नहीं बचता होगा। इन 20 करोड़ रुपये का जो बंदर बांट हो रहा है उसे भी रोकने की आवश्यकता है। जब कोई नीति नहीं होगी तो स्वभाविक है कि इस प्रकार बंदर बांट ही होगा। स्पोर्ट्स को लेकर जो सबसे बड़ी समस्या है कि यहां पर बहुत सारे स्पोर्ट्स एसोसिएशन बन गए हैं और विभाग की तरफ से एक स्टेट लेवल एसोसिएशन को मात्र 50 हज़ार रुपये या 1 लाख रुपये सरकार का कंट्रीब्यूशन दिया जाता है। 1 लाख या 50 हज़ार रुपये से फुटबाल का, हॉकी का, कबड्डी का या किसी भी खेल का एसोसिएशन अपने खेल गतिविधियों को आगे नहीं बढ़ा सकता है। यह बात ठीक है कि क्रिकेट में बहुत पैसा है, उसे हम आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसा करना भी चाहिए परन्तु दूसरे खेलों को भी कैसे आगे बढ़ाएं इस पर भी विचार करना चाहिए। खेल नीति जरूर बनाइये और उसमें जितने हमारे माननीय सदस्य जो खेलों में रूचि रखते हैं उनको बुलाइये, हमारे प्रदेश से जो खिलाड़ी अन्तर्राष्ट्रीय खेल चुके हैं उनको भी बुलाइये, इसके अलावा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाकर एक सैमिनार कीजिए व इसके लिए एक नीति बनाइये। इसके साथ-साथ एक स्पोर्ट्स् एक्ट भी बनाने की जरूरत है। यहां पर जो स्पोर्ट्स एसोसिएशन हैं यदि आप उन्हें कानून के दायरे में नहीं लाएंगे तो एक ही व्यक्ति जो 20-20 साल से उस पर कुंडली मार कर बैठा है ऐसी प्रथा समाप्त नहीं हो पाएगी। उसकी फंडिंग और ऑडिट को पुछने के लिए हमारे पास एक कानून होना चाहिए, वैसे तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट

05-03-2020/1425/डी.सी.-एन.जी./2

के तहत उन्हें पंजिकरण करना अनिवार्य है परन्तु इन्हें कोई नहीं देखता है। जब तक हम स्पोर्ट्स एक्ट नहीं बनाएंगे और जिस के लिए एक बार कोशिश भी हुई थी व माननीय राज्यपाल महोदय ने उसे वापिस नहीं भेजा, अब उसमें भी कोई राजनीति होगी शायद इसलिए वापिस नहीं भेजा और जब भेजा तो उसे वापिस ले लिया गया। जब एक्ट ही नहीं होगा तो किस प्रकार हम इन एसोसिएशनज़ को कंट्रोल करेंगे यह चिन्ता का विषय है और हम इसके स्वयं भुगत-भोगी हैं। हिमाचल प्रदेश ओलम्पिक एसोसिएशन का चुनाव हुआ और उसके अंदर एक-दूसरे के साथ छीना-झपटी हुई, केस दर्ज हुए परन्तु केसिज़ दर्ज होने के बावजूद सारे-के-सारे केस ऐसे ही छोड़ दिए गए। आज 2-2, 3-3 एसोसिएशन बने हुए हैं, कोई कहता है कि मैं असली हूं और कोई कहता है मैं असली हूं, इसमें 'मैं' को भी खतम करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में जो स्कूलज़ के गेम्स हैं उसमें भी चिन्ता करने की जरूरत है। आज प्राथमिक स्कूलों में, मिडल स्कूलों में, हाई स्कूलों में अंडर 19, अंडर 17,

अंडर 16 और कई प्रकार के खेल आयोजित होते हैं लेकिन आप उनके लिए कितना पैसा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चों को 60 रुपये देते हैं लेकिन बच्चों को 60 रुपये नहीं मिल रहा है। जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम है वहां पर तो पैसा ही नहीं है और वहां पर मां-बाप को पैसा देना पड़ता है। जिस स्थान पर टूर्नामैंट आयोजित होता है वहां पर आने-जाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। जब बच्चे वहां पर जाते हैं तो स्कूलों के कच्चे कमरों में रहते हैं जिनमें फर्श टूटी हुई होती है, बाहर शौचालय नहीं होते हैं। आज हम 21वीं शताब्दी में है और स्पोर्ट्स में हमारे ऐसे हाल हैं। स्कूलों में एक साइड पतीले पर चावल डाल देते हैं और दूसरी तरफ मलका डाल देते हैं और आधा कच्चा खाना बच्चों को परोस दिया जाता है। उसको खाने के बाद बच्चे जंगलों में मिलते हैं क्योंकि उन्हें दस्त लग जाते हैं। शिक्षा मंत्री जी बड़ी-बड़ी बाते करते हैं और इनके स्कूलों का हाल ऐसे हैं। शिक्षा मंत्री जी किसी एक टूर्नामैंट में जा कर तो दिखाना...(व्यवधान)

अध्यक्ष, श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी.....

05/03/2020/1430/MS/AS/1

अध्यक्षः माननीय सदस्य, आप चेयर को सम्बोधित कीजिए।

श्री जगत सिंह नेगीः मैं चेयर को ही सम्बोधित कर रहा हूं लेकिन मुझे मंत्री जी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं उनको बड़े काम भी करने पड़ेंगे। आप बड़े काम करके दिखाओ। आप लांछन लगाने के सिवाय और क्या करोगे? यहां मतियाणा में जो शिक्षा विभाग का स्पोर्ट्स का वॉलीबॉल का होस्टल है मैं वहां से आता-जाता रहता हूं। वहां रहने वाले बच्चों के जूते फटे हुए होते हैं। जो छात्रावास के अंदर कमरे हैं उनसे बदबू आ रही होती है और किचन सड़ा हुआ है, उस पर इनका ध्यान जाना चाहिए। अध्यक्ष जी, स्कूल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि जो पैसा; अभी मेरे साथी सुक्खु जी ने ठीक कहा कि हम एक रुपया जो शराब का गाय के लिए दे रहे हैं, हम स्पोर्ट्स के लिए दो रुपये दे सकते हैं। इस तरह इससे 16-17 करोड़ रुपये जमा हो जाएंगे। अगर 8 करोड़ शराब की बोतल बेची है तो यदि एक बोतल में दो-दो रुपये लगाएंगे तो 16 करोड़ रुपये हो जाएंगे। गाय के बजाय स्कूल के बच्चों को वह पैसा दे दो। हमें अपने स्कूलों में बच्चों के टूर्नामैंट का स्टैण्डर्ड बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक और भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो स्कूल के टूर्नामैंट होते हैं, वे कभी इस गांव में और कभी किसी अन्य

जगह पर होते हैं। आपको आने वाले समय में सोचना पड़ेगा कि जिला स्तर के टूर्नामैंट आप एक जगह पर केन्द्रित करें। वहां पर स्टेडियम बनाएं जिसमें होस्टल के अलावा अन्य सारी सुविधाएं भी हों ताकि बच्चों को ज़मीन पर न सोना पड़े। स्कूलों में दो शौचालय और 500-600 या 1000 बच्चे टूर्नामैंट के लिए आते हैं। वे सब शौचालय के लिए खुले स्थान में जाते हैं। इसलिए इस बात पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हमने जिला किन्नौर में कुछ साल पहले बॉक्सिंग को स्कूलों में इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बहुत अच्छे नतीजे आए। आज मुझे यह कहने में गर्व हो रहा है कि किन्नौर जिले के दो दर्जन से ज्यादा लड़के/लड़कियों ने नेशनल लैवल पर "खेलो इण्डिया" में अण्डर 19 और अण्डर 17 में गोल्ड मैडल लिए हैं और मैंने अपनी ऐच्छिक निधि से आज तक 8 लाख रुपये

5/03/2020/1430/MS/AS/2

से ज्यादा की राशि प्राइज के तौर पर दी है। जिन्होंने खेलो इण्डिया में नम्बर वन पर आकर गोल्ड मैडल लिया है उनको एक-एक लाख रुपये दिये हैं और जिन्होंने ब्रौंज मैडल लिये, उनको 35000/-रुपये दिए हैं। इसी तरह से सिल्वर मैडल लाने वालों को भी इसी तरह से सम्मानित किया है। मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किन्नौर और लाहौल-स्पिति जिले से एडवेंचर स्पोर्ट्स में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर एक नहीं,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, वाइंडअप करें।

श्री जगत सिंह नेगीः दर्जनों चढ़े हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को चिट्ठी लिखकर भी कहा है कि मेरे किन्नौर से इतने लोग जो सेना और अर्द्धसैनिक बल में हैं, जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े हैं, उनको सम्मानित कीजिए। जो लाहौल के लोग हैं उनका सम्मान कीजिए। मैंने मुख्य मंत्री जी से हाल ही में निवेदन किया है कि हमारा एक लड़का हिमाचल से एवरेस्ट के लिए सलैक्ट हुआ है। उसको इण्डियन माउंटेन फाउंडेशन ने सलैक्ट किया है। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन किया है कि उसको हिमाचल की तरफ से स्पौंसर कीजिए। वह लड़का एवरेस्ट में चढ़ेगा और हिमाचल का नाम ऊंचा करेगा। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसी तरह से स्पोर्ट्स को आगे करने के लिए सबकी चिन्ता है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि आपने वायदा किया था कि पॉलिसी लाएंगे लेकिन आपने वह पॉलिसी नहीं लाई ...(व्यवधान) वह एवरेस्ट पर जाएगा तो हिन्दुस्तान का तिरंगा उसके हाथ में होगा। ...(व्यवधान) बी0जे0पी0 का झण्डा नहीं होगा। हिमाचल का नाम होगा और उसके हाथ में तिरंगा झण्डा होगा। उसके हाथ में बी0जे0पी0 का भगवा झण्डा नहीं होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05/03/2020/1430/MS/AS/3

अध्यक्षः अब इस चर्चा में माननीय सदस्य, श्री विशाल नेहरिया जी हिस्सा लेंगे।

श्री विशाल नेहरियाः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने जो खेल नीति के ऊपर संकल्प इस सदन में लाया है, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष जी, एक इंसान के जीवन में खेल का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अगर इंसान खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाता है, खेलों में हिस्सा लेता है तो वह शारीरिक रूप से तो स्वस्थ रहता ही है और साथ में मानसिक रूप से भी बिल्कुल स्वस्थ रहता है। जो संकल्प यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसमें मेरा विचार यही है कि सरकार को खेल नीति बनानी चाहिए और इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। खेल नीति ऐसी होनी चाहिए कि वह मात्र खेल प्रतियोगिता आयोजित करने तक सीमित न हो। खिलाड़ियों का खेल के प्रति और आकर्षण बढ़े ताकि वह खेल को एक लक्ष्य लेकर खेले और उस खेल में अपना मुकाम हासिल करे। हिमाचल प्रदेश से ऐसे कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने हिमाचल प्रदेश का भारत देश में ही नाम रोशन नहीं किया है अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी यहां से निकलकर गए हैं जिन्होंने हमारे हिमाचल का नाम रोशन किया है। हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां के नौजवानों में बहुत सारा टैलेंट है परन्तु उनको एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रैक नहीं मिल पा रहा है, जहां पर वे अपना टैलेंट दिखा सके।

जारी जे0के0 द्वारा------

05.03.2020/1435/JK/एचके/1

श्री विशाल नेहरियाः-----**जारी**-----

मुझे लगता है कि खेल नीति ऐसी होनी चाहिए कि उन खिलाड़ियों को वह ट्रैक मिल सके। हम लोग सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। हमने देखा है कि वहां पर एक पी.टी. का पीरियड हुआ करता था, जो आज के समय में बन्द हो चुका है। वह पीरियड फिर से शुरू होना चाहिए। मैं तो यह कहता हूं कि जिस समय हमारी प्रारम्भिक शिक्षा होती है, उसी समय से एक स्पोर्ट्स का विषय भी हम लोगों को वहां पर जरूरी करना चाहिए, जिसका प्रैक्टिकल भी हो ताकि बचपन से ही विद्यार्थी स्पोर्ट्स के प्रति अपनी ज्यादा पार्टिसिपेशन दे सकें। आने वाले समय में जब वह बड़ा होता है, जब उसको बड़ा ट्रैक, बड़ा प्लेटफार्म मिलता है तो अपनी खेल में वह ज्यादा प्रतीभा दिखा सके। यहां पर स्पोर्ट्स होस्टल की बात आई। जिला स्तर पर हमारे यहां पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स होस्टल हैं ताकि खिलाड़ी वहां पर दाखिला ले सकें, स्पोर्ट्स के प्रति अपना ज्यादा समय दे सकें। किसी भी खेल में जो भाग लेता है, उसको वहां पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, ट्रैक मिलेगा और कोचिंज मिलगी। वह खिलाड़ी तब अपनी खेल को और ज्यादा सुदृढ़ कर सकता है। पंचायत स्तर की हम लोगों को एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। पंचायत स्तर पर भी हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग खेलों के मैदानों को विकसित करें परन्तु उनमें जो स्थानीय खिलाड़ी हैं, उनको भी कोई सिखाने वाला हो, ऐसे कोचिज़ हम लोगों के पास होने चाहिए। वह चाहे हम लोग आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध करवा कर वहां पर दें। मुझे लगता है कि यह जो संकल्प माननीय सदस्य ले कर आए हैं, यह बहुत जरूरी है। इसमें हम लोगों को नीति बनानी चाहिए ताकि हमारे युवाओं के लिए अच्छा ट्रैक मिले। जो नशे की बात आजकल हम बार-बार करते हैं, मुझे लगता है कि खेल एक ऐसा ज़रिया है जहां से खिलाड़ी नशे से दूर रहता है । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस खेल नीति के ऊपर बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.03.2020/1435/JK/एचके/2

अध्यक्षः अब श्री नन्द लाल जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

श्री नन्द लाल (रामपुर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी सदन में संकल्प लाए हैं "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार खेल नीति बनाने पर विचार करें।"

अध्यक्ष महोदय, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सदन में लाए हैं। खेल नीति का होना बहुत ही जरुरी है, क्योंकि इस वक्त जो स्पोर्ट्स का एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उससे स्पोर्ट्स को कोई बढ़ावा नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां पर जियोग्राफी इस तरह की है, जैसे कि अप्पर शिमला का एरिया है, उसमें जियोग्राफी इस तरह की है, पहले शुरू से वहां छोटे ग्राउंड के चलते बॉलीबॉल और कबड्डी ज्यादा खेली जाती थी। मैदानी इलाकों में दूसरी खेलें भी खेली जाती हैं। वहां पर सुविधाएं नहीं थी, ग्राउंड नहीं थे, इन सबके बावजूद भी अब लोग वहां छोटे-छोटे खेतों में क्रिकेट खेलने पर उतारू हो गए हैं। ये सब कमियां होने के बाव के किन्नू गांव से दो लड़कियां इन्टरनेशनल बॉक्सिंग करके आईं और मैडल लेकर आईं। जैसे कि श्री जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि हमारे वहां पर उस तरह की व्यवस्था नहीं हैं। जो संघ है वह एसोसिएशन से मिल करके at their own, वे कोशिश कर रहे हैं। हम उनको मुबारकवाद देना चाहेंगे। उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। अगर यह सुविधा उनको आराम से मिल जाए तो एक-दो नहीं dozens of youngsters इसमें जाएंगे और अपनी प्रतीभा दिखा पाएंगे।

श्री एस.एस. द्वारा जारी----

05.03.2020/1440/SS-HK/1

श्री नन्द लाल क्रमागत :

अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो स्कूल सिस्टम है उसके बारे में सब सदस्यों ने बात कही। अब क्या हो रहा है कि इसका एक शैडयूल डिपार्टमैंट वर्क आउट करता है। उसमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है कि कहां क्या करना है। एक तो पहले ही आपने उसमें

सरकार की तरफ से डाइट फिक्स की है। 60 रुपये में किसको क्या करना है, हम उस बात को नहीं समझते। वे जो बच्चे हैं जैसे नेगी जी ने कहा कि वे बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में रहते हैं। फर्श पर पड़े रहते हैं, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस तरह के इनह्यूमन हालात में रहते हैं फिर भी उनको अपना काम पूरा करना होता है, वहां से पार्टिसिपेट करके जाना होता है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि एक तो जब हम वैन्यू सिलैक्ट करते हैं तो यह देखना चाहिए कि जगह सैंट्रली लोकेटिड हो। ट्रांसपोर्ट कम लगे और उसके साथ वहां रहने की प्रॉपर व्यवस्था हो। ऐसे इंटीरियर में रख लेंगे जैसे हमारे यहां टिप्पर-मझोली है तो वह सही नहीं है। ...(व्यवधान) सर, इसमें थोड़ा-सा बजट और डाल देना। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमको इन चीज़ों पर ध्यान देना है।

दूसरा, स्कूलों में जहां से हम फिज़िकल एक्टिविटी और पढ़ाई शुरू करते हैं उसमें जैसे सब माननीय सदस्यों ने कहा कि स्कूल में पी0टी0आई0 नहीं होता है, डी0पी0 नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि वहां पर फिज़िकल एक्टिविटी के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता है। मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि कम-से-कम स्कूलों में पी0टी0आई, डी0पी0 या फिज़िकल एक्टिविटी के लिए इंस्ट्रक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। कोचिज़ रखे जाएं ताकि बच्चे प्राईमरी लेवल से ही फिज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें। मैंने कहा कि ये जो शैडयूल है इसको भी सोच-समझ कर रखना चाहिए। ऐसे ही बरसात में रख देते हैं तो लोगों को जाना मुश्किल होता है। इसको मौसम को ध्यान में रखते हुए फिक्स किया जाए।

सब सदस्यों ने कहा कि स्पोर्ट्स कम्पलैक्स कम-से-कम हर निर्वाचन क्षेत्र में हो। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह रहेगा कि हमारे यहां एक रामपुर में स्पोर्ट्स होस्टल बनकर तैयार हो चुका है, उसे बड़ी मेहनत से बनाया है, कृपया उसका उद्घाटन किया जाए ताकि उस स्पोर्ट्स होस्टल में बच्चे

05.03.2020/1440/SS-HK/2

एडमिट किये जा सकें और वहां पर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी को बढ़ावा दे पाएं। अब इनको इंसैंटिव की ज़रूरत है। जो स्पोर्ट्स में बच्चे जाते हैं अगर इनको इंसैंटिव्ज़ नहीं होंगे तो बच्चों को पार्टिसिपेट करने व मशक्कत करने का फायदा नहीं होगा। इसलिए इनको वित्तीय लाभ मिलने चाहिएं। जैसे श्री जगत सिंह नेगी जी ने ज़िक्र किया कि उसको स्पोंसर

करने वाला कोई नहीं मिल रहा। अब यह छोटी बात नहीं है। जिसका सिलैक्शन हो रहा है, जिसने माउंट एवरैस्ट पर जाना है, उसमें कोई राजनीति न की जाए। वह भले ही किसी पार्टी का हो। आफ्टरऑल उसमें टेलैंट है finally he has been selected by Mountaineering Institute. तो उसको जाने के लिए हम सब को सहयोग करना चाहिए। यह कांग्रेस, बी0जे0पी0 का इश्यू नहीं है। हमें उसकी ठीक से मदद करनी चाहिए ताकि इस तरह के टेलैंट को बढ़ावा मिल सके। दूसरा एडवैंचर स्पोर्ट्स की बात की। हिमाचल प्रदेश के अंदर एडवैंचर स्पोर्ट्स की अथाह सम्भावनाएं हैं। बड़े अच्छे-अच्छे स्कीइंग स्लोप्स हैं, पैराग्लाइडिंग के लिए अच्छे स्लोप्स मिलेंगे। ट्रैकिंग के लिए आपको अच्छे रूट्स मिलेंगे। इसको भी एक्सप्लोर किया जाए। जैसे नेगी जी ने कहा कि जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमैंट है उनको यह काम दिया जाए ताकि वे ये सब काम कर सकें। मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार ने भी एक खेल नीति 'आओ खेलिये" बनाई है। वे भी काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक उसमें खास सफलता नहीं मिल पाई है। आओ खेलिये में भी 'Hunting for the talent'. वह करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह हो नहीं रहा है। उन्होंने हिमाचल में कोशिश की है या नहीं, । don't know. यह तब होगा जब हम इसको कैरीकुलम में डालेंगे। हमको बेशक एक क्लास कम करनी पड़े, अगर यह फिज़िकल एक्टिविटी आपके स्कूल कैरीकुलम में जायेगी तो निश्चित रूप से हमारे स्पोर्ट्स में बढ़ावा होगा। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि आप मुझे बार-बार बैठे के लिए कह रहे हैं इसलिए मैं ज्यादा समय न लेता हुआ इतना ही कहना चाहता हूं कि एक-एक इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स कम्प्लैक्स के लिए सरकार स्कीम बनाए ताकि एक-एक निर्वाचन क्षेत्र में ये सुविधाएं मिल जाएं। Shooting range, indoor stadium और स्पोर्ट्स कम्प्लैक्स है, और कुछ नहीं तो कम-से-कम एक ग्राउंड उपलब्ध हो ताकि गांव के जो लड़के हैं वे शाम को नशा करने के बजाय वहां अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करें, कुछ गेम्स खेलें। यह मेरा सरकार से आग्रह रहेगा।

जारी श्रीमती के0एस0

05.03.2020/1445/केएस/वाईके/1

श्री नन्द लाल जारी---

हर चुनाव क्षेत्र के अंदर पंचायत लैवल पर एक अच्छा ग्राउंड हो ताकि हमारे बच्चे, शाम को जब भी उनको समय मिले, अपने खेल की गतिविधियों को बढ़ावा दे सकें। हम तो राजनीति में पड़े हुए हैं, संघ बने हैं, यह मेरा संघ है, यह उसका संघ है, यह एसोसिएशन है, वह एसोसिएशन है। सरकारी तौर पर एक प्रॉपर शेप दी जाए कि यह बॉलीबॉल का संघ है, यह इसका चेयरमैन है। इसी तरह कबड्डी का है, फुटबॉल का है, सारे संघ को नॉर्मज़ के मुताबिक बनाया जाए ताकि लोगों में यह प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाए और जो यह राजनीति हो रही है, उसको रोका जा सके। अध्यक्ष महोदय, राकेश जम्वाल जी के आइडियाज़ के साथ, जो नीति बनाने की इन्होंने बात की है, मैं इसमें अपने आप को भी शामिल करता हूं। यह बहुत अच्छी बात है ताकि हमारे नौजवान लोग अपने को फिज़िकली फिट रख सके। जो फिज़िकली फिट होगा, मैंटली भी फिट होगा। अध्यक्ष जी, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.03.2020/1445/केएस/एचके/2

अध्यक्षः अब श्री बलबीर सिंह वर्मा जी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री बलबीर सिंह वर्माः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने खेल नीति के बारे में जो संकल्प इस माननीय सदन में लाया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, मानव जीवन को स्वस्थ रहने के लिए खेलना बहुत ज़रूरी है और खेलों में जो भाग लेंगे, वे ही स्वस्थ रहेंगे, वे ही आगे बढ़ेंगे। सभी माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पंचायत भवन, एजुकेशन बिल्डिंग आदि 13 संस्थाओं को बनाने की अनुमति मिलती है। एक हैक्टेयर तक उसमें स्टेट गवर्नमैंट अनुमति देती है। अगर आप 14वां स्पोर्ट्स ग्राउंड भी उसमें शामिल करेंगे तो राज्य सरकार ही एक हैक्टेयर तक फोरैस्ट में उसमें अनुमति देगी। ...(व्यवधान) फोरैस्ट क्लीयरेंस के लिए मैं बोल रहा हूं। एफ.आर.ए. केस बंद हैं, एफ.सी.ए. बंद नहीं हैं। एफ.सी.ए. केस की एक हैक्टेयर तक की अनुमति राज्य सरकार 13 संस्थाओं के लिए देती

है। अगर 14वां खेल ग्राउंड भी उसमें ले लिया जाए तो राज्य सरकार ही एक हैक्टेयर तक उसमें अनुमति देगी और साथ ही साथ जैसे स्कूल लैवल में हमारे बाकी सब्जैक्ट होते हैं, स्पोर्ट्स का सब्जैक्ट भी रखा जाए और प्रत्येक बच्चा किसी न किसी खेल में भाग लें और जैसे बाकी सब्जैक्ट्स के नम्बर मिलते हैं, स्पोर्ट्स सब्जैक्ट के नम्बर भी जोड़े जाएं, इस तरह की नीति बने तो हर गांव में, हर स्कूल में स्पोर्ट्स पहुंच सकता है, हर क्षेत्र में पहुंच सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि प्रदेश के अंदर जो ब्लॉक लैवल के टूर्नामैंट्स होते हैं, उनमें बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं। उसमें बच्चों को रहने और खाने की व्यवस्था सिर्फ 60 रुपये है और ट्रांस्पोर्टेशन के लिए एक पैसा भी बच्चों को नहीं मिलता। एक छोटी गाड़ी में, टैक्स में 30-30, 35-35 बच्चे जाते हैं। मेरे चौपाल चुनाव क्षेत्र में 100-200 किलोमीटर तक बच्चों को जाना पड़ता है जो कि ट्रैक्स में जाते हैं। सरकार कोई ऐसी ट्रांस्पोर्टेशन की

05.03.2020/1445/केएस/एचके/3

व्यवस्था करें और ब्लॉक लैवल, डिस्ट्रिक्ट लैवल और स्टेट लैवल के टूर्नामैंट्स में ट्रांस्पोर्टेशन भी शामिल हो। जैसे खाने के लिए 60 रुपये भत्ता दिया जाता है, वैसे ही ट्रांस्पोर्टेशन के लिए कुछ न कुछ पैसे का प्रावधान ज़रूर हो, इसको भी इस नीति में लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, युवा वर्ग को अगर नशे से दूर रखना है तो हर क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर ग्राउंड बनने चाहिए। यदि ये ग्रामीण स्तर तथा पंचायत स्तर पर बनेंगे तो उससे हमारा युवा नशे से दूर रहेगा और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगा,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

श्री बलबीर सिंह **वर्मा**----**जारी**

कि आपको इसके लिए हर क्षेत्र में ग्राउंड बनाने हेतु बजट का प्रावधान करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में ग्राउंड बनाते हैं तो अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी बहुत कम हो जायेगी। हिमाचल प्रदेश का अगर हर आदमी स्वस्थ रहेगा तो यह प्रदेश बहुत आगे बढ़ सकता है इसलिए हर क्षेत्र में ग्राउंड बने। इसके लिए एस0सी0सी0पी0 के अंतर्गत भी बजट आता है। लेकिन एस0सी0सी0पी0 से हर निर्वाचन क्षेत्र के लिए बजट आना चाहिए। हमारे एस0सी0सी0पी0 के अंतर्गत स्पोर्ट्स के लिए जो बजट आता है उसको विभाग 2-3 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देता है और बाकी निर्वाचन क्षेत्रों को वह पैसा नहीं मिल पाता। मेरा आग्रह रहेगा कि एस0सी0सी0पी0 के अंतर्गत स्पोर्ट्स के लिए मिलने वाला बजट प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को दिया जाए। आप खेल नीति बनाते समय इस बात का प्रावधान भी करें कि एस0सी0सी0पी0 के अंतर्गत खेल के लिए मिलने वाला पैसा प्रदेश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों को मिले। मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र से श्री सूरत सिंह पांडे जी टीम इंडिया के लिए खेला करते थे। वे अपनी पढ़ाई के दौरान स्कूल के लिए रोज़ाना 10-12 किलोमीटर पैदल आते-जाते थे। लेकिन अब गांव-गांव में स्कूल खुल गये हैं जिसके कारण बच्चों की कोई भी फीजिकल एक्सर्साइज नहीं हो रही। अगर आप कोई ऐसा प्रावधान करें कि महीने में 1 दिन या किसी भी शनिवार को 2.00 बजे अपराह्न के बाद बच्चों को 10-15 किलोमीटर तक ट्रैकिंग पर ले जाएं या दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी बिल्डिंग की अगर नींव मज़बूत होगी ऊपर बिल्डिंग तभी टिकेगी। इसी तरह से अगर हमारे बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी वे हमारे प्रदेश व देश का भविष्य बन पायेंगे। माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने जो खेल नीति बनाने बारे यहां पर संकल्प लाया है इसके तहत यदि आप इस प्रदेश के अंदर एक स्ट्राँग खेल नीति बनाते हैं तो उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय मंत्री जी को पूरे प्रदेश की जनता याद रखेगी। इसलिए आप एक ऐसी नीति बनाये जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और इस प्रदेश को आगे ले जाए।अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। रखेगी। इसलिए आप एक

ऐसी नीति बनाये जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ रहे और इस प्रदेश को आगे ले जाए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

05.03.2020/1450/AV-YK/2

अध्यक्ष : अब इस चर्चा में माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी हिस्सा लेंगे।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने जो प्रदेश के अंदर खेल नीति बनाने के लिए जो संकल्प रखा है; यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर हमारी सरकार कोई अच्छी खेल नीति बनाती है तो उसका इस प्रदेश व देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। कहा गया है कि 'स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है'। जब स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमारा मन भी ठीक रहेगा और जब मन ठीक होगा तो हम सभी कार्य बड़े उत्साह व अच्छे ढंग से कर सकेंगे। यहां पर खेल नीति की चर्चा हो रही है और इसमें कई माननीय सदस्यों ने विस्तृत रूप से भाग लिया है। मेरा मानना है कि इस खेल नीति पर दो प्रकार से विचार करना चाहिए। इसमें एक तो स्कूली शिक्षा के दौरान छात्रों का चरणबद्ध तरीके से शारीरिक व मानसिक विकास करने के लिए खेलों के बारे में निश्चित रूप से कुछ कार्यक्रम निर्धारित करने चाहिए ताकि छात्र सही दिशा में आगे बढ़ सके। स्कूलों के अंदर खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उसके लिए पर्याप्त बजट का प्रबंधन करना भी आवश्यक है।

टी सी द्वारा जारी

05.03.2020/1455/TCV/AG-1

श्री राजिन्द्र गर्ग...जारी

जैसा हमारे अनेक माननीय सदस्यों ने यहां चर्चा के दौरान कहा कि हमारे जो छात्र खिलाड़ी होते हैं, वे खेलों के लिए जाते हैं तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं होती है

और उसके लिए जो अमाउंट रखा होता है, वह भी बहुत कम है। जब टूर्नामैंट्स स्कूल के अंदर होते हैं तो जो अध्यापकगण होते हैं, उनका बहुत-सारा समय छात्रों के प्रबंधन और पैसा इकट्ठा करने व समाज के लोगों से बातचीत करने में चला जाता है। उनको यह कार्यक्रम निपटाना कठिन हो जाता है। इसलिए केवल कर्मकांडी प्रतियोगिता न हो, इन खेलकूद प्रतियोगिता से हमारे छात्रों को सही दिशा मिले। एक नया उत्साह और नई दिशा मिले कि इन खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह प्रेरणा इन खेलों से मिलनी चाहिए। इन छात्रों के लिए खाने-पीने के बजट के साथ-साथ इनके ट्रांसपोर्टेशन का बजट भी उसमें शामिल करना चाहिए क्योंकि गांव में दूर-दूर से छात्र गाड़ियों से वहां आते हैं और जाते हैं और उनको तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार अध्यापक उसमें संकोच भी करते हैं क्योंकि जब पैसा बीच में आता है तो वहां ऐसी कई दिक्कतें होती हैं और छात्रों को इसके कारण खेलों से वंचित भी रहना पड़ता है।

दूसरा, हमारी जो स्कूली शिक्षा है, उसमें शारीरिक अध्यापकों की कमी बहुत खल रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री, खेल मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों में जो शारीरिक अध्यापकों की कमी है, मिडल स्कूलों में जो बार लगा दी गई है कि यदि छात्रों की संख्या इतनी होंगी तभी शारीरिक अध्यापक मिलेगा। इस बार को भी हटाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही हमारी जो ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता है, उनके माध्यम से हमारे युवाओं को ठीक दिशा मिले, उनको साधना की स्थली मिले तो इसके लिए जो हमारे गांव का खेल का मैदान है, इससे बड़ी साधना स्थली कोई और नहीं हो सकती है। स्वामी विवेकानन्द जी

05.03.2020/1455/TCV/AG-2

ने भी कहा है कि मंदिर और मस्जिद में जाने से पहले आप खेल के मैदान में जाओ, वहां खेलो-कूदों और फिर आप मंदिर-मस्जिद जाकर पढ़ाई करेंगे तो उसमें आपका मन भी अधिक लगेगा। इसलिए गांव के अंदर खेल के मैदानों को विकसित करना हमारी

प्राथमिकता होनी चाहिए। समाज में हमारी युवा-शक्ति बहुत बड़ी संख्या में ऐसी पड़ी हुई है, जिनको इस प्रकार का कोई माध्यम या मंच नहीं मिलता है। गांव के अंदर मैदान नहीं है जिसके कारण हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे छोटे बच्चे इंटरनेट गेम्ज़ के ऊपर व्यस्त हो गये हैं। इसलिए हमें गावं-गावं में स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा और नई पीढ़ी को भी खेल के मैदान की ओर आकर्षित करना पड़ेगा। हमारे जो युवा गांव में हैं, उनको खेलने के लिए अच्छा वातावरण मिले, इसका निर्माण करने की आवश्यकता है ताकि हमारे जो युवा अन्य माध्यमों से इधर-उधर प्रदेश, देश, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलें खेलते हैं, उनका किसी को पता भी नहीं होता है कि वे कहां-कहां खेल रहे हैं। उनके लिए भी एक पोर्टल हमारे प्रदेश के अंदर बनें कि कौन-कौन खिलाड़ी हैं, किस-किस ने कौन-कौन-सी खेलें हैं और उन्होंने कौन-सा स्थान उसमें हासिल किया है? प्रदेश स्तर पर उन सबका नामांकन होना चाहिए ताकि अन्य समाज के लोगों को भी इससे प्रेरणा मिले।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, वाइंड अप करें।

श्री राजिन्द्र गर्ग : यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि खेल नीति के अंदर इन बातों को जोड़ा जाये। आज हमारे समाज के लिए जो एक बहुत बड़ी चुनौती नशे के रूप में हैं, चिट्टा इत्यादि की जो समस्याएं बढ़ रहीं हैं और हमारी युवा बड़ी मात्रा में इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। वे जब युवाओं की ऐसी तादाद खेल के मैदान में देखेंगे तो उनके अंदर जो ताकत है, बल है शक्ति है,

एन0एस0 द्वारा... जारी

उसकी उपासना जब वे खेल के मैदान के अंदर करेंगे तो अन्य लोगों को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। नशे की चुनौती आज हमारे सामने है और उसका सामना करने के लिए भी हमारे खेल के मैदान कारगर सिद्ध होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपने मुझे बोलने

का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद। खेल नीति का जो प्रस्ताव माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी ने लाया है मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूं।

05-03-2020/1500/NS/AG/2

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें।

श्री जीत राम कटवाल (झण्डुता) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य राकेश जम्वाल जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव "सरकार खेल नीति बनाने बारे विचार करे" पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपने मुझे बोलन का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। प्रत्येक सरकार का यह दायित्व और सोच रहती है कि खेल नीति व खेलों के बारे में चर्चा करे। समय-समय पर सभी सरकारों ने इसके बारे में सकारात्मक कार्रवाई भी की है। खेलों में तीन प्रतिशत आरक्षण और उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण भी दिया जाता है। इसके अलावा आज हमारा समाज नशा या कुछ दूसरी कुरीतियां और समस्याओं से जूझ रहा है। हरेक फोर्म पर बात होती है। हम सभी माननीय सदस्य एक बहुत अच्छा हल सुझाते हैं कि खेलें अगर हम सार्थक तरीके से, सहभागिता से और धरातल पर काम करें तो कुछ हद तक हम नशे की समस्या के ऊपर स्वाभाविक रूप से काबू पाने में सक्षम होंगे। वरिष्ठ सदस्य माननीय राम लाल ठाकुर जी खुद खेल मंत्री रहे हैं और इन्होंने बड़े अच्छे शब्दों पाइका गेम्ज़ और वूमैन स्पोर्ट्स गेम्ज़ के बारे में कहा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री जीत राम कटवाल जी बोल रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनें।

श्री जीत राम कटवाल : जो बच्चा राज्य स्तरीय या राष्ट्रीय स्तर पर अद्वितीय तरीके से भाग लेता है उसको इनाम भी मिलता है और नौकरियों में रिजर्वेशन तथा प्राथमिकता भी मिलती है। एक समय था जब ट्रैक सूट देते थे तो उनको धो कर रखते थे और दूसरी बार दे देते थे। वर्ष 2010 में जब मैं निदेशक, युवा सेवाएं एवं खेल बना तो राज्य स्तरीय खेलों में देना शुरू किया। लड़कियों को तथा हर परिवार में दो बच्चों को जो दो बार गेम्ज़ खेलने गए हों उन सबको मिले। इस पर हरेक सरकार ने काम किया है। इस संकल्प में मैं यह दोहराना चाहता हूं कि इस पर फिर भी अपडेशन की आवश्यकता है। काम भी हुआ है और हमारे बच्चों ने एशियाड, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय स्तरीय या कॉमन वैल्थ गेम्ज़ में भी अच्छा

प्रदर्शन किया है और उनको अच्छे ईनाम व पहचान भी मिली है। खेलों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो रहने की व्यवस्था, किराये की व्यवस्था होती है ये सब व्यावहारिक होता है और हर समय अपडेट होना चाहिए। वर्ष 2010-11 में इनका रेट रिवाइज़ हुआ। पहले 70-75 रुपये होता था फिर 120 रुपये हुआ। जो 100 रुपये होता था 150 रुपये हुआ

05-03-2020/1500/NS/AG/3

फिर 180 रुपये हुआ। अगर अभी भी बढ़ाने की आवश्यकता है तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए और इसको बढ़ाना चाहिए। ये सभी विषय प्राइस इंडैक्स की तरह होते हैं। जैसे हमारा डी0ए0 या अच्छे भत्तों की बात होती है तो उसी तरीके से खेलों के बारे में भी सोचना चाहिए। पहले कभी इस विभाग का बज़ट लगभग 14 करोड़ रुपये होता था लेकिन मेरे रहते हुए यह बज़ट 32-34 करोड़ रुपये तक पहुंच गया था। अब भी आवश्यकता है और हम इतनी बड़ी-बड़ी बातें या संकल्प करते हैं तो कम-से-कम सरकार तक यह बात पहुंचनी चाहिए कि इसका बज़ट 60 से 80 करोड़ रुपये तक पहुंचे।

(श्री रमेश चंद ध्वाला, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

महिला वर्ग और युवा वर्ग को हम समाज के एक टारगेट ग्रुप्स के रूप में मानते हैं

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

05.03.2020/1505/RKS/ए.एस.-1

श्री जीत राम कटवाल... जारी

हमारा देश युवाओं का देश है। यहां एवरेज एज 26-27 वर्ष है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हम विश्व के दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा सक्षम पाये गए हैं। चाहे वर्ल्ड रिसैसन की बात हो या अन्य किसी भी प्रकार की समस्याएं हों हम उनसे निपटने के लिए ज्यादा सक्षम हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए या खेलों के अच्छे कंडक्ट के लिए विधान सभा में एक कमेटी का गठन किया जाए। उस कमेटी के माध्यम से सिफारिशें की जाएं और उन सिफारिशों पर समयबद्ध तरीके से काम किया जाए। यह एक सरकार या दूसरी सरकार का काम नहीं है। यह समाज सभी का है और काम करने की जिमेवारी भी सभी की

बनती है। पूर्व में मैं किसी गेम्स की क्लोजिंग के लिए गया था। मास्टर गेम्स फैडरेशन ऑफ इंडिया ने 40 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए गेम्स शुरू कर दी है। जब व्यक्ति 58 या 60 वर्ष की आयु में रिटायर होता है तो वह अपने आप को आइसोलेट महसूस करता है। ये गेम्स उन व्यक्तियों के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। एक व्यक्ति 20 या 30 वर्ष तक अध्यक्ष बना रहे तो वह अच्छी बात नहीं है। मुझे ऐसे कई लोग मिले जिन्हें पता ही नहीं है कि वे कब अध्यक्ष बने और किस लिए बने हैं? उन्हें कोई नहीं पूछता। लेकिन इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से माननीय सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा की है, यदि सरकार द्वारा इसके लिए कमेटी का गठन किया जाए तो वहां भी इस विषय पर आप अपनी राय रख सकते हैं। हमें अपनी-अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर काम करना होगा और देश के भविष्य के लिए युवाओं की सार्थक ऊर्जा को समाज के विकास व उत्कृष्टता में लगाना होगा। वन विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभाग अपने-अपने कंपार्टमैंट्स में काम करते हैं और इन्हें थोड़ा कोर्डिनेट करने की आवश्यकता है। जहां कोई टूर्नामैंट हों वहां अच्छी व्यवस्था हो। जहां इंडोर स्टेडियम या ओपन एयर स्टेडियम हैं, वहां गेम्स ओर्गेनाइज की जाए। मेरा मानना है कि एक अच्छे वातावरण में खेलों का निष्पादन हो। माननीय सभापति जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद।

05.03.2020/1505/RKS/ए.एस.-2

सभापतिः सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और अपनी-अपनी बात को अच्छे तरीके से रखा। अब मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे इस चर्चा का उत्तर दें।

वन मंत्रीः सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री राकेश जम्वाल जी ने गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस में संकल्प लाया है कि "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार खेल नीति बनाने पर विचार करे ।" इसका महत्व हम इसी बात से लगा सकते हैं

कि इस विषय में कुल 15 माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार दिए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूं कि आपने खेल नीति बनाने पर अच्छे सुझाव दिए हैं।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

05.03.2020/1510/बी.एस./ए.एस./-1

वन मंत्री जारी...

सभापति महोदय, इससे पहले हिमालच प्रदेश में खेल पॉलिसी वर्ष 2001 में बनी थी और उसके बाद लगभग अभी 19 वर्ष बीत रहे हैं। अगली पॉलिसी बनाने की कमिटमैंट माननीय सभी सदस्यों ने कहा कि यह हमनें यहां पर की है कि हम नई स्पोर्ट पॉलिसी ले करके आएंगे और उसके लिए हम कमिटिड हैं। (व्यवधान) आदरणीय सुक्खु जी कृपया बोलने दीजिए। अभी हम सब ने यहां पर बहुत अच्छे से अपनी बात कही है। हमनें स्पोर्ट्स के संबंध में कहा कि जब कोई व्यक्ति अच्छा करता है तो वह मानसिक, शारिरिक दृष्टि से स्वस्थ होता है और वह शांत भी रहता है। फिर एक टीम स्पिरिट भी आती है। एक खिलाड़ी की भावना भी आती है। यदि यहां पर खिलाड़ी की भावना रखेंगे तो बाहर वाले भी देखेंगे। सबने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है। इसमें कोई शक नहीं है। हम इलैक्शन जीत गए है अब प्रदेश हित में कुछ करना है। मैं अभी देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में हमारे पास चार तरह की कैटागरि काम करती हैं जिसमें एक तो यह है कि 3 प्रतिशत के हिसाब से नौकरी दिया करते हैं Medal Winner of Olympic Games, Winter Olympic, Medal Winner of Common Wealth Games, Medal Winner of Asian Games, Winter Asiad, और कैटागरि दो में Participation in Olympic Games, Participation in Common Wealth Games, Participation in Asian Games और जो हमारी कैटागरि चार है ये Medal Winner in SAF Games, Medal Winner in National Games, Medal Winner in recognized Senior National Championship और जो हमारी category No. 4 है

Medal Winner in All India Inter University Sports Tournament, Medal Winner in All India National School Games, Medal Winner in recognized Junior National Championships, participation in SAF Games, at least three times participation in Senior National Championship, इसमें सभापति महोदय, अभी जो पिछला वर्ष है इसमें जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनमें से 69 को नौकरी पिछले वर्ष प्रदान की गई और इस वर्ष 50 को दी गई है। हमने उस पर विचार किया कि जो हमारे खिलाड़ी जीत कर आते हैं उनकी इनाम राशि अच्छी होनी चाहिए। इसमें आप सभी का सुझाव था उसमें भी

05.03.2020/1510/बी.एस./ए.एस./-2

ओलोंपिक गोल्ड मैडल में 2 करोड़ रुपया देंगे और सिल्वर मैडल को एक करोड़ रुपया और ब्राँज वाले को 50 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। इसके पश्चात हमने अभी जो नोटिफिकेशन की है यह 25.09.2019 की है। आदरणीय जय राम ठाकुर जी की सरकार के आने के बाद इस कैटागरि में जो भी आर्थिक सहायता भी उसे हमने डब्ल किया है। जिस गोल्ड मैडलिस्ट को 1.50 लाख रुपए मिलता था उसे हम 3 लाख रुपए दे रहे हैं। फिर सिल्वर को 75 हजार रुपए मिलता था उसे हम 1.50 लाख रुपए और नैशनल मैडल में ब्राँज वाले को 50 हजार रुपए के स्थान पर एक लाख रुपए दिया जा रहा है। उसी कैटागरि में नीचे तक जितनी भी इनाम की राशि है उसे हमने डबल किया है। वर्ष 2012 के बाद जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो परशुराम विजेता थे जिन्हें इनाम दिए नहीं गए थे। पिछले वर्ष ऐसे 16 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को अर्की में जो प्रदेश स्तर का हिमाचल डे हुआ था उसमें उन सब को इनाम दिए गए हैं। इसके अलावा जो अभी हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी आएंगे उन्हें आने वाले दिनों में इनाम प्रदान करेंगे। जिसमें महिला कबड्डी टीम है और कुछ अन्य खिलाड़ी हैं। अभी हमारा प्रदेश स्तर का कार्यक्रम होगा उसमें हम इन्हें सम्मानित करेंगे। हमारे ओलोंपिक चार्टर में 40 ऐसी खेंले सम्मिलित की गई हैं। यहां पर माननीय सदस्यों ने कहा कि जो हमारी स्पोर्ट्स पोलिसी है

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

05.03.2020/1515/DT/D.C-1

इसमें कहा गया कि हिमाचल प्रदेश में स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाने के लिए शिक्षा विभाग के साथ सामंजस्य बहुत आवश्यक है। स्कूलों में बहुत सी चीजें शिक्षा विभाग से संबंधित हैं। स्कूलों का पूरे वर्ष का केलैन्डर चलता है और स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय से बहुत अच्छे बच्चे निकलते हैं। सभापति महोदय, मैं एक और बात बताना चाहूंगा, मैं यह नहीं कहता कि हमने खेलों के लिए बहुत कुछ किया है परंतु इतनी निराशाजनक बात नहीं होनी चाहिए कि हमने कुछ भी नहीं किया है। हम मिल कर इसे और अच्छा कर सकते हैं, इसे और ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश पर्यावरण, जलवायु इतनी अच्छी है कि हमारे खिलाड़ियों का मनोबल बहुत ऊंचा होता है। जब हमारे खिलाड़ियों को मौका मिलता है तो वे जिस गेम में जाते हैं वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं। आशीष चौधरी गोल्ड मैडल ले करके आए, होकी में हमारे खिलाड़ी मैडल ले कर आए, कबड्डी में जकार्ता से हमारी महिला टीम सिल्वर मैडल ले कर आई। नेशलन कबड्डी का मुकाबला अभी दिल्ली में हुआ जिसमें हिमाचल की बच्चियां गोल्ड मैडल ले करके आई हैं। लेकिन उसके बावजूद सरकार का मुख्य काम मूलभूत ढांचे को और मजबूत करना है। हिमाचल प्रदेश में जो रेगुलर गेम्ज हैं इनके अतिरिक्त यहां पर जो साहसिक खेलें हैं इस दिशा में हमें बहुत अच्छे से बढ़ावा देने की आवश्कता है। मैं सदन को यह बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018-19 में स्पोर्ट्स कौंसिल के माध्यम से 2.80 करोड़ रुपया खर्च हुए और 2019-20 में अभी 80 लाख रुपये खर्च हए हैं। अभी हमने एक और एक्सपैरिमैंट करने का विचार किया है कि हमने स्पोर्ट्स कौंसिल को ए.टी.जी. और डवलप ऐप के अन्तर्गत पंजीकृत किया है। जिसके कारण लगता है कि स्पोर्ट्स की फिल्ड में कोई इन्वैस्ट करना चाहता है तो उसको भी सुविधा मिले। इसे भी हमने करवा लिया है। इसी के साथ-साथ मेजर ध्यान चंद की यादगार में हॉकी टूर्नामैंट मैच करवाया जाता है। इस पर वर्ष 2018-19 में 1149 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और उस पर हमने 10 लाख रुपए की राशि खर्च की है। इस साल भी 10 लाख खर्च करके 1100 खिलाड़ियों ने इस पर हिस्सा लिया है। अभी मैं दिव्यांग खिलाड़ियों पर बात करना चाहूंगा। उनके लिए भी 12 लाख रुपए खर्च करके अलग से खेलों

का प्रावधान किया है। इसमें सामाजिक और अधिकारिता विभाग हमारे साथ मिलकर काम करता है। करीब 1600 दिव्यांग खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया है। हिमाचल प्रदेश के जो खेल छात्रावास हैं वे अभी ऊना तथा बिलासपुर में संचालित किए जा रहे हैं, वहां पर 138 विद्यार्थी हैं। ये हमारे पास वर्ष 2018-19 में थे उन पर सालाना 70 लाख रुपए का बजट व्यय हो रहा है। ऊना और बिलासपुर में 140 छात्र हैं और वहां इस वर्ष 72 लाख रुपए व्यय किया गया है। ...(व्यवधान) ठाकुर साहब मैं जवाब दे रहा हूं आप चिंता न करें। इसमें 15 माननीय सदस्यों ने भाग लिया है यदि 15 के 15 बीच में खड़ा होकर बोलेंगे तो यह सही नहीं रहेगा।

सभापति : माननीय सदस्य कृपया शांत रहें, मंत्री जी पॉलिसी के बारे में ही बता रहे हैं।

वन मंत्री : इसका मतलब है कि आपका साकारात्मक चीजों को सुनने का मन नहीं होता। कृपया मेरी बात सुन लो। हर बात पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

श्री एन.जी. द्वारा जारी...

05-03-2020/1520/डी.सी.-एन.जी./1

वन मंत्री जारी....

मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार आने के बाद न माननीय मुख्य मंत्री और न ही खेल मंत्री किसी भी एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। यदि हमें कोई अध्यक्ष बनने के लिए कहता भी है तो हम उसे सीधे तौर पर इंकार कर देते हैं। हमने एक नोटिफिकेशन और जारी की है, जो आपने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन जो खेल के लिए समय नहीं दे सकते वे शामिल नहीं होने चाहिए। क्योंकि हर एसोसिएशन का सचिव कोई-न-कोई कोच है, जिसके कारण काम भी सफर करता था, अब हमने यह नोटिफिकेशन जारी की है कि हमारा कोई भी कोच किसी भी एसोसिएशन का सैक्रेटरी नहीं रहेगा। जो बातें सुधार के लिए होंगी वे हम सभी को मिलके

करनी हैं। मैं आपको एक बात का विश्वास दिलाता हूं कि 2 साल में स्पोर्ट्स में हमने कहीं पर भी तू-तू, मैं-मैं नहीं होने दी और हमारा प्रयास रहा कि ऐसा न हो ताकि खेल और खिलाड़ी को अच्छा समय मिल सके। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि स्पोर्ट्स पॉलिसी का हमने लगभग रफ़ ड्राफ्ट बनाया है और इसको हमने पब्लिक डोमेन में डाला है। इसके लिए बहुत से लोगों के सुझाव आए हैं और उन सुझावों को हम शामिल करेंगे, इस माननीय सदन में भी जिन सदस्यों ने सुझाव दिए हैं उस पर भी विचार करेंगे और इसके अतिरिक्त सभी को खुला निमंत्रण है कि जिन-जिन माननीय सदस्यों को लगता है कि वे यहां पर अपनी बात नहीं कह पाए या समय के कारण कोई बात छूट गई या अन्य कोई सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से विभाग को दें। मैं आप सभी को यह कहता हूं कि स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए जो संकल्प माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी लेकर आए हैं और यह प्रदेश के हित में भी है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर जाने के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी आदि सबके के लिए यह अच्छा है इसलिए मैं श्री जय राम ठाकुर जी की सरकार से कहता हूं कि इस संकल्प को हम स्वीकार करते हैं और हम स्पोर्ट्स पॉलिसी लेकर आएंगे। धन्यवाद।

सभापतिः धन्यवाद मंत्री महोदय, यदि माननीय सदस्य इस संकल्प को वापिस लेने के लिए तैयार न हो तो क्या इस संकल्प को अडॉप्ट किया जाए? तो प्रश्न यह है कि यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को...(व्यवधान)

05-03-2020/1520/डी.सी.-एन.जी./2

श्री राम लाल ठाकुरः सभापति महोदय, यहां पर संकल्प लाया गया है कि खेल नीति बननी चाहिए और माननीय मंत्री जी ने बोला की मैंने अभी सुझाव मांगे हुए हैं और हम सभी से भी सुझाव मांगे हैं। आप बोल रहे हैं कि जो पांच पन्नों का दस्तावेज़ रखा गया है उसे पास कर दो तो यह क्या बात बनी?...(व्यवधान) यह क्या है? ...(व्यवधान) यह तो पास करने की बात कर रहे हैं।

सभापतिः माननीय राम लाल जी आपने सुझाव दिए तो हैं...(व्यवधान) माननीय सदस्य इन्होंने यह कहा कि और भी कोई सुझाव देने वाला है तो हम उसको भी शामिल करेंगे।...(व्यवधान)

श्रीमती आशा कुमारीः जो संकल्प माननीय सदस्य श्री राकेश जम्वाल जी ने लाया है कि स्पोर्ट्स नीति बनाई जाए हम उसका समर्थन करते हैं।...(व्यवधान)

सभापतिः तो क्या माननीय मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेंगे?

श्री राकेश जम्वालः सभापति महोदय, इस संकल्प को अडॉप्ट किया जाए।

सभापतिः प्रश्न यह है कि "यह सदन सरकार से सिफ़ारिश करता है कि प्रदेश में युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने व खेलों को अधिक बढ़ावा देने के लिए सरकार खेल नीति बनाने पर विचार करे"।

प्रस्ताव स्वीकार

(संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकार)

अगला वक्ता, श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

05/03/2020/1525/MS/hk/1

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला)ः अब माननीय सदस्य, आशीष बुटेल जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री आशीष बुटेलः सभापति जी, मैं यहां पर आपके समक्ष यह बात रखना चाहता हूं कि जो संकल्प मैंने यहां पर दिया था, उसका टैक्स्ट यह था that 'The Government should amend the TCP rules to give respite to native residents and to allow vertical building construction instead of horizontal construction in order to save the green cover of the State.' लेकिन जो अब यहां पर संकल्प मेरे नाम के सामने अंकित है,

वह यह है कि 'This house may discuss the new building plan policy of the Town and Country Planning Department.' जिसमें मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि किस चीज पर डिस्कशन होनी है क्योंकि यहां इस प्राइवेट मैम्बर डे पर तो सरकार से सिफ़ारिश होनी थी कि इसको हम लोग करें ...(Interruption)

Sir, with your permission, I present the Resolution that 'This house may discuss the new building plan policy of the Town and Country Planning Department.'

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला): संकल्प प्रस्तुत हुआ that 'This house may discuss the new building plan policy of the Town and Country Planning Department.' आप आधे घण्टे में अपनी बात को रख सकते हैं। अभी एक पक्ष के तो नाम बोलने के लिए आ गए हैं लेकिन दूसरे पक्ष के नाम नहीं आए हैं।

श्री आशीष बुटेल: सभापति जी, यह जो टी0सी0पी0 डिपार्टमैंट के बारे में मैं यहां संकल्प लेकर आया हूं, इसमें बेसिकली यह था कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मूल नागरिक हैं..,

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला): माननीय सदस्य, चर्चा के लिए कुल 45 मिनट का समय है। आप 15 मिनट में अपनी बात रखें।

श्री आशीष बुटेल: अध्यक्ष जी, मैं आपकी पहले वाली बात को मानता हूं। मेरा प्राइवेट मैम्बर डे पर संकल्प लाने का उद्देश्य यह था कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश के मूल नागरिक हैं, उन्हें टी0सी0पी0 की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। टी0सी0पी0 के कुछ रूल्ज ऐसे हैं जो हमें ऊंचाई में कन्स्ट्रक्शन नहीं करने देते और होरिजोंटल कन्स्ट्रक्शन करने पर मज़बूर करते हैं। उसकी वजह से जो हमारे पूरे प्रदेश के हरित एरियाज हैं वे भी कम होते जा रहे हैं। उनको सुरक्षित करने के लिए आज मैं यह संकल्प आपके सामने लाया हूं।

05/03/2020/1525/MS/hk/2

सभापति जी, मैं सबसे पहले शुरू करूंगा कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं और मूल समस्यायें हमारे हिमाचलियों को हैं, उसमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि टी0सी0पी0 क्यों लाया गया होगा। शायद कभी शहरीकरण होना शुरू हुआ होगा और लोगों का गांवों से शहरों में पलायन होना शुरू हुआ होगा। लोगों ने गांव से पलायन चाहे

बिजनैस के लिए, चाहे काम-काज के लिए, चाहे आमदन बढ़ाने के लिए या सुविधाओं के लिए किया होगा। तब हिमाचल प्रदेश में टी0सी0पी0 को लागू करना शुरू किया होगा। लेकिन यह जल्दबाजी में किया गया and these TCP rules were brought in without applying an iota of rationale or reasoning. इसके अंदर खासकर मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर रूरल एरियाज, एग्रीकल्चरल एरियाज, टी गार्डन, फॉरैस्ट एरियाज और नदी-नाले टी0सी0पी0 के अंदर ले लिए गए। टी0सी0पी0 का जो मतलब है वह टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग है। टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग का मतलब है कि शहर का जो विकास है उसको रेगुलेट करना लेकिन यहां पर तो जो रूरल एरियाज हैं उनको भी इसके बीच में ले लिया गया और इसकी वजह से नुकसान भी हमारे हिमाचली लोगों को हुआ है। सभापति जी, हमें जो कुछ इससे समस्यायें आती हैं उनके बारे में भी यहां थोड़ी चर्चा करना चाहूंगा। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और परिवारों का आकार बढ़ रहा है, वैसे-वैसे अब नये घरों, बिजनैसिज और नये एस्टेब्लिशमैंट्स की जरूरत पड़ गई है और जो रेगुलेटिंग ऑथोरिटी है, जो हमारे टी0सी0पी0 का ऐक्ट आज यहां पर लागू है, उसकी वजह से जो समस्यायें आ रही हैं, वे समस्यायें खासकर उन लोगों को कम हैं जिन लोगों ने बाहर से आकर यहां ज़मीनें खरीदीं। लेकिन उन लोगों को समस्यायें ज्यादा हैं जो यहीं पर खेती-बाड़ी करते थे। वे हिमाचल में पैदा हुए और हिमाचल की भूमि पर ही उन्होंने किसान के रूप में काम किया, उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या आज दिखती है। ...(व्यवधान) यहां पर जो होल्डिंग्ज हैं, वे भी छोटी हैं। जब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि क्या-क्या समस्या आती है। मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में 15 ऐसी रेवेन्यु विलेजिज हैं जो आपने ली हैं जिनमें खलेड़, चौकी और बंदला इत्यादि ऐसे-ऐसे इलाके हैं which are full of agricultural lands. अब मान लीजिए कि एक परिवार है जिसका घर यहां पर है, उसके चार भाई हैं। उन्होंने अगर अपना घर कहीं और जगह बनाना हो; जब एग्रीकल्चरल लैण्ड्स होती है तो हमारे वहां जो रास्ता होता है उसको बीड़ कहा जाता है।

जारी जे0के0 द्वारा-----

05.03.2020/1530/JK/एचके/1

श्री आशीष बुटेलः------**जारी**-------

अगर उनके घर को तीन मीटर की सड़क न पहुंचे तो उनका घर पास नहीं होता है। अब या तो आप उनको फोर्स कर रहे हैं कि वे अपनी जमीन छोड़ कर कहीं और जा कर ज्यादा पैसों में जमीन खरीदें या आप उन्हें फोर्स कर रहे हैं कि आगे जो उसका रास्ता है, वह कहीं से खरीदें तो उसमें पैसे की भी और टाइम की भी बर्बादी है। मुझे यह लगता है कि जो हमारी स्कैटर्ड होल्डिंग्ज़ हैं, जैसे कि मैंने कहा जब परिवार के साइज़ बढ़े तो फैमिलीज़ भी बढ़ीं और उन सब को एक घर के नीचे, पांच कमरों में पहले चार भाई रहते थे, उनकी आगे जब फैमिली हुई, बच्चे हुए तो सब-के-सब एक घर में नहीं रह पाते, उनके लिए हमें कुछ-न-कुछ सोचना पड़ेगा। दूसरी समस्या पठानियां जी, जो आपने कहा वह हमारे जो डवलपमैंट प्लान्ज़ हैं और खास करके जो पालमपुर का डवलपमैंट प्लान बना, उसमें बहुत सी खामियां रहीं। जिस दिन भी आपके कोई ऑफिसर्ज़ आए होंगे और मैं यह इस सरकार या हमारी सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जब भी ये डवलपमैंट प्लान बना, तब की बात कर रहा हूं। जब आप लोग, आपके ऑफिसर्ज़ डवलपमैंट प्लान बनाने आए तो जहां पर अगर किसी खेत में जहां पर आपकी धान की कटाई हो चुकी थी ,वहां पर अगर कोई बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे तो आपने उसको खेल का मैदान बना लिया। यह बात तो मेरे साथ भी हुई है। कहीं पर आपका ट्रक खड़ा है तो आपने उसको ट्रक टर्मिनस बना दिया। उस तरह से आपने सारे एरियाज़ को डवलपमैंट प्लान के अन्दर ले लिया और यह भी किसी से नहीं पूछा, लोकल आदमी से नहीं पूछा कि इसके अन्दर कहां पर क्या होना चाहिए या यहां पर क्या होता था, ये सबसे बड़ी दिक्कत हम को आ रही है? आपके मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, आपको भी ध्यान में होगा कि जहां पर भी जो-जो टी.सी.पी. के अन्दर एरिया आता है, वहां पर अगर डवलपमैंट प्लान में उस बिल्डिंग का जिक्र नहीं है, चाहे वह सदियों से चली है, वहीं पर खड़ी है लेकिन अगर उसमें जिक्र नहीं है तो आप उसको टी.सी.पी. का नक्शा दोबारा पास करने के लिए कहते हैं। वह बिल्डिंग सदियों से खड़ी है लेकिन आपके डी.पी. में नहीं है इस कारण उस बिल्डिंग का जब आप नक्शा पास करवाने जाते हैं तो उसमें कोई-न-कोई दिक्कत आ जाती है, जिस कारण से उसका नक्शा पास नहीं होता। अगर

वह रेनोवेशन करना चाहे तो भी पास नहीं हो पाता है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि 16-सी का आपका टी.सी.पी. का अमैंडेड एक्ट का एक सैक्शन है। उसके अन्दर आपने सब डिविजन सबको कम्पलसरी कर दी। कोई आदमी है, उसने दो कनाल भूमि बेचनी है, गरीब आदमी ने भी भूमि बेचनी है तो उसको भी 16-सी. के अन्दर सब डिविजन करवानी है। अगर सब डिविजन वह करवाने जाता है, अगर बी.पी.एल. परिवार का आदमी है तो शायद उससे फीस नहीं लेते हैं लेकिन आर्किटैक्ट उससे फीस लेता है। आर्किटैक्ट कोई छोटी फीस नहीं लेता बल्कि उनकी बढ़-चढ़ कर फीस होती है, जो कि जायज़ है, पढ़-लिख कर राय देते हैं और उनको भी कमाना है। उनका भी source of income है। अगर ये भार हम गरीब आदमी के ऊपर डालेंगे तो वह शायद गलत है। मुझे यह भी लगता है कि कुछ एरियाज़ मेरे भी हैं, जैसे डाढ़ मेरा एक पंचायत का हिस्सा है, उसमें साडा लागू है और साड़ा की जितनी भी आपकी घर पास होने की फाइलें जाती हैं, चाहे कुछ भी पास होना है तो आप डी.सी. के जरिए एस.डी.एम. को पास करने भेजते हैं। वहां पर न उनके पास स्टाफ है, न ही एक्सपर्टीज़ हैं,न ही वहां पर किसी तरह की स्टाफिंग है जो नक्शे बनाएं या नक्शे पास कर सके, फिर भी उनको जाते हैं। मेरी आपसे विनती है कि जो आपके डिपार्टमैंट में Planning Officer or Assistant Town Planner है ये उन्हीं को जिस तरह से बाकी जगह के जाते हैं, साडा के नक्शे भी उनको जाएं ताकि जल्दी से पास हो कर आएं। महोदय, एक बहुत गम्भीर इशू यह है कि डेढ़ सौ स्क्वेयर मीटर से ऊपर

श्री एस.एस. द्वारा जारी-------

05.03.2020/1535/SS-YK/1

श्री आशीष बुटेल क्रमागत :

...(व्यवधान) सर, आपने 15 मिनट कहा था। अभी मुझे बोलते हुए 9 मिनट हुए हैं। वैसे भी आपने 30 मिनट देने के लिए कहा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास 150 वर्ग मीटर से ज़मीन कम हो तो आप घर नहीं बना सकते। महोदय, समस्या यह है कि जिन लोगों ने

अपनी रजिस्ट्रियां तहसील में जाकर करवा लीं, उन्हें तो यह तक मालूम नहीं था कि वे इलाके टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के अंदर आते हैं क्योंकि न वह कहीं पर्चे पर दर्शाता है और न ही तहसील वालों ने मना किया। जब ऐसी बातें हो जाती हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वन टाइम रिलैक्सेशन देकर जिन लोगों ने ज़मीनें खरीदीं हैं और 150 वर्ग मीटर से कम हैं उनको घर बनाने की अनुमति दी जाए।

एक बात मैं कहूंगा कि दोनों सरकारें चाहे वह आपकी है या हमारी है और आज तक की जितनी भी सरकारें रहीं, अपने आप में हम एक कंट्राडिक्शन करते हैं। क्या होता है कि हम बी0पी0एल0 या गरीब आदमियों को मकान देते हैं। वैल्फेयर का मकान अगर बी0पी0एल0 को जाता है या आपकी पंचायत से या बी0डी0ओ0 से मकान जाता है तो उसकी आप लोग फीस नहीं लेते जहां पर टी0सी0पी0 लागू है। लेकिन आर्किटैक्ट को फीस देनी पड़ती है। परन्तु जो वैल्फेयर के मकान हैं जो 35 हजार रुपये से कम इन्कम ग्रुप के लोगों को आप देते हैं, जो बी0पी0एल0 में नहीं हैं उन लोगों से आप फीस चार्ज कर रहे हैं। चाहे उन्होंने दो मरले जगह पर एक छोटा-सा घर बनाना है उससे फीस चार्ज हो रही है। इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा।

आज आपने यहां पर इकोनोमिक सर्वे की किताब बांटी। इसके अंदर आप लोगों ने लिखा कि "All approvals are being granted with in a timeline of 60 days". 60 days is the timeline ascertained and mentioned by you but it's not happening like that. So, what happens is कि आज आपने जब नक्शा भेजा तो सबसे पहले वह जे0ई0 के पास गया। जे0ई0 ने आज ऑब्जैक्शन लगाया, उसके बाद वह आपके पी0ओ0 के पास गया, पी0ओ0 से ए0टी0पी0 के पास गया और उसके बाद आगे क्रम चलता है। जब जे0ई0 ने ऑब्जैक्शन लगाया, आगे किसी ने नहीं देखा। ऑब्जैक्शन लगाकर उसको वापिस भेज दिया। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर ऑब्जैक्शन्ज़ लगने हैं तो एक बार में लगें। मेरे पास पालमपुर के ऐसे-ऐसे केस हैं जो आज की डेट में एक या डेढ़ साल से पास नहीं हुए क्योंकि

05.03.2020/1535/SS-YK/2

एक के बाद एक ऑब्जैक्शन्ज़ लगते गए। ऑब्जैक्शन लगाना बुरी बात नहीं है लेकिन आप एक बार में सारे ऑब्जैक्शन्ज़ लगाएं। यह मुझे आपसे कहना है।

महोदय, आपके डिपार्टमैंट ने यहां पर 22.08.2009 को एक चिट्ठी निकाली, जिसमें पालमपुर के 15 विलेजिज़ एग्जम्प्ट हैं। जो वहां के मूल निवासी हैं या उनकी पुश्तैनी ज़मीनें वहां पर हैं, उन लोगों को आपके सैक्रेटरी और पंचायत के सैक्रेटरी से सिर्फ एन0ओ0सी0 लेना है तब वहां पर बिजली व पानी के कनैक्शन लग सकते हैं। लेकिन अगर आज यह चिट्ठी मैं पढ़ूं और आप भी पढ़ेंगे तो इसकी इतनी कठिनाई दिखती है कि वह किसी को भी मालूम नहीं। चाहे आप कहें कि आपने चिट्ठियां भेज दी हैं लेकिन अभी तक हमारे डिवीजन में कहीं पर भी नहीं पहुंची हैं। मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि इस चिट्ठी का सरलीकरण करके इसे भेजिये ताकि वहां पर लोगों के बिजली व पानी के कनैक्शन लग सकें।

श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री आशीष बुटेल : जी सर। मेरा एक और प्वाइंट था। मैं वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूं। Vertical Construction is very important. Land is scarce. आज हमारे पास ज़मीन दिखती है लेकिन आगे-आगे वह भी कम होती जायेगी। जैसे-जैसे ज़मीन कम होगी वैसे-वैसे ग्रीनरी भी कम होगी। मेरा यह मानना है कि अगर हम ऊंचाई में जाएं, हमारे आस-पास जितने भी राज्य हैं उन सब के आप अगर एफ0ए0आर0 देखें तो कम-से-कम कोई तीन है, कोई साढ़े तीन है कई जगह पर मैं पढ़ रहा था but I really can't say, it is not authentic. एशियन कंट्रीज़ में कई-कई जगह 20 की एफ0ए0आर0 भी है। महोदय, मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि हमारी वर्टिकल हाइट को इंक्रीज किया जाए। हमारी समय की आवश्यकता क्या है? Parking is the need of the hour. One parking is exempted in your FAR. परन्तु मैं सजैस्ट करता हूं कि अगर किसी को भी आप दो या तीन फ्लोर जो भी दे रहे हैं exempted it, let him use that as parking space. Let that be exempted from FAR because आज हमें शायद वह आपके ई0सी0एस0 (Equivalent Car Space) के हिसाब से कुछ भी पार्किंग नहीं है। 1000 वर्ग मीटर का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 30 वर्ग मीटर का ई0सी0एस0 है।

जारी श्रीमती के0एस0

05.03.2020/1540/केएस/वाईके/1

श्री आशीष बुटेल जारी---

अगर हम 30 ई.सी.एस. को ले कर चलें तो सिर्फ 30 गाड़ियों की पार्किंग एक हजार स्क्वेयर मीटर के लिए हम दे रहे हैं। वह कुछ भी नहीं होगा और आने वाले समय में यह तो ऐसा दिखेगा कि हम लोगों ने पार्किंग छोड़ी नहीं, किसी ने अपनी एक्स्ट्रा पार्किंग दी है तो उसको एफ.ए.आर. से एक्सक्लूड किया जाए, यह मेरा मानना है और इसमें सरकार का भी ज़रूर फायदा है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी फोरैस्ट लैंड है। जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर आप वर्टिकल कंस्ट्रक्शन्ज़ अलाउ करेंगे तो सरकार का भी इसमें फायदा होगा। जिस तरह के हमारे 43 मिनी सचिवालय के भवन हैं, अगर उनको ऊंचा ले जाएं तो कई और दफ्तर उसके अंदर हम इन्क्लूड कर सकते हैं। ज्यादा न कहता हुआ, सभापति महोदय, मैं सिर्फ यह बात कहूंगा कि इसको अपोज़ करने वाले जो समझते हैं कि vertical expansion is not good. वे आपको एक तर्क यह भी दे सकते हैं कि it will not be safe to do our vertical expansion. लेकिन मैं बताना चाहूंगा, मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था कि जापान में सबसे ज्यादा भूकम्प आते हैं और हर रोज़ बड़ा या छोटा भूकम्प वहां पर आ रहा है। उसके लिए भी अगर स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का सर्टिफिकेट हमारे पास है, जापान जैसी जगह में अंडर ग्राउंड जाने के लिए 40 मीटर तक की मंजूरी दी जाती है और ग्राउंड के ऊपर तो पता नहीं कितनी है, अगर हम अच्छी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करें, अगर हमारी बिल्डिंग्ज़ का स्ट्रक्चरल डिज़ाइन अच्छा हो तो मुझे नहीं लगता कि इसमें सेफ्टी का कोई इशू होगा। अंत में केबिनेट सब कमेटी में आदरणीय गोविंद सिंह ठाकुर जी हाल ही में पालमपुर आए थे। केबिनेट सब कमेटी का यह औचित्य था कि जो-जो एरियाज़ टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग से निकलना चाहते हैं, वे अपने रैप्रेज़ेटेशन वहां पर दें। काफी लोग हमारे एरिया से भी आए। इस चिट्ठी के हिसाब से जो 22.8.2009 की चिट्ठी है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करुंगा कि पालमपुर में प्लानिंग एरियाज़ जो आते हैं, गांव आते हैं, उन सभी को एक्सक्लूड किया जाए क्योंकि they are not fit to be a part of TCP. They are fit to be Rural Areas. They are fit to be Forest. They are fit to be Tea Garden. They are fit to be Agricultural Lands. So, this is my submission to you. Thank you very much.

05.03.2020/1540/केएस/वाईके/2

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री राकेश पठानिया जी, इस संकल्प की चर्चा में भाग लेंगे।

Shri Rakesh Pathania (Nurpur): "This House may discuss the new building plan policy of the Town and Country Planning Department." सभापति महोदय, मैं आशीष जी को बधाई देना चाहूंगा, ये बहुत बढ़िया विषय ले कर आएं और बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने इस विषय को रखा। I would smell no politics in your presentation of the subject और एक पब्लिक रैप्रेज़ैंटेटिव का स्टेटमैंट आज आपके माध्यम से सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा।

सभापति महोदय, जो विषय टी.सी.पी. को ले कर है, if I am right, there is lot of confusion in this subject और इसको अभी तक हम एक फ्रैंडली मैनर्ज़ से नीचे ले नहीं पाए। जो विषय आशीष जी, आपने रखा, I agree with you in the coming days with, the Sub-Division and fragmentation, the families are getting smaller & the land holdings are getting smaller. When the fragmentation takes place and Sub-Division takes place the holdings come as the generation go on, they become smaller and smaller. But now we have to understand that we need to do some planning for the State of Himachal Pradesh. We need to organize ourselves. This is basically a subject where you need to organize yourself, this is something where we have to understand. एक ऐसा भ्रम हमारे बीच में हो गया है कि टी.सी.पी. के अंदर हम आ गए तो समझो कि मौत आ गई। I agree with what Sh. Ashish Ji has said कि एक नक्शा पास करवाना पड़ जाए तो समझो कि इन्सान को मौत पड़ जाती है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

05.03.2020/1545/AV-ag/1

श्री राकेश पठानिया----जारी

He may be right or he may be wrong. नक्शा ठीक है या गलत है; परंतु औपचारिकताओं के लिए जो प्रोसैस है और उसके अंदर जो करप्शन इन्वॉल्व्ड है तथा उसके तहत जो एक आम आदमी के लिए हिंड्रेंसिज हैं, उसकी अति है। On that they have broken all records at all levels. व्यक्ति को टी0सी0पी0 का नक्शा पास करवाने के लिए जब दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते हैं तो बाकी लोग उससे तोबा करने की सोचते हैं। आदमी सोचता है कि मेरा घर किसी तरीके से इस टी0सी0पी0 से बाहर आ जाए। मूल प्रश्न यही है जिसको माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी ने यहां पर रखने का प्रयास किया। And I 100 per cent agree with what Ashish Butailji has said, but at the same time मेरा सरकार, मंत्री जी और इस सदन से यह निवेदन रहेगा कि वह समय आ गया है जब हम अपने आपको व्यवस्थित तरीके से आगे ले जाएं। We have to organize ourselves and to grow. We need to have planning. The planning will come through TCP only. एन0जी0टी0 और रिटेंशन पॉलिसी के आधे से ज्यादा मामले तो अभी सब-ज्युडिस हैं। The matter is sub-judice. Lot of matter is sub-judice. There is nothing much on which I can speak because everything seems to be sub-judice in this. But at the same time tourism has a very high stake at places like Dalhousie, Manali, Kullu and Shimla. These are the places where such rules really hinder a common man. इसमें एक छोटे आदमी को जो पीड़ा हो रही है, मैं उसके लिए एक व्यवस्था की बात कर रहा हूं। उसके लिए मंत्री जी, जब तक प्लान को पारदर्शी न किया जाए, उसको जब तक पब्लिक फ्रेंडली न किया जाए तथा उसको जब तक पब्लिक डोमेन में लगाकर ऐक्सप्लेन न किया जाए, it is very difficult. यहां पर किसी भी पार्टी की सरकार हो, यह टी0सी0पी0 आज हमारे दिल और दिमाग के अंदर एक हौवा बन गया है। अब मुद्दा यह है कि हम अपने आपको इस टी0सी0पी0 से कैसे बचा पायेंगे। So we need to educate the public कि यह आपकी भलाई और फायदे के लिए है। इसके अतिरिक्त एक और बात है तथा आपने देखा होगा कि प्रधान मंत्री शहरी विकास योजना के अंतर्गत अरबों रुपये आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पालमपुर में ही पिछले 2 वर्षों में 400-500 मकान

आए हुए हैं। हमारे छोटे-से नूरपुर जैसे शहर में 84 मकान आ गये हैं। ...(व्यवधान) पता नहीं, क्यों दस आए मगर इसके लिए कोई पोलिटिकल क्लासिफिकेशन नहीं है। You must have not given your proposals. Had you submitted your proposal well in time? For a small township like Nurpur, I have received 84. Why you have received 10? क्योंकि प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना के अंदर कहीं पर भी पोलिटिक्स लगाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसमें इसका कोई चांस ही नहीं है। Ashishji stop quoting books. I am talking in your language only. I am just putting my words in your mouth to correct and put a common cause that where the problems are there, we must all fight for them. The time has come that we need to get organize ourselves to promote the cities to be more beautiful, more safer and more well-planned. आज हम चंडीगढ़ क्यों जाते हैं? Why we are heading towards Chandigarh because that guy came from France and made that city 70 years back and planned that place so well that everything is in place today in Chandigarh. We want that to happen in Himachal Pradesh also. Himachal Pradesh should have the next coming townships to be well-planned townships. But at the same time सभापति महोदय, वहां पर जो इस प्रकार की करप्शन और गरीब आदमी को तंग करने की समस्याएं सामने आ रही हैं उसके लिए मेरा मंत्री जी से आग्रह रहेगा that these have to be checked. A common man has to be safe from their claws. उनके चंगुल से निकालना पड़ेगा क्योंकि उसको बड़ी बेरहमी से लूटा जाता है। आपने जैसे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की बात की है तो I agree with what Ashish has said. Chairman, Sir, it's time to go up. ठीक है, हम सिस्मिक जोन-iv में आते हैं तो आप कॉलम कंस्ट्रक्शन के अलावा राफ्टिंग कीजिए। Have a proper design planned out? Have a proper Structural Engineer? अगर आप प्रोपर राफ्टिंग करते हैं और अढ़ाई फुट राफ्ट लेकर उसे नीचे से प्रोपर टाई करते हैं तथा उसके बाद उसको कैमिकली फिक्स करते हैं तो I don't feel that there is any problem to go 7 to 9 floors or to even 10 floors. We have to save land. और सब डिविजनल फ्रेगमेंटेशन

में आगे-आगे ज़मीन नहीं मिलने वाली। इसके लिए टी0सी0पी0 एक्ट के तहत अपने आपको ऑर्गेनाइज

05.03.2020/1545/AV-ag/3

भी करना पड़ेगा और प्लान भी करना पड़ेगा। I would request the Hon'ble Minister and the Government that you have to be more flexible, friendly and more open to the public. This thing should go to the public domain. There must be open public debate on it, इस बात को आम आदमी के घर-द्वार तक पहुंचाए और पब्लिक की राय लेकर आगे बढ़ें।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

टी सी द्वारा जारी

05.03.2020/1550/TCV/AG-1

श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति : अब माननीय सदस्य श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी चर्चा में हिस्सा लेंगे।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर (कुल्लू) : सभापति महोदय, आज जो संकल्प श्री आशीष बुटेल जी यहां पर लेकर आये हैं that "This House may discuss the new building plan policy of the Town and Country Planning Department." इस पर बोलने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत ही ज्वलंत विषय है और मैं स्वयं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। हमारे कुल्लू-मनाली में आज हालात यह है, जैसे पठानिया जी कह रहे थे कि हम इसका हौवा मानते हैं और जो नये उद्यमी हैं, वह तो हिम्मत हार कर यह सोच लेता है कि बज़ाय टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट के चक्कर काटने के मैं कोई और काम कर लेता हूं। यह जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट है, मैं तो इसको "Trouble Creating People" नाम देना चाहूंगा। This is the right name for this Department. मैं मैडम आपको बताऊं that I have experienced each and everything myself. I am talking about that. एक बीघा

का प्लॉट बेटे ने लिया और आप विश्वास नहीं करेंगी कि एक बीघा में उसको सिर्फ 12 कमरे अलॉउड हुए। इस पॉलिसी को लेकर बार-बार लोग आपसे मिल रहे हैं। आप इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे है? सरकार क्यों इस बात को पीछे छोड़ती जा रही है? पिछले 2 सालों में हालात ज्यादा बदतर हुए हैं। मनाली-कुल्लू में इस विभाग में स्टॉफ पूरा नहीं है। यह कहा जा रहा है कि 2 मीटर सैटबैक आगे से छोड़ना पड़ेगा और डेढ़-डेढ़ मीटर साइड से छोड़ना पड़ेगा। यह चण्डीगढ़ की तरह स्क्वेयर प्लॉट नहीं हैं, कोई गऊमुखी प्लॉट है तो कोई हाथीमुखी प्लॉट है। उस हाथी की सुंड में अगर 2 मीटर आगे छोड़ दें और डेढ़ मीटर साइड में छोड़ दें तो बीच में क्या बचेगा? सिर्फ एक पूंछ बचेगी। इसलिए यह जो क्राइटेरिया है यह गलत है और आपने यह कुल्लू और मनाली में लगा दिया है। 2 लोगों ने घर बनाये, उनको आप कुछ नहीं कह रहे हैं लेकिन बीच में जिस व्यक्ति का प्लॉट रहता है यदि वह उसको डवलप करना चाहता है तो उसके ऊपर ये सारी चीजें लागू होती हैं। जिसने नियमों का वॉयलेशन करना है, जिसने सरकार को पूछना ही नहीं है, उसके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है लेकिन जो आपके विभाग के पास गलती से आ जाये तो समझो उसकी तो शामत आ गई । उसको तो सारे कानून याद हो जाएंगे, सारे चेहरे याद हो जाएंगे और एक-एक बाबू के रिश्तेदार व उसका घरबार भी याद हो

05.03.2020/1550/TCV/AG-2

जाएगा। यह पूरा-का-पूरा क्रप्शन का अड्डा बना हुआ है। मेरा आपसे आग्रह है कि इसके बारे में कुछ कीजिए। जनता में इसके कारण रोष हैं, मकान बन गये हैं, कई लोग छज्ज़े तोड़ रहे हैं और कई कुछ और कर रहे हैं। आज के युग में हम बोल रहे हैं सिस्मिक ज़ोन। मैं बात दोहरना नहीं चाहूंगा, जापान में कितनी-कितनी बहु-मंजिली बिल्डिंग्ज़ अलॉउड हैं। The only thing to be seen is whether the structural design is okay or not. और हम बार-बार एन0जी0टी0 से डरते हैं। Why Uttarkhand is afraid of NGT because we succumb to the NGT pressure. उत्तराखंड में एन0जी0टी0 गई, कई मुद्दों पर उन्होंने कहा, उत्तराखंड के बारे में मुझे मालूम हैं, मैं बड़े नज़दीक से वहां की सरकार से भी परिचित हूं। उन्होंने सिर्फ एक लाइन कही कि we are a Welfare Government. हमें जो करना है, वह हमें अपने हिसाब से करना है और लोगों के वेल्फेयर के लिए करना है न कि वहां खुद जाकर एफिडेविट देना शुरू कर दें, उनसे डरना शुरू कर दें। पंजाब में भी एन0जी0टी0 का प्रैशर था लेकिन वह इतना नहीं डरते जितना हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार डर रही है। आज

मनाली में एन0जी0टी0 की वज़ह से बहुत बुरी हालत हैं। बिजली, पानी हमारा मौलिक अधिकार है। इन्होंने फ्लोर एरिया रेशो की बात कही, एशिया में आप सिंगापुर, मलेशिया या अन्य किसी कंट्रीज़ में जायें तो वहां पर 20 तक एफ0ए0आर0 अलॉउड है और हमारे यहां 1.75 है। आप इसको अढ़ाई या 3 तो कीजिए। मैं आपकी एक बात से सहमत हूं कि हमें स्वयं इन घरों के डिज़ाइन के बारे में सोचना पड़ेगा।

एन0एस0 द्वारा... जारी

05-03-2020/1555/NS/AS/1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर ..... जारी

पहाड़ों का कोई भी घर बिना छत के अच्छा नहीं लगता है। पहाड़ों में घर सिक्किम की तरह होने चाहिए। सिक्किम में सारे घर छतों वाले हैं। कोई बिल्डिंग अधूरी नहीं लगती है और पूरी नेचर के साथ मैच करते हैं। सिक्किम में एक बात मुझे और पता चली कि वहां पर जितने बिस्वे के प्लॉट हैं उस हिसाब से सरकार ने ही ऑलरेडी नक्शे बना कर रखे हैं। वे उन्हें च्वाइस देते हैं कि आपको यह नक्शा चाहिए तो यह अप्रूवड नक्शा है और आप इस हिसाब से बनाईए। आप हिमाचल प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको कुछ मापदंड बताने चाहिए।

सभापति महोदय, आज के दिन में ऑनलाइन सबमिशन कर रहे हैं और प्रोपर ऑथोरिटी नहीं है, स्टॉफ आपके पास नहीं है। फीस निर्धारित हो जाती है जमा करने में देरी हो जाती है और यहां तक कि फीस को कैलकुलेट करने में बड़ा समय लग जाता है या कई बार मैटर सब-ज्यूडिस होता है तथा ऐसी कई अन्य बातें हैं। एक पॉलिसी एक कानून हर क्षेत्र के लिए होना चाहिए। आपने अलग-अलग ज़ोन बना दिए हैं। मनाली, कुल्लू और कसौल में ज़ोन अलग है। माननीय मंत्री जी आप इसमें सुधार कीजिए। कम-से-कम बालकोनी और पोर्च को तो एफ0ए0आर0 में मत शामिल कीजिए। बालकोनी और पोर्च तो एक कवर है और इसको भी आप एफ0ए0आर0 में शामिल कर रहे हैं। पहाड़ों में टोपोग्राफी के हिसाब से ऊंचाई की जरूरत है। अगर आपकी एंटरी टोप फ्लोर पर है और आप तीन मंजिल नीचे हैं तो आप ऊपर से नीचे कैसे जाएंगे? कई स्थानों पर मजबूरी भी हो सकती है। आप इस तरफ विचार करें।

यहां पर सब-डिविज़न की भी बात आई है। आप कहते हैं कि को-शेयरर के ऐफिडेविट ले करके आओ। कई भाईयों में आपस में नहीं बनती है या कई बार एक भाई विदेश में रहता है तो उसको मौका मिल जाता है। अगर वह अपना काम शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले ऑब्जैक्शन ले करके आ जाएगा। माननीय मंत्री जी, यह काम कैसे होगा? सभापति महोदय, क्या सरकार के समक्ष ये बातें नहीं आ रही हैं कि ऐसे-ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं? अब आप बोलेंगे कि पहले भी ऐसा ही था। अरे पहले था तो जिन्होंने परफोर्म नहीं किया उसका नतीज़ा आप खुद देख लो। चलो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन आप तो इसमें सुधार कीजिए। जनता त्रस्त है। मनाली में तो

05-03-2020/1555/NS/AS/2

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग नक्शा पास कर रहा है, कुल्लू में नगर परिषद नक्शा पास कर रही है। नगर परिषद में जो टोल गार्ड आर्किटैक्ट से बहस करता है कि तेरा यह नक्शा गलत है। अब आप खुद बताईए। म्युनिसिपल कमेटी में जो टोल गार्ड लगे थे अब वे नगर परिषद में रेग्युलर हो गए हैं। वह एक आर्किटैक्ट से बहस कर रहा है। कृपया करके आप इस तरफ ध्यान दीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब-डिविज़न वाले मामले को तुरंत देखें और जिसके ऊपर व्यक्ति अपना ऐफिडेविट दे कि I am not encroaching upon the land of other person. I am a sole proprietor of this and I shall be liable for any subsequent litigation, if it happens. आप उनको एक-एक व्यक्ति के पीछे दौड़ा रहे हैं। म्युनिसिपल कमेटी को यह ही नहीं पता कि प्लॉट बाउंडरी कहां तक है?

सभापति : माननीय सदस्यों से निवेदन हैं कि दोनों पक्षों से 6-6 नाम आए हैं और बोलने वाले 12 लोग हैं। अभी दो ही माननीय सदस्य इस पर बोलें हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस पर दोनों पक्षों से 3-3 माननीय सदस्य बोलें क्योंकि माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब भी देना है। आज माननीय सदन की बैठक 5.00 बजे तक ही है। अगर आप इस पर बोलना चाहते हैं तो आप बाद में इस पर चर्चा मांग लें। दोनों पक्षों से मैं 3-3 माननीय सदस्यों को बोलने के लिए कहूंगा।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : सर, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और आप इस चर्चा को आगे ले जाएं। हमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है।

सभापति : आप इस पर आगे चर्चा मांग लें। मैं दोनों पक्षों से बोलने के लिए तीन-तीन माननीय सदस्य को बुलाऊंगा क्योंकि माननीय मंत्री ने जवाब भी देना है।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : सर, यह मुद्दा इतनी जल्दी में खत्म करने वाला नहीं है।

सभापति : आप नियम-62 के तहत चर्चा मांग लें। माननीय मंत्री जी ने जवाब भी देना है। अगर एक-एक माननीय सदस्य 15 मिनट लेगा तो जवाब कैसे आएगा।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, हमें सुधार लाने में जवाब चाहिए।

सभापति : तीन-तीन माननीय सदस्यों को दोनों पक्षों की तरफ से बोलने के लिए कहा जाएगा।

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर : सभापति महोदय, पहाड़ों में ठंड होती है। हम अपने फ्लोर की ऊंचाई 8 फुट रखना चाहते हैं और तब कहा गया, नहीं, आपको 9.5 फुट ऊंचाई रखनी

05-03-2020/1555/NS/AS/3

पड़ेगी। आप बताओ, मेरे क्षेत्र के ठंडे इलाकों में कसौल, मनाली, बांग, पलचान में 9.5 फुट का एक फ्लोर देंगे। यह हमारे ऊपर कौन-सी बंदिश है?

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

05.03.2020/1600/RKS/ए.एस.-1

श्री सुन्दर सिंह ठाकुर... जारी

जो हम कम-से-कम हाइट रखना चाहते हैं, because there will be less energy required to heat up that room. कृपया करके आप व्यावहारिक बातें मत कीजिए। यदि आप पलचान-भूंतर और मणिकर्ण के पूरे क्षेत्र को टाऊन एंड कंट्री प्लानिंग में लेना चाहते हैं तो आप इसे लीजिए। जैसे आपने चंडीगढ़ का एरिया एक्वायर किया है, आप ऐसी कोई पहाड़ी एक्वायर कीजिए और वहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के हिसाब से एक कॉलोनी बनाइए। लेकिन जो व्यक्ति अपनी मलकीयत भूमि में कुछ करना चाहता है, आप वहां पर ऐसी बंदिश मत लगाइए। यह पूरे-का-पूरा क्षेत्र भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। आप इस

भ्रष्टाचार से लोगों को बचाइए। लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है और एक दिन यह ऐसा फूटेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि यह सरकार अफसरशाही और बाबूगिरी से बाहर आए और प्रभावित लोगों को इसका फायदा पहुंचाएं। कुल्लू शहर, भूंतर शहर, भूट्टी कॉलोनी, बदाह, मोहल, शमशी ये सभी क्षेत्र इसमें शामिल होने चाहिए। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें कम-से-कम दो फ्लोर और एक मकैनिकल पार्किंग अलाउ होना चाहिए। आप इसमें मकैनिकल पार्किंग क्यों नहीं अलाउ कर रहे हैं? इस विषय पर सरकार को गंभीर होना चाहिए और इस संकल्प को सरकार को अपनाना चाहिए।

सभापतिः अब माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री बलबीर सिंह (ऊना)ः सभापति महोदय, माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह बहुत महत्वपूर्ण और सामयिक है। प्रत्येक व्यक्ति जिसका अपना परिवार है, वह चाहता है कि मेरा अपना घर बन जाए और उनमें से जो सामर्थ्यवान लोग हैं, वे चाहते हैं कि हम शहर में बसें। हो सकता है टी.सी.पी. लागू करते समय यह बातें ध्यान में रखी हो कि जहां घर बनें वहां पर जीपेबल रोड, पानी और अग्नि-शमन गाड़ी पहुंचने की सुविधा हो। मैं समझता हूं कि ऐसी सुविधाओं के लिए ही टी.सी.पी. एक्ट लाया गया होगा। माननीय सदस्य द्वारा यह

05.03.2020/1600/RKS/ए.एस.-2

कहा गया कि पिछले दो वर्षों से टी.सी.पी. विभाग 'हउआ' बना हुआ है। यह दो वर्षो से नहीं हो रहा है। सितम्बर, 2016 में टी.सी.पी. एक्ट लागू किया गया था। प्रदेश के कई जिलों में 10-10, 12-12 पंचायतें टी.सी.पी. में डाली गई थी और उन पंचायतों में जो एरियाज शामिल किए गए हैं, वहां सभी जगह दिक्कत आ रही है। लोग तड़प रहे हैं और रो रहे हैं। जब यह सितम्बर, 2016 में लागू किया गया तो उस वक्त किसी तहसीलदार को नहीं

लिखा गया कि जहां कम भूमि में मकान बना हो उसकी रजिस्ट्री मत कीजिए। मैं अम्ब की बात करना चाहता हूं। अम्ब में 167 लोगों ने 10 मरले के हिसाब से जगह खरीदी है और लगभग 70 लोगों ने 10 मरले में मकान भी बना दिये हैं। अब टी.सी.पी. वाले कहते हैं कि मकान के चारों और जगह छोड़ो। मैं टी.सी.पी. विभाग से यह जानना चाहता हूं कि दिल्ली में तो 1200 square meter में भी मकान बन रहा है। नगर परिषद् में दो मरले में मकान बन रहा है। 'प्रधान मंत्री आवास योजना' के तहत 1,65,000 रुपये के हिसाब से गरीब को अपना मकान बनाने के लिए उपदान दिया जा रहा है परंतु गावों में जहां टी.सी.पी. लगा हुआ है वहां 10 मरले में मकान नहीं बन सकता। विभाग कहता है कि वहां पर चारों और जमीन छोड़ने की आवश्यकता है। मैंने विभागीय अधिकारियों को खुद जाकर कहा कि चारों तरफ जमीन छोड़ने का प्रावधान तो चंडीगढ़ में भी नही है। वहां पर साढ़े सात मरले में मकान बनाया जाता है और आप 10 मरले में भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। अम्ब बड़ा कस्बा है और मैं मांग कर रहा हूं कि उसको नगर परिषद् बनाया जाए।

श्री बी.एस. द्वारा... जारी

05.03.2020/1605/बी.एस./डी.सी./-1

श्री बलबीर सिंह जारी...

तब जा करके उन्होंने आगे-पीछे थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ने की बात मानी परंतु दिक्कत तो दिक्कत है। जिन 70 लोगों ने वहां पर मकान बना लिए हैं उनको न बिजली का कनैक्शन है न ही उनको पानी का कनैक्शन है। क्योंकि टी.सी.पी. वाले अनुमति नहीं दे रहे हैं। उप-सभापति महोदय, दुर्भाग्य इस बात का है कि यह सच में एक जाल बना हुआ है ये जो नक्शा-नवीज होते हैं ये गरीब व्यक्ति से ले करके हर किसी को कह देते हैं कि टी.सी.पी. लागू है वहां पर मकान बनाना है तो पहले 30-40 हजार रुपया दे दो उन्हें देखते ही वे पैसा मांग लेते हैं और गरीब आदमी पैसा देने के बावजूद भी इनसे अनुमति नहीं ले पा रहे हैं। यह बड़े दुःख की बात है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि टी.सी.पी. विभाग का हौआ खत्म कर दीजिए। यह विभाग हमें सुविधाएं देने के लिए बना

है, गरीबों को ये दुःख देने के लिए नहीं बना है। मैंने प्लानिंग में भी बात रखी थी कि अम्ब में लगभग 10-11 हजार लोगों की पोपुलेशन का एक कस्बा बन गया है उसको एन.एस.सी. में या नगर परिषद का दर्जा दिया जाना चाहिए। माननीय मंत्री जी मान गए विभाग भी मान रहा है परंतु Census Department वाले इसे नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि यह हो ही नहीं सकता। मंत्री जी कह रहे हैं कि नई पंचायतें भी बन जाएगीं लेकिन Census Department वालों का कहना है कि हमने सीमाएं फ्रीज कर दी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सही है कि आपने उसकी सारी सीमाएं फ्रीज कर दी हैं, मैं तो सिर्फ उसका दर्जा ही चेंज करने का आग्रह कर रहा हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसमें कोई addition या deletion करना है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप अवश्य इस बारे में बात करें और मेरी अम्ब पंचायत को एन.एस.सी का दर्जा दिलवाने की कृपा करें। महोदय जो टी.सी.पी. का हौआ है इसको जरुर खत्म करने की कृपा करें। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया आपका बहुत -बहुत धन्यवाद।

05.3.2020/1605/बी.एस./डी.सी./-2

सभापति : अब माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी चर्चा में भाग लेंगी।

श्रीमती आशा कुमारी (डलहौजी) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपका धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा लम्बा नहीं बोलना चाहती, बहुत सारी बातें यहां पर आ गई हैं। I am in complete agreement with the Mover of the Resolution which has now been changed for 'discussion' and for what reason it has been changed, I don't know. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर विधान सभा सचिवालय कुछ चेंज भी करती है तो भाषा संकल्प की ही रखी जाए। Infact, it should have been read as " This House resolves that a new Town & country Policy be brought in near future". There was no need to write the word 'discussion', यह संकल्प है यह चर्चा नहीं है। हमने अध्यक्ष महोदय से पहले भी अनुरोध किया था कि जो हमारे प्रश्नों और संकल्पों के साथ छेड़छाड़ होती है उसका यह नतीजा निकलता है इसलिए भविष्य में इस तरह की छेड़छाड़ न की जाए। सभापति महोदय, यहां पर जो बातें आई हैं उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहती। यह जो टाउन एण्ड कन्ट्री

प्लानिंग के बारे में माननीय बलबीर सिंह जी कह रहे थे मैं इनसे सहमत हूं। यह कोई दो वर्ष से नहीं हुआ है। जिस दिन से टॉन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग विभाग existence में आया है जो इसके खैरख्वाह हैं the people who really control this Department are the ATP (Assistant Town Planner) & the JEE. उसके ऊपर किसी के पहुंचने की हिम्मत ही नहीं होती है। There is something wrong in the working of the Department. This is very serious. Something structurally is wrong with this Department which needs to be corrected और मैं तो टॉन एण्ड कन्ट्री विभाग के समर्थन में हूं। I mean there should be Town & Country Planning (TCP) and when we say 'Country Planning' it means whole of the State of Himachal Pradesh. कुछ हमारे सदस्य जो इसके विरूद्ध कहते हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूं कि यह सिर्फ शहरी क्षेत्र के लिए है। यह हिमाचल प्रदेश के लिए है हिमाचल प्रदेश जब प्लैनआउट होगा तो हिमाचल प्रदेश की सुन्दरता कायम रहेगी। इसमें दो-तीन बातें हैं। एक तो जो आपका सिस्टम है इसमें सुधार की जरूरत है। आपके जो ए.टी.पी. और जे.ईज हैं उनके पास एक हथियार है वह है and that is Section 39(c). वे जाते हैं और सैक्शन 39 में नोटिस दे देते हैं। इसके बाद व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी भी चक्कर काटता रहेगा परंतु उस समस्या का समाधान नहीं होगा।

श्री डी.टी. द्वारा जारी...

05.03.2020/1610/DT/DC-1

श्रीमती आशा कुमारी जारी...

Notice is issued and after that, what Hon'ble Member Sh. Pathania Ji has said, it is a never ending process. किसी भी नोटिस की एक समय सीमा होनी चाहिए जिसमें वह सैटल होगा। जो माननीय श्री सुन्दर ठाकुर जी बोल रहें थे, यह सारी दिक्कते क्यों उठ रहीं है, क्योंकि इसका समाधान कोई नहीं करता। नोटिस इश्यु हो जाता है उसके बाद लोग उसके बाहर नहीं निकल पाते। जो माननीय श्री बलवीर जी कह रहें हैं कि इतना छोड़ना है या उतना छोड़ना है या shape of plot है, यह सब जो बातें हैं। माननीय सभापति महोदय, मैंने एक Resolution पिछले सत्र में लगाया था जिसकी बारी नहीं आई। मेरा यह मानना है कि Himachal Pradesh seriously needs a 'building

policy' which is to be controlled by the TCP. When I say Building Policy, it means की जो हमारी रेज़िडेन्शल पॉलीसी है it should be different from the Commercial Policy. हमारी दिक्कतें क्या है, श्री राकेश पठानिया जी आप डल्हौजी की बात कर रहे थे क्योंकि यह डल्हौजी आते रहते हैं, नगर परिषद, डल्हौजी में जो टी0सी0पी0 द्वारा अढाई मन्जिल का एक्ट बनाया गया है, वह लागू होता है। डल्हौजी में जहां नगर परिषद का क्षेत्र खत्म होता है उसके 100 मीटर में 10-10 मंजिल के मकान बन रहें हैं। Tell me how those houses are seismically different? What is different about that? वह 100 मीटर भी नहीं है, जहां नगर परिषद का क्षेत्र खत्म हुआ उसके 100 मीटर के अन्तर में 10 मंजिल का भवन बन रहा है। अगर आपकी बिल्डिंग पॉलीसी होगी तो आप structural design को देखते हुए कि कहां पर क्या अलाउ हो सकता है, रेजिडैन्शल भी, अगर उस रेजिडैन्शल कॉम्पलैक्स का structural design ठीक है और जैसा श्री सुन्दर सिंह जी ने कहा कि आपके प्लानस लेड आउट हों, आपके नक्सें लेड आउट हों, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं आयेगी। यह एक्ट नगर परिषद के अन्दर तो लागू होता है लेकिन उसके 100 मीटर की दूरी पर यह लागू नहीं होता और वहां 10 मंजिल या 12 मंजिल के भवन बनाये जा रहें हैं। सभापति महोदय, एक दिक्कत यह भी है डल्हौजी एक प्लानिंग एरिया है। 2004 में इसे प्लानिंग एरिया के रूप में अप्रूव किया गया और वर्ष 2006 में गज़ट में नोटिफाई हुआ। पिछले 14 साल से किसी ने भी डल्हौजी के रिस्ट्रिक्टिड एरिया को हाथ नहीं लगाया। यह पहली बार हुआ है। मैंने मुख्य मन्त्री महोदय से निवेदन भी किया, आप हाउस में नहीं थीं,

05.03.2020/1610/DT/DC-2

कि रिस्ट्रिक्टिड एरिया में जहां कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है वहां राज्य सरकार की तरफ से नक्सा पास करके भेज दिया गया। How can that be? क्या लोगों में हार्ट बर्निंग नहीं होगी? एक आम आदमी अपने नक्से के लिए दौड़ा हुआ है और एक पंजाब का आदमी राज्य सरकार से Change of Land use करवा लेता है। Hon'ble Minister, we have no doubt on your intentions, absolutely not. But this Department has become like this. There is no staff and whatever staff is there,

they have become a den of corruption. There is no control over them. कोई इस बात को नहीं देख रहा कि जो नोटिसिज़ दिये जा रहें हैं उनका क्या हो रहा है? एक बिल्डिंग, जिसकी पांच मंजिल बन गई है उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा है। उसके बगल में किसी ने छज्जा बना दिया, किसी ने बॉलकोनी बना दी टी0सी0पी0 के लोग उसको तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं that means it is totally arbitrate इसमें कुछ नहीं है इसी लिए लोग इसे हौवा समझते हैं। इसलिए लोग नहीं चाहते की वह प्लानिंग एरिया में आयें। Let me tell you at one stage, आपकी सरकार थी आदरणीय प्रेम कुमार धुमल जी उस समय मुख्य मन्त्री थे, उन्होंने बनीखेत को टी0सी0पी0 एक्ट में ले लिया। उसका इतना विरोध हुआ कि जब हमारी कांग्रेस की सरकार बनी हमनें उसे वापिस ले लिया and I regret it. May be it should not have been done. क्योंकि वहां इतनी हैपहैज्र्ड कन्स्ट्रक्शन हो गई है की you cannot make out की क्या हो रहा है। प्लानिंग होनी चाहिए पर उस प्लानिंग का भी कोई ख़ैरख्वाह होना चाहिए। उसके ऊपर कोई कंट्रोल भी होना चाहिए। It is so important. आप यह सोचिए हर जिन्दिगी को यह ट्च करता है। जिसने एक कमरा भी एड करना है, जिसने एक कमरे में कोई रेनोवेशन करनी है, उसको टी0सी0पी0 से परमिशन लेनी होगी। You can't touch it और उसके लिए लोग भटकते रहते हैं। हमें इसलिए पता है कि क्योंकि लोग हमारे पास आते हैं और कहतें हैं की ए0टी0पी0 को एक फोन कर दो, जे0ई0 को फोन कर दो। हम फोन कर देते हैं बाकि होता तो कुछ नहीं। आपकी सरकार में नहीं होता है, as a matter of fact नहीं होता है। I agree with him. यह कोई दो साल का रोग नहीं है यह एक लम्बा रोग है और आप इसे ठीक करेंगे।

श्री एन.जी. द्वारा... जारी

05-03-2020/1615/एच.के.-एन.जी./1

श्रीमती आशा कुमारी जारी....

आप नई पॉलिसी लेकर आएं और जो concern यहां पर show हो रही हैं, अगर डलहौजी के 100 मीटर बाहर 10 मंजिला बिल्डिंग बन सकती है तो 100 मीटर इधर क्यों नहीं बन

सकती? What is so structurally different about it? If that is spoiling and marring the beauty of that area then the similar thing applies to this area also. It is just 100 meters distance.

सभापतिः मैडम जी कृपया वाइंडअप कीजिए।

श्रीमती आशा कुमारीः मैं आपकी बात का ध्यान रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी फिर एक बार निवेदन करूंगी कि ये 2-3 बातें हैं जिसमें एक FRA वाली बात है, मैं उसमें ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी, दूसरी पार्किंग के लिए फ्लोर को छोड़ने वाली बात है और तीसरी Horizontally raise करने की बात है। Structural design के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए। Seismic zone तो सारा हिमाचल प्रदेश है, seismic zone तो सारा जापान है। इन बातों के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें और यदि आप नई पॉलिसी लाते हैं तो उसमें आप इन concerns को address करें। मैं आपको यह भी सुझाव दूंगी कि यदि आप ठीक समझें तो अध्यक्ष महोदय से कह कर एक विधान सभा की कमेटी constitute करवालें जो आपको अपने सुझाव दे सके। सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

05-03-2020/1615/एच.के.-एन.जी./2

सभापतिः धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री राजिन्द्र गर्ग जी चर्चा में भाग लेंगे।

श्री राजिन्द्र गर्ग (घुमारवीं): सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी ने टी.सी.पी. एक्ट के बारे में यहां संकल्प लाया है और वास्तव में यह एक महत्वपूर्ण और सामायिक संकल्प है। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि टी.सी.पी. एक्ट निश्चित रूप से हमारे शहरों को या ऐसा कहा जाए कि हमारे प्रदेश को अच्छा, सुन्दर और सुविधायुक्त बनाने के लिए है। महोदय मैं कहना चाहूंगा कि एक्ट तो अच्छा है लेकिन इसमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि एक्ट अच्छा तो है लेकिन इसे आंखें मूंद कर भी लागू नहीं करना चाहिए और व्यवहारिकता को देख कर ही लागू करना चाहिए। धरातल पर क्या है और एक्ट में क्या है इसका भी आपस में अध्ययन

होने के बाद ही इसे लागू करना चाहिए। जब हम इस एक्ट के माध्यम से और हमारी जो लोकल्टी है जहां पर यह एक्ट लागू होता है, जैसे में घुमारवीं की ही बात करूं तो हमारे शहर के अन्दर बहुत सारे वार्ड या क्लोनी ऐसी हैं जो 50-50, 60-60 साल पहले बनी हुई हैं और घनी आबादि में बनी हुई हैं, एक घर से दूसरा घर टच है। वहां पर यदि हम टी.सी.पी. एक्ट को लागू करते हैं तो उससे हम क्या हासिल करेंगे? आज यह समस्या सिर दर्द बन कर हमारे सामने खड़ी हो गई है। उस वार्ड या क्लोनी के अंदर मेरे जैसे किसी व्यक्ति को, जिसका घर 50-60 साल पहले बना हुआ है और दूसरे घरों के साथ वह घर लगता हुआ है व कहीं मेरा घर जर्जर होता है और मैं उसको मुरम्मत या फिर से बनाना चाहूंगा तो मुझ पर टी.सी.पी. एक्ट लागू होगा। मेरा जो 2 बिस्वा या 1, 1.5 बिस्वा का मकान होगा उसमें मैं क्या छोड़ूंगा और क्या रखूंगा? यह स्थिति आज समाज के सामने उत्पन्न हुई है। इसलिए महोदय मेरा यह कहना है कि जहां हम इस एक्ट को लगाते हैं,

श्रीमती एम.एस. द्वारा जारी....

05/03/2020/1620/MS/AS/1

श्री राजिन्द्र गर्ग जारी----------

इसको कहां लगना चाहिए इसको ध्यान में लेकर हमें यह तय करना पड़ेगा। जहां भी जगह खाली है या जहां हमें नई कालोनी या नया गांव बसाना है, तब तो बात ध्यान में आती है लेकिन जो वर्षों से कॉलोनीज और गांव बने हुए हैं, उनमें टी0सी0पी0 ऐक्ट तो वहां के लोगों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। जिसके पास एक-डेढ़ बिस्वा ज़मीन है और जिसने अपना घर वर्षों से बनाया हुआ है तथा चार-छः सदस्य परिवार के हैं, वे कहां जाएंगे और फिर से कहां मकान बनाएंगे? वे तो इस ऐक्ट के कारण टी0सी0पी0 डिपार्टमैंट के चक्र ही लगाते रहेंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको समझने की आवश्यकता है। इसलिए नये क्षेत्रों में टी0सी0पी0 ऐक्ट लगना चाहिए। जहां अभी तक किसी प्रकार का निर्माण नहीं हुआ है, वहां इसको लगाना चाहिए और वहीं ये लागू हो सकता है।

इसके साथ ही कई हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि घुमारवीं में सैटलमैंट के काम को चले हुए 16 वर्ष हो गए हैं लेकिन अभी तक दो गांव भी इन 16 वर्षों में कम्पलीट नहीं हुए हैं। मेरे घुमारवीं विधान सभा चुनाव क्षेत्र में तो कंदरौर से तरघेल तक 25

किलोमीटर तक टी0सी0पी0 ऐक्ट लगा हुआ है और 13 पंचायतें उसमें कवर होती हैं तथा डेढ़-डेढ़ किलोमीटर अंदर घुसकर वहां तक यह ऐक्ट पहुंच गया है। जिससे लोगों के लिए यह एक मानसिक दबाव भी बना हुआ है। जो हमारे अनुसूचित जाति के बन्धु हैं जिनके पास कम ज़मीन है वे क्या नहायेंगे और क्या निचोडेंगे वाली स्थिति में हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे गांव की ज़मीन में 10-12 से लेकर 80-80 लोग हिस्सेदार हैं, उनका कोई सैटलमैंट नहीं हुआ है, उनकी कोई तकसीम नहीं हुई है तो वे कैसे मकान बनाएंगे और उनका नक्शा कैसे पास होगा? इस तरह यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इन सारी बातों को ध्यान में रखा जाए। हम इस ऐक्ट का विरोध नहीं करते हैं लेकिन यह सही ढंग से लागू होना चाहिए और आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यह जहां लागू हो, वहीं लागू होना चाहिए। यह किसी के सिर या गर्दन के ऊपर तलवार लटकाने वाला काम नहीं होना चाहिए। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे शहरों में भी गरीब लोग हैं।

05/03/2020/1620/MS/AS/2

उनको नक्शे बनाने के लिए भारी-भरकम रकम देनी पड़ती है। कई लोग अपना मकान बनाने के लिए हाउस लोन तक लेते हैं और उनको 25-50 हजार रुपये तो नक्शे के देने पड़ते हैं। इसलिए नक्शे पर भी जो ख़र्चा होता है इसके ऊपर भी हमें लगाम लगानी चाहिए ताकि गरीब लोग अपना घर ठीक ढंग से बना सके। सभापति जी, यही मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है।

सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौक़ा दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05/03/2020/1620/MS/AS/3

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला): अब माननीय सदस्य श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु जी चर्चा में भाग लेंगे। माननीय सदस्य, कृपया पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु: सभापति जी, माननीय सदस्य आशीष बुटेल जी ने जो संकल्प लाया है, उस पर बोलने के लिए आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति जी, क्योंकि मैं इससे जुड़ा हुआ हूं इसलिए मुझे बोलने के लिए दो मिनट और दे देना। यह टी0सी0पी0 ऐक्ट जब वर्ष 1977 में बना तो इसकी मूल भावना यह थी कि प्रदेश में इसकी प्लानिंग अच्छे तरीके से इम्प्लीमैंट हो। कुछ साल तो यह ऐक्ट इम्प्लीमैंट ही नहीं हुआ। फिर जब टी0सी0पी0 ऐक्ट इम्प्लीमैंट हुआ तो जो सक्सैसिव गवर्नमैंट आई, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की चर्चा में भी यह बोला था तो अपनी सुविधा के अनुसार इस ऐक्ट का ---(***)---चीरहरण हुआ। मैं यह शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं पार्षद भी रहा हूं। टी0सी0पी0 में आम आदमी चार मंजिल की बिल्डिंग बनाएगा और जो प्रभाव डालने वाला व्यक्ति है उसकी आठ मंजिल की बिल्डिंग भी इसी ऐक्ट के तहत पास हो जाएगी। जो और ज्यादा प्रभाव डालेगा, उसकी 13 मंजिल की बिल्डिंग भी पास हो जाएगी।

सभापति(श्री रमेश चंद ध्वाला): ---(***)---इस शब्द को एक्सपंज किया जाए।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु: मैं यह शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ बातों का ...(व्यवधान)

सभापति: माननीय सदस्य, असंसदीय शब्द मत बोलिये।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु: इस ऐक्ट का चीर हरण हुआ है। मैं यह इसलिए कह रहा हूं।

सभापति: इस नये शब्द को मान लेते हैं लेकिन ---(***)--- शब्द को एक्सपंज कर देते हैं।

---(***)---अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

05/03/2020/1620/MS/AS/4

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु: सभापति जी, आपने मेरे दो मिनट वेस्ट कर दिए। मैं जब दूसरी बार विधायक बनकर आया तो मैंने एक सवाल पूछा था कि शिमला में चार स्टोरी से ऊपर कितनी बिल्डिंग्ज हैं। उसका जवाब आया; भारद्वाज जी भी यहीं थे, ये शिमला के विधायक हैं। जवाब में आया कि छः मंजिल बिल्डिंग्ज 22, सात मंजिल बिल्डिंग्ज 11, आठ मंजिल बिल्डिंग्ज 12, और उच्च न्यायालय की 11 मंजिलें हैं। अब बताइये कि क्या इस ऐक्ट का चीर हरण नहीं हुआ है?

जारी जे0के0 द्वारा----

05.03.2020/1625/JK/एचके/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः ...जारी----

सभापति महोदय, आपने मेरे दो मिनट वेस्ट कर दिए। मैंने एक सवाल पूछा था जब मैं दूसरी बार विधायक बन कर आया था कि शिमला में चार मंजिल से ऊपर कितनी बिल्डिंग्ज़ हैं? ज़वाब आया, श्री सुरेश भारद्वाज भी यहीं पर थे, शिमला के विधायक हैं, 6 मंजिल 22 बिल्डिंग्ज़ थी, 7 मंजिल 11 थी, 8 मंजिल 12 थी और हाइकोर्ट की बिल्डिंग 11 मंजिल है। अब आप बताएं, क्या इस एक्ट का चीरहरण नहीं हुआ? चूंकि जो प्रभावित व्यक्ति था या सदन को प्रभावित करने वाला व्यक्ति था, उसने अपनी इच्छा के अनुसार इस एक्ट का चीरहरण किया।

सभापतिः माननीय सदस्य, आप इस शब्द के बजाय मिसयूज़ शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खुः माननीय सभापति महोदय, मैं यह शब्द कई जगह इसलिए बोलता हूं ताकि कार्य-प्रणाली सुधरे। सभापति जी, टी.सी.पी. ने एक अच्छा साथ दिया है, टी.सी.पी. ने एक अच्छा काम किया है कि ऑन लाइन नक्शे सबमिट होते हैं, सबसे अच्छा काम जो इसमें हुआ ऑन लाइन जो नक्शे सबमिट होते हैं, उससे कुछ भ्रष्टाचार कम हुआ है। उसके साफ्टवेयर को और अपडेट करने की जरूरत है ताकि जो लोगों को तकलीफ़ होती है, वह कम की जा सके। अब शिमला में रिटैंशन पॉलिसी क्यों बनानी पड़ी? क्योंकि हम होरिजैंटल की तरफ गए? मैंने कई बार कहा, कल भी कहा कि हिमाचल प्रदेश का सचिवालय आज़ादी से पहले का बना हुआ है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग आज़ादी से पहले की बनी हुई है। एडवांस स्टडी की बिल्डिंग आज़ादी से पहले की बनी हुई है। कई बिल्डिंग्ज़ आज़ादी से पहले की बनी हुई हैं, उस समय टैक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। उसके बावजूद भी 6,7 और 8 स्टोरी बनीं। हमारे पास पता नहीं यह कहां से आइडिया आ गया कि

हमने 4 स्टोरी की एक लाइन लगा दी कि इससे ऊपर कोई नहीं बना सकता है। जिस एन.जी.टी. की जूरिस्डिक्शन ही नहीं है कि वह ढाई स्टोरी फिक्स करे। कौन स्ट्रक्चर इंजीनियर उनके पास है? जिस एन.जी.टी. की

05.03.2020/1625/JK/एचके/2

जूरिस्डिक्शन सिर्फ वाटर से सम्बन्धित होनी चाहिए, एन्वायरनमेंट से सम्बन्धित होनी चाहिए उसने यहां पर स्टे लगा दिया। देखिए जो शिमला का इन्टेरिम डवलपमैंट प्लान बना, उसमें कोर एरिया की 18 मीटर हाइट होगी, नॉन कोर एरिया 21 मीटर हाइट होगी, मनाली के कोर एरिया में 21 मीटर हाइट होगी, धर्मशाला के कोर एरिया में 21 मीटर हाइट होगी। जितने वक्ता अभी तक बोले हैं, उनकी मूल समस्या का अगर आपने समाधान करना है तो टी.सी.पी. को वर्टिकल जाना पड़ेगा, यानि कि जो टी.सी.पी. की हाइट अभी 21 मीटर है, उसको बढ़ा करके यदि आप 25 मीटर कर देते हैं तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मैं यहां पर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टी.सी.पी. का कहां ज्यादा इफैक्ट हुआ, यह नहीं है कि नगर निगम की बाउंडरी के बाहर, नगर पंचायत की बाउंडरी के बाहर, नगर परिषद की बाउंडरी के बाहर टी.सी.पी. एक्ट लगता है क्योंकि वहां पर नगर पंचायत के अपने बाइ लॉज लगते हैं लेकिन इफैक्ट क्या हुआ है कि नगर परिषद की बाउंडरी के बाद आपकी 8 स्टोरी टी.सी.पी. एक्ट ने पास की है। हमारे कई लोगों की बिल्डिंग्ज़ 6-6, 7-7 स्टोरीज़ ह।, जब हम आम नागरिक को, आम जनता को यह सुविधा नहीं देते तो इस प्रकार की बात उठती है। माननीय मंत्री महोदय, आप शोघी से चलिए शिमला पहुंचे, तारा देवी पहुंचे, मशोबरा चलिए, अब तो फागू तक, कब तक आप इस एक्ट को लागू करते रहेंगे। पूरा शिमला होरिजैंटल बना हुआ है। अगर आप वर्टिकल जाएंगे। वर्टिकल आप नहीं गए हैं, आज़ादी से पहले अंग्रेज भी वर्टिकल गए हैं और आज़ादी के बाद हमारा इस प्रदेश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय हाइकोर्ट 11 मंजिल गया। उसको भी परमिशन टी.सी.पी. एक्ट के तहत दी गई है। इसलिए माननीय सभापति महोदय, अभी कैबिनेट की सब कमेटी बनी। श्री महेन्द्र सिंह जी ने हमें भी बुलाया। हमने वहां पर एक ही बात रखी कि आप पूरे प्रदेश में एक हाइट लागू कर दीजिए। आप 21 मीटर की हाइट लागू करना चाहते हैं कि 25 मीटर की लागू करना चाहते हैं। अगर आप 25 मीटर की हाइट लागू करते हैं तो 8 व 10 स्टोरी अपने आप चली जाएगी।

श्री एस.एस.द्वारा जारी----

05.03.2020/1630/SS-YK/1

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु क्रमागत :

और सड़क से नीचे रखिये ताकि जो हमारे पहाड़ों की ब्यूटी है वह एक्सप्लॉयट न हो, वह दिखनी चाहिए।

माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे एक और अनुरोध है कि शिमला में ग्रीन एरिया है। उसके लिए कोई कानून नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर हो गए। कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो उसके लिए कानून बनाना पड़ता है। ...(घंटी) सभापति महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। सरकार कानून से चलती है इसलिए मैं यह विषय आपके ध्यान में लाना चाह रहा हूं। ग्रीन एरिया शिमला में डिक्लेयर कर दिया। उस ग्रीन एरिया में कोई पेड़ नहीं है। अगर आप वहां मकान बनाने की इजाज़त नहीं देते तो उसको एक्वायर कीजिए और ऐसी जगहों को एक्वायर कीजिए जहां पेड़ लगे हों। खाली जगह को ग्रीन एरिया डिक्लेयर करवा दिया। किस कानून और किस नियम के तहत आपने वह डिक्लेयर करवाया? इस पर भी आपको गौर करने की ज़रूरत है। कोर एरिया सब खत्म करना पड़ेगा, आपको एक एरिया रखना पड़ेगा कि इस एरिया में हम आपको कंस्ट्रक्शन की इजाज़त देते हैं और इस एरिया में कंस्ट्रक्शन की इजाज़त नहीं देते।

श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति : माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करिये। माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब भी देना है और अभी एक सदस्य बोलने के लिए शेष हैं इसलिए अब आप वाइंड अप करिये। आप इसमें कोई डिस्कशन मांग लेना।

श्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खु : सभापति महोदय, आप तो बहुत अच्छे हैं परन्तु आप हमसे क्यों नाराज़ हो रहे हैं?

सभापति महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि टी0सी0पी0 ऐक्ट के साथ कई और ऐक्ट हैं जैसे नगर पंचायत, म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट इत्यादि। इन सबका समाधान आप एक ही ऐक्ट के माध्यम से कीजिए। आप ही यह नोडल एजेंसी ले रहे हैं ताकि लोगों को जो समस्या आ रही है उस समस्या से छुटकारा मिल सके।

सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.03.2020/1630/SS-YK/2

श्री रमेश चंद ध्वाला, सभापति : माननीय सदस्य, बहुत-बहुत धन्यवाद। अब माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार जी पांच मिनट में अपनी बात रखेंगे।

श्री विनोद कुमार (नाचन) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य श्री आशीष बुटेल जी जो संकल्प लेकर आए हैं मैं भी उसमें अपने आपको शामिल करता हूं। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

सभापति महोदय, मैं तो यह कहना चाहूंगा कि जब हम स्कूल व कॉलेज में पढ़ते थे और कभी मंडी व सुन्दरनगर जाते थे तथा शहर को देखते थे तो हम अपने बुजुर्गों को पूछते थे कि क्या कारण है कि मंडी व सुन्दरनगर का शहर बहुत सुन्दर है। तो पता चलता था कि यहां पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत काम होता है और सुन्दरनगर में भी इसी तरह से काम होता है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब मुझे नाचन विधान सभा क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से विधायक बनने का मौका मिला और नाचन की जनता ने मुझे इस माननीय सदन में जीताकर भेजा तो उस समय एक प्रोसैस चला कि कुछ एरियाज़ को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में डाला जा रहा है।

(माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।)

यह बात सही है कि टी0सी0पी0 में उसी शहर को डाला जाता है जो शहर की स्थिति में होता है। मुझे लगता है कि प्रदेश में मैक्सिमम नगर पंचायत, म्युनिसिपल कारपोरेशन का जो एरिया है उसी एरिया के अंदर टी0सी0पी0 ऐक्ट को लाया गया है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जब पिछली बार प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो हमारे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को भी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के तहत लिया गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि जब भी कोई नयी स्कीम किसी नये क्षेत्र में लाई जाती है तो कम-से-कम उस क्षेत्र के लोगों को वहां पर पूछा जाता है। पहले यह टाउन एंड कंट्री प्लानिंग शहरी क्षेत्र में होता था और अब अगर ग्रामीण क्षेत्र में भी लाया जा रहा है तो वहां पंचायत के प्रतिनिधियों को पूछा जाता है, पंचायत प्रधान को पूछा जाता है, बी0डी0सी0 मेम्बर को पूछा जाता है, जिला परिषद् मेम्बर को पूछा जाता है या वहां का जो चुना हुआ विधायक होता है उसको

भी पूछा जाता है। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब यह प्रक्रिया 2013 में शुरू हुई थी तो मैंने यहां से इसका भरपूर विरोध किया था कि मेरा जो क्षेत्र है वह

05.03.2020/1630/SS-YK/3

ग्रामीण क्षेत्र है, पंचायतों का क्षेत्र है वहां पर टी0सी0पी0 ऐक्ट नहीं लाया जाना चाहिए। जैसे हमारी वरिष्ठ सदस्या, श्रीमती आशा जी ने कहा कि मेरा भी कुछ एरिया लिया गया था,

जारी श्रीमती के0एस0

05.03.2020/1635/केएस/एजी/1

श्री विनोद कुमार जारी--

लेकिन जब सरकार आई,सरकार में जब बात को रखा गया तो उस एरिया को वहां से हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच पंचायतें जिनमें ग्राम पंचायत, महादेव, चौक, कनैत, भौर और जुगाहन, इन पांच पंचायतों को टी.सी.पी. के तहत लिया गया है। मेरी ये पंचायतें बहुत घनी आबादी की हैं और इनमें एक घर के साथ दूसरा घर लगा है। सुन्दरनगर विधान सभा क्षेत्र की भी कुछ पंचायतों को टी.सी.पी. एक्ट के तहत लिया गया है जबकि वे ऐसे गांव हैं जहां पर पैदल चलने के लिए भी अभी तक सरकार की ओर से रास्ता नहीं बनाया गया है।

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा की जो ये उपरोक्त पांच पंचायतें हैं, इनके जितने लोग हैं, किसी व्यक्ति, किसी परिवार के पास पांच या 10 बिस्वा जमीन है। जिसके पास 10 बिस्वा जमीन होगी और उस परिवार में 4 सदस्य होंगे, वह घर कैसे बना पाएगा? रूल के हिसाब से, टी.सी.पी. एक्ट कहता है कि जिस व्यक्ति के पास चार बिस्वा भूमि है, वही अपना घर वहां पर बना सकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की इन पांच पंचायतों में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास 10 या 12 बिस्वा जमीन है और वे बहुत ही गरीब परिवार से सम्बन्ध रखते हैं।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया वाइंड अप करें।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि मेरे पास 10 बिस्वा जमीन है, मैं अपनी 2 बिस्वा जमीन देख कर अपना घर बना लूं। हमारे यहां तो यह दिक्कत है कि जिस गरीब व्यक्ति के पास जगह है, वह आज के दिन में उसको भी नहीं बेच सकता। यह स्थिति उस क्षेत्र के अंदर आ गई है। ठीक है, गरीब के लिए तो दिक्कत है लेकिन कोई पैसे वाला है, जब उसको घर बनाना है, पहले उसको आर्किटैक्ट के पास जाना पड़ता है। अमीर आदमी तो काम करवा लेता है लेकिन एक गरीब आर्किटैक्ट के पास कैसे जाएगा? पहले तो आर्किटैक्ट के पास अनेकों चक्कर लगाकर वह नक्शा बनाए, उसके भी बहुत से पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, नक्शा बन

05.03.2020/1635/केएस/एजी/2

भी गया तो उसके बाद जो आपका टी.सी.पी. का ऑफिस है, उसमें शायद कोई जे.ई. बैठता है, हमने ऐसा सुना है। जब उसके पास जाते हैं, 20-20 चक्कर लगाने के बाद भी नक्शा पास नहीं होता जबकि वह आर्किटैक्ट ने बनाया है। जे.ई. उसको बाहर फेंक देता है कि नक्शा ठीक नहीं बना है। जब तक उसकी जेब में चार पैसे न चले जाए, तब तक वह नक्शा ठीक नहीं होता, टी.सी.पी. ऑफिस की आज की डेट में यह हालत है। यह आज की बात नहीं है। जब से टी.सी.पी. एक्ट बनाया गया है, तब से ले कर यह रीति-नीति आपके उन दफ्तरों में चली हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि इस एक्ट के कारण खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अब वाइंड अप करें। आपका अलॉटिड समय पूरा हो गया है।

श्री विनोद कुमारः अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के कई लोगों को तो पता ही नहीं है कि इस क्षेत्र को टी.सी.पी. के अंदर लिया गया है। किसी का पुराना घर है, उसने उसमें एक मंजिल और बना दी, उसके लिए अगर उसको बिजली, पानी का कनैक्शन लेना है तो उसको कहा जाता है कि टी.सी.पी. के ऑफिस में जाओ। मेरे क्षेत्र में

इसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह रहेगा कि मेरे नाचन विधान सभा क्षेत्र के जिस ग्रामीण क्षेत्र को पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा टी.सी.पी. के तहत लिया गया है, उस एरिया को टी.सी.पी. से बाहर किया जाए। अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

05.03.2020/1635/केएस/एजी/3

अध्यक्षः अब माननीय शहरी विकास मंत्री उत्तर देंगी। मंत्री जी, कृपया समय का ध्यान रखें। अगला संकल्प भी पेश होना है।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यहां पर जो संकल्प रखा गया है, उसमें जैसे कि टी.सी.पी. के बारे में ज्यादा बात रखी गई है, सबसे पहले तो मैं,

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी--

05.03.2020/1640/AV-ag/1

शहरी विकास मंत्री----जारी

आपका जवाब 2 मिनट में देती हूं। टी0सी0पी0 एक्ट केवल शहरों के लिए नहीं है। इस एक्ट के जैसे नाम से ही पता चलता है कि शहरों के साथ जुड़े ग्रामीण इलाके जिनका शहरीकरण हो रहा है, उसके लिए भी यह एक्ट है। इसमें कुछ बातों में यहां पर आशा जी ने बड़ा पोजिटिव व्यू रखा है। यहां पर माननीय सदस्य राकेश पठानिया जी ने नक्शे के ऊपर अटैक किया है। शायद हमारे सदस्यों को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि विभाग ने इसको ऑनलाइन कर दिया है और मुझे इस बात का अफसोस है। यहां पर जो हल्ला हुआ है, यह कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय हुए करप्शन या नक्शों के बारे में जो मेनेजमैंट नहीं हुई थी; उसके संदर्भ में ये ऐसी बात कह सकते हैं। लेकिन अब मैंने मुख्य मंत्री जी के आशीर्वाद से नक्शे ऑनलाइन किए हैं और आने वाले दिनों में हम यह आशा करते हैं कि इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। इसको अब उच्च स्तर पर डी0सी0

'इन वन गो' में करने का प्रावधान कर रहे हैं। असल में दिक्कत तो यह है कि लोग नक्शों के मुताबिक मकान नहीं बनाते और जब डैविएशन करते हैं ...(व्यवधान) मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहती। बहुत सारी ऐसी डैविएशन हुई हैं जिनको समय-समय पर कैबिनेट में जाकर सही किया गया। यह समस्या छोटे व्यक्ति की कम है और बड़े व्यक्ति की ज्यादा है। इसलिए डैविएशन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी तरह से पालमपुर का डवलपमैंट प्लान दिनांक 18.5.2005 को नोटिफाइड हुआ। आपको पता है कि उस समय कौन-सी गवर्नमैंट थी तथा वहां से कौन विधायक या मंत्री थे; मैं मैंशन नहीं करना चाहती। कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय में जो हिमाचल प्रदेश में हुआ; हम उन चीजों को धीरे-धीरे एग्ज़ामिन कर रहे हैं तथा विभाग अब एक सही दिशा में काम कर रहा है। यहां पर बुटेल जी ने 'साडा' के नक्शों की बात की है। साडा के नक्शे पास करवाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम है और पालमपुर के बीड़-बीलिंग में साडा है। वहां के नक्शे पास करने की पावर एस0डी0एम0, पालमपुर के पास है इसलिए आने वाले दिनों में करप्शन का मतलब ही नहीं हो सकता। यहां पर जैसे सभी सदस्यों की बात आई है तो मैं बताना चाहती हूं कि we have now adopted a

05.03.2020/1640/AV-ag/2

policy of One Time Objection. इस बारे में मैं अपने उत्तर में आगे बताऊंगी। पहले नक्शा जे0ई0, फिर प्लानिंग ऑफिसर, उसके बाद ए0टी0पी0 और अंत में डायरैक्टर (टी0सी0पी0) के पास जाता था तथा एक जगह से ऑब्जैक्शन लगकर वापिस आता था। अब विभाग ने इसको 'इन वन गो' किया है तथा सीधे डायरैक्टर (टी0सी0पी0) से एक ही बार सारे ऑब्जैक्शन क्लीयर होकर आयेंगे तथा उसके लिए ऑनलाइन 60 दिनों का समय दिया गया है। अगर पेपर सही होंगे तो उसको टाइम बाउंड कर दिया है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर जी के आशीर्वाद से नक्शे पास करवाने की जो बड़ी समस्या थी या आप करप्शन की बात करते थे; उसको इसमें एकमुश्त पास करने की बात रखी है। इसी तरह से ...(व्यवधान) आप मेरा जवाब सुनने का धैर्य रखें।

बुटेल जी, आपने यहां पर वर्टिकल कंस्ट्रक्शन करने की बात कही। ...(व्यवधान) अगर आप लोग वॉकआउट करेंगे तो मैं नाम ले दूंगी कि किन-किन लोगों के नक्शे फंसे हुए हैं। ...(व्यवधान) मैं फिर सदन में नाम ले दूंगी कि किन-किन के नक्शे फंसे हुए हैं। सुक्खु जी, आप बैठ जाओ। आपको सारी बात का पता है, मैं आपके लिए सहानुभूति रखती हूं और सबके लिए प्यार से बात कर रही हूं। यहां पर जैसे वर्टिकल कंस्ट्रक्शन की बात की गई तो जहां तक शिमला का सवाल है, ...(व्यवधान) अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो आपके नक्शे पास नहीं होंगे। आप लोगों के नक्शे नियमों के अधीन ही पास होंगे। आपके नक्शे और बिल्डिंग्ज फंसी हुई हैं इसलिए मेरा विभाग वही करेगा जो नियमों के अनुरूप होगा। ...(व्यवधान) आप सुनने का धैर्य रखें। ...(व्यवधान) शिमला में एफ0ए0आर0 1.75, श्रीनगर में 1.5 तथा मसूरी में 1.5 है। ...(व्यवधान) हम लोग जापान और चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं; तो आप लोग उसके अनुरूप उन चीजों को मानों। आप चंडीगढ़ के सपने लेने वाले हिमाचल के रूल्ज नहीं मान रहे हैं और वॉकआउट कर रहे हैं --

(कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य सदन से वॉकआउट कर गये।)

टी सी द्वारा जारी

05.03.2020/1645/TCV/AS-1

माननीय शहरी विकास मंत्री....जारी

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा कि बड़े लोगों की समस्या है, बड़े लोगों के नक्शे फंसे हुए हैं। मैं आज सदन में किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूं। इसी तरह से भाई बलबीर जी ने जो बात रखी है, जहा बिल्डिंग्ज़ टी0सी0पी0 एक्ट से पहले बनीं हैं, वहां की आपने प्रोब्लम रखी है, यह जेन्युइन बात है। आपने रेनोवेशन के लिए परमिशन की बात कही है, इसके लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। कभी भी पुरानी बिल्डिंग की आप रेनोवेशन कर सकते हैं। री-कंस्ट्रक्शन या तो पुराने नक्शे पर या फिर टी0सी0पी0 के नये नॉर्म्ज़ दोनों में से किसी पर भी की जा सकती है। माननीय सदस्या, श्रीमती आशा कुमारी जी सैक्शन-39

के बारे में कह रही थी। सैक्शन-39 का नोटिस तब दिया जाता है जब व्यक्ति नक्शे के अंगेस्ट डेविएशन करता है। उन्होंने यह अंगुली उठाई कि विभाग के लोग जाते हैं और सैक्शन-39 का नोटिस देकर आ जाते हैं। जब डेविएशन होती है, गलत होता है और विभाग के लोगों को शिकायत मिलती है तो उसी के अनुरूप इस प्रकार का नोटिस दिया जाता है। जब आप डेविएशन करेंगे तभी टी0सी0पी0 विभाग नोटिस देगा। जब कोई दिए हुए नक्शे पर डेविएशन करते हैं तो निश्चित रूप से सैक्शन-39 के तहत उनको नोटिस दिया जाएगा। यहां पर क्रप्शन के बारे में बात की गई, शायद ये ग्रामीण एरिया की किसी बिल्डिंग की बात कर रहे थे, यदि कोई ऐसा केस है तो ग्रामीण विभाग मेरा नहीं है। मैं तो सिर्फ टी0सी0पी0 तक सीमित रहूंगी। मेरे विभाग के तहत यदि कोई ऐसी बड़ी बिल्डिंग बन गई है तो ये बताएं और हम उस पर कार्रवाई करेंगे। एन0जी0टी0 के बारे में अंगुलियां उठाई गई। एन0जी0टी0 तो हमारी सरकार के समय में नहीं आया। एन0जी0टी0 कोर्ट का अपना व्यू है, कोर्ट अपने तरीके से सोचता है। शिमला में दिनांक 16.11.2017 को एन0जी0टी0 लागू हुआ, जब इनकी (कांग्रेस) गवर्नमैंट थी। यह भी हो सकता है कि इनको पसन्द न हो, बहुत-सारे लोगों को ये चीज़े पसन्द न हों लेकिन मेरा विभाग लगातार इसकी पैरवी कर रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में विभाग द्वारा अपील के लिए बेंच

05.03.2020/1645/TCV/AS-2

कंस्टिच्यूट हो गया है। विभाग ने एन0जी0टी0 से कुछ रिलैक्सेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि यह विभाग का अधिकार क्षेत्र है। Solicitor General of India इस केस के अगुवाई कर रहे हैं। जहां तक रिटेंशन पॉलिसी की बात है, उसका रिव्यू भी हमने उच्च न्यायालय में दाख़िल किया है। इसलिए दोनों में से जहां लोगों को दिक्कत लग रही है, वहां पर भी विभाग ने कोर्ट में अपील दर्ज़ की है। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रही हैं, कृपया अपने स्थान पर बैठकर न बोलें।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मनाली का ऑर्डर जो दिनांक 29.07.2019 को आया है। माननीय सदस्य, श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी, बहुत ऊंची आवाज में बोलकर कुछ झूठ को छिपाना चाह रहे थे लेकिन अंगुली उठाना आसान है, नियमों को मानना और उन पर अमल करना ही तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। मनाली में किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑर्डर आया वह दिनांक 29.07.2019 को आया। इसमें विभाग या सरकार का कोई व्यू नहीं है। श्री सुन्दर सिंह ठाकुर जी ने मनाली में कंस्ट्रक्शन में वायलेशन के बारे में कहा है। मनाली में एक्सैसिव डेविएशन के चलते, उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश ने 3 स्टोरिज़ और 2 पार्किंग के आदेश दिए हैं। क्या माननीय विधायक, उन आदेशों को नहीं मानेंगे? ये जनता से क्या कहेंगे कि हम उच्च न्यायालय के आदेश नहीं मानने हैं

एन0एस0 द्वारा... जारी

05-03-2020/1650/NS/AS/1

माननीय शहरी विकास मंत्री ..... जारी

मनाली में म्युनिसिपल एरिया में जिलाधीश महोदय नक्शे पास करते हैं। इस माननीय सदन में माननीय सदस्य ने अपनी ऊंची आवाज़ में झूठ रखा है। मैं इनको कहना चाहूंगी जब जिलाधीश नक्शे पास कर रहा है और सिंपल प्रणाली कर दी गई है, ऑनलाइन कर दिया है तो भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार का कोई मतलब ही नहीं है। मनाली में म्युनिसिपल एरिया के बाहर टी0सी0पी0 के द्वारा नक्शे पास किए जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के आरोप इनकी अपनी सरकार के होंगे। सच्चाई यह है कि लोग डेविएशन करते हैं और जब इस पर विभाग द्वारा ऑब्जैकशन किए जाते हैं तो लोग अपनी गलती छिपाने के लिए भ्रष्टाचार के गलत आरोप लगाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऑनलाइन सिस्टम से ट्रांसपेरेंसी आई है। मैं अपनी बात इस माननीय सदन में रखना चाहूंगी कि प्रदेश में नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम, वर्ष 1977 में लागू हुआ है। टी0सी0पी0 तो केवल रेग्युलेटरी विभाग है। इसका मुख्य उद्देश्य शहर व गांव का सुनिश्चित विकास करना है। अगर मैं शिमला शहर की बात करूं तो यहां पर सबसे पुराना टी0सी0पी0 एक्ट है और वर्ष 1979 में बना है। आज दिन तक विभाग द्वारा 29 योजनाएं और डवलपमैंट प्लान बनाई जा चुकी हैं। भौगोलिक क्षेत्र होते हुए भी इसमें काफी समानताएं हैं। इन विकास योजनाओं के तहत भवन निर्माण की अनुमति रूल्ज़ और रेग्युलेशन्ज़ के अनुसार दी जाती है। विकास योजना एक समान नहीं है। समय-समय पर विभाग द्वारा अमेंडमैंट लाई गई है। प्रमुखता प्लान में number of storeys, buildings, height, set-back में अमेंडमैंट लाई गई हैं। हमारे प्रदेश में रूल अन्य पहाड़ी प्रदेशों के रूल्ज़ के मुताबिक काफी लिबरल हैं। अध्यक्ष महोदय, शिमला में ऊंचाई 21 मीटर तक है, श्रीनगर में 16.5, शिलांग में 19, मेघालय में 15, मसूरी में 11 और उत्तर प्रदेश में 12 मीटर की ऊंचाई है। हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं। सभी प्रदेश अपनी हिल इकॉनोमी को यहां प्रीज़र्व कर रहे हैं वहीं हमारे प्रदेश में 21 मीटर ऊंचाई पहले से ही रखी गई है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदन के ध्यान में लाना चाहूंगी कि टी0सी0पी0 नियमों के सरलीकरण की प्रक्रिया जारी है। हाल ही में विभाग ने सात एन0ओ0सी0 को हटा दिया है जिसमें जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, विद्युत

05-03-2020/1650/NS/AS/2

विभाग, अग्निशमन विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राजस्व विभाग के एन0ओ0सी0 हटा दिए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे थे कि सैल्फ़ अंडरटेकिंग देनी चाहिए तो यह विभाग ने ऑलरेडी कर दिया है। । am sorry to say 7 नवम्बर, 2019 को हमारी सरकार ने नक्शों के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कर दी है। अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन के प्रमुख सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए वे इस बात को बार-बार दोहरा रहे थे। जितनी एन0ओ0सी0 मैंने यहां पर बताई हैं इनके बदले आवेदक को सैल्फ़ अंडरटेकिंग देनी है कि मैं इसके लिए स्वयं ही जिम्मेवार रहूंगा। बिजली तथा पानी के लिए एन0ओ0सी0 ऑनलाइन दे दिए गए हैं। प्राईवेट प्रोफैशनल जैसे कि आर्किटैक्ट और इंजीनियर से ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो तो हम 30 दिन में रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। विभाग द्वारा साइट इंस्पैक्शन भी किया जाता है। हम सिर्फ एन0ओ0सी0 नहीं देते हैं। जब बिल्डिंग

बनती है उसमें जे0ई0, ए0टी0पी0, प्लानिंग ऑफिसर मैप के हिसाब से साइट प्लान करते हैं और उसके बाद पलिंथ लैवल फिर फ्लोर लैवल पर जाते हैं और जब कंपलीशन देना होता है तब स्वयं विभाग के अधिकारी वहां विज़िट करते हैं। इसलिए यह प्रक्रिया सरल और हमारी भारतीय जनता पार्टी के समय में मेरी सरकार में मेरे विभाग ने इसको 7 नवम्बर, 2019 को ऑनलाइन कर दिया है।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप समय का ध्यान रखें।

शहरी विकास मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ये लोग कह रहे हैं कि हमें वर्टिकल जाना है। इनके ध्यान में होना चाहिए कि हिमालय एक यंग माउंटेन है। इसकी तुलना यूरोप से नहीं हो सकती है। जिस तरह हमारे साथ वहां की भाषा व संस्कृति नहीं मिल सकती है। उसी तरह से हमारे स्टाटा की बात है। हमारा कल्चर भी वैसा नहीं हो सकता है। माननीय सदस्य ने यहां पर लंदन, वर्लिन और पेरिस और चंडीगढ़ की बात कह दी। अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ बहुत योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया शहर है। वहां पर बिल्डिंग बनाने की कोस्ट, तकनीक, मैटीरियल यहां की तुलना में काफी एडवांस है। वहां पर जो अंडर ग्राउंड फुटिंग का डिजाईन होता है उसमें इलैक्ट्रिकल लाइन्ज, फायर पाइप और सीवरेज तथा पानी की पाइपें आदि सब शामिल होते हैं और जिनकी कोस्ट ज्यादा है। हम पेरिस से तुलना करते हैं। चंडीगढ़ में घूमना तो अच्छा लगता है लेकिन वहां के नियमों को अपनाना कठिन है। मैं यहां बैठे माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगी कि आप सभी लोगों को अवेयर करें और उन नियमों को अपनाने में सहयोग दें। श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

05.03.2020/1655/RKS/DC-1

शहरी विकास मंत्री... जारी

जोन-4 में चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर हैं। जोन-5 में सोलन, शिमला, लाहौल और स्पिति एवं किन्नौर हैं। ये वे जोन हैं जहां स्टाटा और भूकंप के झटकों को ध्यान में रखा जाता है। क्या ये लोग वास्तव में हिमाचल प्रदेश की जनता के विकास और सुरक्षा के लिए चिंतित हैं या फिर निजी स्वार्थ के लिए रीयल एस्टेट इन्वैस्टमैंट को परमोट करना चाहते हैं? इनके इंटरस्ट हमको देखने पड़ेंगे। यदि हम मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का उदारहण लें तो उस समय वहां पर टाउन एंड कंट्री

प्लानिंग था परंतु वे शहर भी भूकंप के झटकों से धवस्त हो गये थे। क्या हम उससे पीछे जाना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं? आप कुम्हारहट्टी का उदाहरण लीजिए, वहां पर जो लोग मरे हैं वे निर्दोष थे। यह बात सही है कि हमें शहरीकरण की ओर बढ़ना चाहिए। यदि हम गांव से शहर की ओर बढ़ेंगे तो हमें एम्बुलैंस की सुविधा समय पर मिलेगी। वहां स्लम एरिया नहीं बनेगा, बदबू नहीं आएगी और सभी चीजों की अलग-से प्लानिंग होगी।

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी, क्योंकि संकल्प पर आगे विचार होना है, कृपया आप आधे सैकिंड में अपनी बात समाप्त करें।

शहरी विकास मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रही हूं। टी.सी.पी. नार्म्स को रेशनालाइज करने के लिए विभाग स्टडी कर रहा है। विभाग डी.पी. को स्टडी कर रहा है और जो फीजिबल होगा उस हिसाब से हम इसे रिव्यू करेंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

अध्यक्षः वैसे भी माननीय सदस्य, श्री आशीष बुटेल जी सदन में उपस्थित नहीं है। तो क्या माननीय सदन की अनुमति है कि संकल्प को वापिस किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

संकल्प वापिस हुआ

अब श्री रमेश चंद ध्वाला जी अपना संकल्प प्रस्तुत करेंगे। माननीय सदस्य, कृपया समय का ध्यान रखें।

05.03.2020/1655/RKS/DC-2

श्री रमेश चंद ध्वालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संकल्प प्रस्तुत करता हूं, जो इस प्रकार से हैः-

> "यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे ।"

अध्यक्षः संकल्प प्रस्तुत हुआ किः-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में खैर व चन्दन वृक्ष काटने व विक्रय करने हेतु नीति बनाने पर विचार करे ।"

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

संसदीय कार्य मंत्रीः माननीय अध्यक्ष जी, जो विपक्ष के सदस्यों द्वारा वाकआउट किया गया है, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं। जैसे आपने वोट के लिए इस संकल्प को यहां पर रखा है, ये वोट के टाइम इसके पक्ष में बोलते या इसके विरोध में बोलते, वह तो ठीक था लेकिन वाकआउट करने का तो कोई सवाल नहीं था। जब नियमों के अनुसार इनके विपरीत कोई बात सामने आती है तो ये इस प्रकार की हरकते करते हैं। आज यह बात भी देखने को मिली कि इनके बीच आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। क्योंकि नेता विपक्ष आज सदन में नहीं थे इसलिए दुसरे गुट को अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए सदन से वाकआउट करना पड़ा। जो प्रदेश हित में चर्चा हो रही थी उसे सुने बिना ये यहां से वाकआउट कर गए हैं, ये uncalled for हैं and I strongly condemned it.

अध्यक्षः जो माननीय सदस्य, श्री रमेश चंद ध्वाला जी ने संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर अगले गैर-सरकारी कार्य दिवस पर चर्चा होगी।

अब इस माननीय सदन की बैठक शुक्रवार, 06 मार्च, 2020 के 11:00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक 05 मार्च,2020 **सचिव**